# छत्तीसगढ़ विधान सभा

# की

# अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

**षष्ठम् विधान सभा** **दशम् सत्र**

**गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 2026**
**(आषाढ़ 25, शक सम्वत् 1948)**

**[अंक 04]**

**Webcopy**

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 16 जुलाई, 2026

(आषाढ़ 25, शक संवत् 1948)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

**{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}**

श्री अजय चंद्राकर **:-** जय जगन्नाथ ।

अध्यक्ष महोदय :- जय जगन्नाथ । प्रश्न क्रमांक- 01, श्री कुंवर सिंह निषाद ।

**तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

**विभाग द्वारा मछली पालन हेतु पट्टा का आबंटन**

[मछली पालन]

**1. (*क्र. 688) श्री कुंवर सिंह निषाद** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में विभाग द्वारा मछली पालन हेतु पट्टा आबंटन में कौन-कौन से समिति/समूह पात्र हैं तथा वर्तमान में कौन सी मछली पालन नीति प्रभावशील है ? जानकारी देवें ? (ख) क्या प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्तमान प्रभावशील नीति के तहत समिति/समूह में एक ही परिवार के एक सदस्य से अधिक हो सकते हैं ? यदि हाँ, तो किस नियम/आदेश के तहत है ? नियम/आदेश सहित जानकारी देवें ? यदि नहीं तो क्या, ऐसी समिति/समूह पट्टा आबंटन हेतु पात्र हैं ? जानकारी देवें ? (ग) क्या जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड बम्हनीडीह के ग्राम सरहर एवं विकासखण्ड बलौदा के नगर पंचायत, बलौदा में मछली पालन हेतु पट्टा के आबंटन में अनियमितता के संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो अनियमितता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम )** : (क) प्रदेश में विभाग द्वारा मछली पालन हेतु पट्टा आबंटन के लिए समिति/समूह की पात्रता के संबंध में जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] अनुसार है तथा वर्तमान में नवीन मछलीपालन नीति-2022 प्रभावशील है। (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार वर्तमान प्रभावशील नीति के तहत् समिति/समूह में एक ही परिवार के एक सदस्य से अधिक हो सकते हैं का कोई

[1] परिशिष्ट "एक"

उल्लेख नहीं है । राज्य शासन के विभिन्न अधिनियम-नियम के तहत् पंजीकृत मछुआ समिति/समूह पट्टा आबंटन हेतु पात्र होंगे। (ग) जी हां, जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड बम्हनीडीह के ग्राम सरहर एवं विकासखण्ड बलौदा के नगर पंचायत, बलौदा में मछली पालन हेतु पट्टा के आबंटन में अनियमितता के संबंध में विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है । कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा गठित जांच समिति ने अनियमितता की शिकायत को निराधार पायी है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लगभग 25 लाख मछुआरा परिवार निवासरत हैं और आज उनके हित के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से मेरा यह बड़ा प्रश्न है । चूंकि माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा था और माननीय मंत्री जी का जवाब आया है । प्रश्न (ख) के जवाब में माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि वर्तमान प्रभावशील नीति के तहत समिति/समूह में एक ही परिवार के एक सदस्य से अधिक हो सकते हैं का कोई उल्लेख नहीं है । राज्य शासन के विभिन्न अधिनियम-नियम के तहत पंजीकृत मछुआ समिति एवं समूह पट्टा आवंटन हेतु पात्र होंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि आपने जो जवाब दिया है तो क्या किसी सहकारी समिति के सदस्यों का निर्धारण, सदस्यता पंजीयन एवं संचालन का वर्तमान मछली पालन नीति के तहत किया जाता है या छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियमों एवं उपविधियों के अनुसार सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो जानकारी मांगी गयी थी उसमें हमने एक-एक बिंदुवार जानकारी दी है । इसके बावजूद जहाँ तक आपने नीति के संबंध में जानकारी चाही है तो हमारा जो नवीन मछली पालन नीति, 2022 है वह अभी प्रभावशील है उसी नीति के तहत अभी तक मछुआ सहकारी समितियों को और समूहों को पट्टा प्रदाय किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो परिशिष्ट के माध्यम से जवाब आ गया है । मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि जब सारी चीजें आप वर्ष 2022 मछुआ नीति के तहत कर रहे हैं तो अभी जांजगीर में एक बड़ा मुद्दा सामने आया था कि समिति का पंजीयन, सदस्यता का संचालन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 अनुसार आपके क्षेत्र में है लेकिन आपने पिछड़ा वर्ग मत्स्य विकास समिति मर्यादित सरहर एवं अल्पसंख्यक मछुआ सहकारी समिति, बलौदा के पट्टा का आवंटन किया है, जो मछुआ नीति के, जो आपके तहत उनके खिलाफ है । यदि आपने वह कार्यालय पंजीयक संस्था छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक - पंजीयन 2014/2450 द्वारा मत्स्य सहकारी समिति पंजीयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश के अनुसार नियम विरूद्ध क्योंकि कम थे, बलौदा बलौदा में 7 परिवार थे, 14 सदस्य एवं सरहर में 4 से 8 सदस्य ऐसे हैं जो गैर मछुआ समाज के हैं और यह अल्पसंख्यक हैं मतलब उनका पूरा परिवार मछुआ समुदाय से संबंधित नहीं है उसको आपने पट्टा

आवंटित कर दिया है और 39 साल से जो समिति वहाँ पर पंजीकृत हैं वह आज तक मछुआ सहकारी समिति बलौदा, 39 वर्ष से समिति है उसे नहीं मिला है और यदि उन लोगों ने मांग की है तो उस समिति के और उस समुदाय के, हमारे समुदाय के 21 लोगों के ऊपर एफ.आई.आर. हुई है । (शेम-शेम की आवाज) 21 लोगों के ऊपर एफ.आई.आर. हुई है । मांग हम करते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन यह सरकार...।

अध्यक्ष महोदय :- आप चाहते क्या हैं ?

श्री कुंवर सिंह निषाद **:-** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही चाह रहा हूं कि यदि...।

श्री अजय चंद्राकर :- निषाद जी, लड़ाई लड़ते हो लेकिन पढ़ तो देख-देखकर रहे हो । आप देख-देखकर पढ़ रहे हो ।

श्री कुंवर सिंह निषाद **:-** माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-अधिनियम तो पढ़कर बताना पड़ेगा न ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको अपने समुदाय की समस्या ही नहीं मालूम है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अजय जी ।

श्री कुंवर सिंह निषाद **:-** मैं बचपन से वही काम कर रहा हूं । मुझे समुदाय की समस्या पता है । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आपके मुख्यमंत्री जी देखकर पढ़ते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- निषाद जी, आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद **:-** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आपने मछुआ सहकारी समिति को छोड़कर गैर मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता क्रम में डालकर आवंटन किया है तो क्या ऐसे अधिकारी जो दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो पात्र हैं क्या उनको यह तालाब आवंटित करेंगे ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने समिति के अवैध होने की बात की है, ये समितियां तो अभी तक वैध हैं। रही बात उसमें कोई अनियमितता हुई है तो इसकी जांच भी समिति के द्वारा, पहले भी वहां जो शिकायतें आयी थीं, उसके आधार पर स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से जांच हुई है और उस जांच की रिपोर्ट आयी है उसमें भी इन्होंने बताया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है उसके बावजूद मुझे लगता है कि हमें इसमें कुछ और जांच करने की आवश्यकता है। हम उस समिति के माध्यम से उसकी विधिवत् जांच करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या जांच करवा रहे हैं, आप बता दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जांच में जो तथ्य आएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या जांच चाहते हैं, वह बता दीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूँ कि विधान सभा की एक समिति बने या उस समिति में मुझे शामिल करें। मैं उनके साथ बैठूंगा। क्योंकि संबंधित विभाग के जिसने जांच की और जिसे पट्टा मिला है उसने स्वयं यह लिखकर दिया है कि मैंने अपने निजी उपयोग के लिए अपनी बहन के नाम से भी पट्टा जारी किया है, उसके नाम से एन.ओ.सी. जारी किया हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी जांच के लिए तो सहमत हो गये हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न है ? ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है वह केवल 6 महीने तक वैध रहता है। अगर आपने 6 महीने के अंदर संबंधित समिति को पट्टा जारी नहीं किया तो वह ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है तो आपने 18 माह तक उसे स्टैण्ड रखा और 18 महीनों के बाद उसी समिति को आपने पुन: पट्टा आवंटित कर दिया। यह सबसे बड़ी विसंगति है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप बताईये ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि आप जहां तक तालाबों का मत्स्य आखेट के लिए जो आवंटन की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा विभाग सीधे जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें कोऑरेटिव अधिनियम के तहत, प्रक्रिया के तहत संबंधित जो आवेदनकर्त्ता है उनको जो प्राथमिकता है, जो मछुआ नीति है उस नीति के तहत प्राथमिकता क्रम में हम उन्हें आवंटित करते हैं। इस प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय महंत जी।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को वैसे भी इस प्रकरण के बारे में बताना चाहूंगा कि चूंकि यह प्रकरण माननीय न्यायालय को भी गया था और वहां न्यायालय में भी बहुत सारे प्रकरण चल रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्यायालय वाले प्रकरण का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। केवल जो विभाग से होता है, इस विभाग के माध्यम से जो गलती हुई है मैंने उस संबंध में बात की है। ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसके बावजूद, वहां और भी तालाब हैं अगर आप उस समिति को चाहते हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, न्याय नहीं हुआ है, हम उन समिति को देने के लिए तैयार हैं। हम उनको आवंटित करेंगे। वहां पर पर्याप्त संख्या में तालाब है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो तालाब है...।

अध्यक्ष महोदय :- बाकी माननीय सदस्यों को भी प्रश्न करने दें। यह आप ही का प्रश्न है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के अधिकारी के द्वारा लिख कर दिया गया है कि यह तालाब, जल क्षेत्र आपको दिया जायेगा, उस जल क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और संबंधित अधिकारी के द्वारा उस मछुआ समिति को धमकी दी जाती है, आप यह वाला तालाब छोड़ दीजिए, हम आपको बाकी देंगे। जो 12 मासी तालाब नहीं है, जिसमें 6 महीने तक पानी रहता है, उसके बाद सूख जाता है, उसको हम लेकर क्या करेंगे ? हमको उसके साथ 12 मासी तालाब भी चाहिए ताकि हम अपने परिवार का जीवकोपार्जन कर सकें, सूखने वाले तालाब को लेकर हम लोग क्या करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो विभाग के माननीय अधिकारी ने सम्मिलित किया था, जो लिखकर दिया था उसे भी उसमें शामिल करें और आप एक समिति बनायें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूँ कि उसमें मुझे शामिल करें और वहां पर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बताईये कि आप कहां गुण्डरदेही के सदस्य हैं और जांजगीर-चांपा जांच करने जाएंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का निषाद समाज का अध्यक्ष हूँ और उस समाज का नेतृत्व करता हूँ। विधायक के नाते मैं समाज के बारे में भी उतना ही सोचता हूँ जितना मैं अपने विधान सभा के बारे में सोचता हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ काय हे, वह अयोध्या भी जा सकथे।

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी, आपक क्षेत्र नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, आप मेरी बात सुनेंगे।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वन अधिकार अधिनियम 2006 में जो अधिनियम बना है उसमें वन क्षेत्रों के समस्त, आप हंसकर इधर-उधर देखेंगे तो आप नहीं समझ पायेंगे। मुझे आपको समझाना है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन क्षेत्रों में जितने भी तालाब हैं वह अन्य विभाग को नहीं जा सकते हैं, आपके विभाग के हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग के हैं और उसमें मछली पालन का अधिकार, जल, जंगल, जमीन सबका अधिकार वहां के रहने वालों को है । आपकी जो नवीन मछली पालन नीति बनी है, उसको बनाते समय या टाईप करते समय आप एक शब्द भूल गए हैं कि यह नीति वन भूमि क्षेत्र स्थित जल क्षेत्रों को छोड़कर अन्य समस्त जल क्षेत्रों में लागू होगा । यह होने के बाद हमारे आदिवासी भाई जो 100 हेक्टेअर से ज्यादा जमीन पर वहां ठेके ले रहे हैं, उनको टेण्डर करना पड़ रहा है, वे उससे मुक्त हो जाएंगे । आप आदिवासियों से न पैसे ले सकते, न उनको टेण्डर दिला सकते, कुछ नहीं कर सकते । आदिवासी की जमीन पर जो जल क्षेत्र है, वह सिर्फ

आदिवासियों की है, मुक्त का है । जिस तरह आप तेंदूपत्ता या अन्य जितने भी पेड़-पौधे में टैक्स नहीं ले सकते, वैसे ही उसमें भी आप टैक्स नहीं ले सकते। मछली पालन नीति, 2022 में एक लाईन का संशोधन करने की जरूरत है, क्या आप संशोधन करेंगे ?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने इस बारे में पिछली बार भी यह प्रश्न किया था । यह नीति हमारे समय की बनी हुई नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- यही जवाब आपने उस समय भी दिया था । (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- मैं तो संशोधन के लिए बात कर रहा था । हमने नीति बनाई, हमसे चूक हो गई ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय नेता जी, आपकी मंशा के अनुरूप चूंकि आपने प्रश्न किया है, पिछली बार भी आपने इस बारे ध्यानाकर्षित कराया था, तब से इसे काफी संवेदनशील मानते हुए हम एक नई नीति की ओर बढ़ रहे हैं और हम उसमें नई नीति ला रहे हैं । उसमें बहुत सारी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का हमने प्रयास किया है । मैं समझता हूं कि इसमें जब बहुत जल्द हमारी नई नीति आ जाएगी तो इन सभी बातों को हम समाहित करेंगे ।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सुझाव सम्मिलित कर लीजिएगा कि वन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसी प्रश्न में आपकी प्रशंसा करने का मन हो रहा था । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2022 की जो नीति उस समय के तत्कालीन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया बोलने वाले लोगों ने बनाई है, उसके प्वाइंट और आपने जो बनाया था, उसमें मैं एक लाईन बोल देता हूं । उसका कारण है, आपकी 2022 की मछुआरा नीति में 1.5 को आप पढ़ लीजिए, मैं उसको पढ़ देता हूं । 1000 से अधिक हेक्टयर के जलाशय/बैराज मत्स्य पालन हेतु पंजीकृत व्यावसायिक संस्था/कम्पनी/फर्म/व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए आवंटित किया जाएगा, यह आपकी नीति में नई बात जोड़ी गई है । यह समुदाय आधारित थी, उस सरकार ने जब नीति बनाई, उस समय निषाद जी कुछ नहीं बोल सके थे । यह प्रश्न मैंने उठाया था, हमने इस नीति का विरोध किया था, उस समय आप भी थे । एक मात्र एलाइड सेक्टर ऐसा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग मत्स्य आखेट को कर सकते हैं चाहे कितना भी बड़ा जल क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र का हो । तत्कालीन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया सरकार ने उसमें पंजीकृत व्यावसायिक, संस्था, कम्पनी, फर्म समूह को जोड़ दिया । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि नई नीति में क्या सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के उस समुदाय को प्राथमिकता दी जाएगी ? यदि 10 हजार एकड़ में मत्स्य आखेट की क्षमता नहीं है तो क्या हम उनकी एम्पावरमेंट करेंगे और उनको देंगे ? बाहरी लोगों को मत्स्य आखेट की जो नीति छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया सरकार ने बनाई है, उसको आप तत्काल निरस्त करेंगे क्या और

उनको प्राथमिकता देंगे क्या ? यह प्रश्न मतस्य नीति पर ही है । माननीय अध्यक्ष जी, अभी वे सूखा में मांग कर रहे थे कि 6 महीने भरा रहेगा, 6 महीने खाली रहेगा, आपके समय में उसमें पट्टा राशि में राहत देने में छूट का भी प्रावधान था, मैं उसमें पढ़ सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नीतिगत विषय है, मंत्री जी इस पर बोलेंगे ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान सदस्य ने प्रश्न करके सबका ध्यानाकर्षित कराया है । हमारे कृषि एलाएड सेक्टर में मत्स्य पालन विभाग का बहुत महत्व है और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं । इन संभावनाओं को देखते हुए व्यापक स्तर पर कार्ययोजना बनाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, हमें उन योजनाओं के तहत काफी सपोर्ट मि्ल रहा है। हम आगे बढ़कर ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, ढाई साल हो गए हैं। सारी समस्या की जड़ वही है, जिसे मैंने अभी पढ़ा है। सदस्य भी मांग कर रहे थे कि आपने बाहर के लोगों को दे दिया है। आप इसमें समयबद्ध कोई 4-6 महीने में नई नीति लायेंगे, ऐसा बोल दीजिये। तुरन्त नीति लाना है, ऐसा नहीं है। परन्तु ढाई साल निकल गये हैं, आप उसको लाईये। आप लोगों को इमपावर कीजिये।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही आप सबकी भावना के अनुरूप नीति ला रहे हैं। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के हित में इसे लागू करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- यह आवश्यक है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न करना है। एक छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने बता दिया है। प्रश्न का नीतिगत जवाब दे दिया है। अब इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता है। बहुत जल्दी ले आयेंगे, पॉलिसी में परिवर्तन होगा। नहीं, अब प्रश्न नहीं भाई। आप समय देखिये आपके प्रश्न को 16 मि्नट दिया है। श्री ललित चन्द्राकर

**<u>दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा, (दुर्ग) में उपकरण क्रय में अनियमितता</u>**

[पशुधन विकास]

**2. (*क्र. 848) श्री ललित चंद्राकर** :- क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) वर्ष 2024 से 25-06-2026 तक दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अंजोरा, (दुर्ग) के दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय लाइवलीहुड सेंटर में कुल कितने उपकरण क्रय किए गए, किस माध्यम से - (टेंडर/GeM - से किए गए ? क्या क्रय समिति में डेयरी के तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य थे या नहीं ? यदि नहीं तो कारण बताएं ? (ख) प्रश्नांक 'क' के अनुसार समस्त उपकरणों की सूची मय खरीदी दर, फर्म का नाम एवं गारंटी अवधि की जानकारी दें ? किन उपकरणों की खरीदी/भुगतान पूर्व

डेमो में हुआ और किनका नहीं हुआ है ? जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांक 'ख' के अनुसार यदि हां, तो मिल्क पाश्चराइजर मशीन वर्तमान में कार्यरत है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो बिना डेमो भुगतान क्यों किया गया ? क्या दोषी पाए गये अधिकारी पर उचित कार्यवाही की गई है ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम )** : (क) वर्ष 2024 से 25-06-2026 तक दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय लाइवलीहुड सेंटर में कुल 09 उपकरण क्रय किए गए जो कि गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग (जेम)/ कोटेशन के माध्यम से क्रय किए गए। उपकरण क्रय समिति में डेयरी के 02 तकनीकी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। (ख) प्रश्नांक के अनुसार उपकरणों की सूची मय खरीदी दर, फर्म का नाम एवं गारंटी अवधि की जानकारी संलग्नक प्रपत्र अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ख के अनुसार मिल्क पाश्चराइजर मशीन क्रय नहीं होने से प्रश्नर ही उद्भूत नहीं होता है।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपसे जो प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का जवाब आया है। मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मेरा जो प्रश्न था, उसको इधर-उधर करके, प्रश्न का जो मूल भाव था, उस भाव को ही पूरा चेंज कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा में स्थित है। मैंने प्रश्न पूछा था कि द्वितीय किश्त की प्राप्त राशि से क्रय किये गये उपकरणों का उल्लेख परिशिष्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ। इन उपकरणों में प्रथम दृष्टयां अमानक, गलत तरीके से भ्रष्ट्राचार दिख रहा है। माननीय मंत्री जी, आप देख सकते हैं कि क्रमांक 1 से 6 एक ही फर्म से क्रय किया गया है, जो कि जांच का विषय है। परिशिष्ट के क्रमांक 7 से 9 कोटेशन के माध्यम से क्रय किया गया है। महोदय आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिये। आप क्या जवाब चाहते हैं, वह प्रश्न कर लीजिये।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सही जवाब है, वह दें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये मंत्री जी, आप सही जवाब दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- गलत जवाब मत दीहा महाराज, नहीं तो भस्म हो जाहा। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सदन के अंदर सही जवाब दिया है। आपको इस जवाब से कोई आपत्ति हो, कोई और तथ्य हों तो आप उन तथ्यों को सामने लाईये। हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरी बात, रामविचार जी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। प्रश्नों में भी नहीं करते और बाहर भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ओकर टीका ला देखकर छेड़छाड़ करके मरना हे का ? (हंसी)

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 'ख' के अनुसार समस्त उपकरणों की सूची खरीदी की गई फर्म का नाम एवं गारन्टी अवधि की जानकारी देवें। किन उपकरणों की खरीदी भुगतान पूर्व में देयकों से हुआ और किनका भुगतान नहीं हुआ है ?

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संबंधित निविदा के बारे में जो भी प्रश्न किया गया है, हमने उन प्रश्नों का इसमें जवाब दिया है। जहां तक प्रश्न तमाम सारी मशीनरी की बात है, ये सभी मशीनरी, उपकरण क्रय किये गये हैं, परिशिष्ट के क्रं 1 से 6 उपकरण जेम पोर्टल के इन्हीं बिड में शामि�ल थे, इसलिए एक ही कम्पनी का एल-1 आया था, इसलिए उन्हें निविदा दिया गया है।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, परिशिष्ट क्रमांक 7, 8 एवं 9 कोटेशन के माध्यम से क्रय किया गया है। जबकि पूर्व में नियम है कि जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी करना है। इसमें जो उत्तर आया है उसमें यह दिखता है, जो मशीन खरीदी किया गया है, वह एक ही दर से खरीदा गया है, उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार दिखाई देता है।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी गड़बड़ी बता रहे हैं, आप उसको लिखकर दे दीजिये। मैं समझता हूं कि हम उसके आधार पर फिर से जांच करवा लेंगे। इसमें कहीं किसी को बचाने की कोई बात ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। ठीक है।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, कुलपति जी द्वारा वहां इसमें जांच बिठायी गयी और खुद ही इसमें जांच की गई। जो प्रथम कमेटी बनायी गयी थी, उस कमेटी के द्वारा जो प्रथम खरीदी हुई, उसमें भ्रष्टाचार पाया गया है, ऐसा प्रथम दृष्ट्या दिखता है और कुलपति ने भी कहा है। लेकिन जो द्वितीय खरीदी भी हुई, उसी कमेटी के द्वारा की गयी। तो जो पहली कमेटी जो भ्रष्टाचार में शामिल किया पाया गया और उसी कमेटी से फिर दूसरी बार जब खरीदी हुई, फिर उससे खरीदी की गयी, तो क्या ऐसे जो अधिकारी है, उस पर कार्रवाई होगी? स्वतंत्र जांच समिति बनेगी?

श्री राम विचार नेताम :- देखिए, जहां तक संबंधित निविदा के बारे में आपने जानकारी चाही है, पहले के बारे में बताएं कि उसमें गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी के बाद फिर से टेंडर हुआ, निविदा निकाली गयी और निविदा में भी फिर से उसी को दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह सब तो उनके उस समय के निर्धारित जो निविदा निकाली गयी थी और वह निविदाकार उसमें एल.1 आया, तो इसलिए उसी को मिला। इसमें मैंने पहले भी बता दिया है कि जिन-जिन विषयों की ओर आपकी आशंका है या आपकी आपत्ति है, तो आप उसमें लिखित में दे दीजिए, हम उन संबंधित बिदुओं की जांच करा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी को विषय लिखकर दे दीजिए । जांच के लिए तैयार हैं। मंत्री जी को आप लिखकर दे दीजिए।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत संवेदनशील मामला है। इसी यूनिवर्सिटी से अभी 100 पदों का एक विज्ञापन निकला है और 100 पदों का जो विज्ञापन निकला है, उसमें पूरे कानून को, सरकार का जो कानून है, उसको ताक में रखते हुए विज्ञापन निकाला गया है। उसमें भी कहीं न कहीं गड़बड़ी की पूरी आशंका है। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा, क्या इस भर्ती की प्रक्रिया को सरकार के जो कानून हैं, उनके हिसाब से कराएंगे? और वहां पर एक संबंधित कर्मचारी हैं, डॉ. मनोज गेंदले, जिनका मूल कार्य शिक्षण से है, लेकिन ज्यादा वह प्रशासनिक काम करते हैं। 14 वर्ष से डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर काबिज हैं। क्या मंत्री जी इस पर कार्रवाई करेंगे और स्वतंत्र जांच एजेंसियां से इसमें जांच कराएंगे क्या?

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, आप सबको मालूम है, चूंकि यह विश्वविद्यालय का विषय है और सीधे हमारा उसमें अधिकार नहीं होता है। विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत हमें प्रदत्त जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत जो भी कार्रवाई हो सकती है, हम उसे परीक्षण कराकर पूरी कार्रवाई कराएंगे।

श्री ललित चन्द्राकर :- नहीं, मैं माननीय...।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। बहुत जवाब आ गया है। प्रश्न के संदर्भ में आपने कहा कि प्रश्न में छेड़छाड़ किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न में अवधि नहीं थी और अवधि न होने की वजह से वह अनिश्चित स्वरूप का था, उसको ग्राह्यता की परिधि में लाने के लिए उस अवधि को अंकित किया गया है, फलस्वरूप वह ग्राह्य हुआ है, नहीं तो ग्राह्यता की परिधि में नहीं आता। इसलिए उसमें ईयर मार्क किया गया है।

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, उसमें जब शुरू से लाइवलीहुड जब शुरू हुआ था...।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामविचार जी छेड़छाड़ के आरोप से बरी हो गए। (हंसी)

श्री ललित चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, उस यूनिवर्सिटी में जब लाइवलीहुड चालू हुआ था, तब से पूछा गया था। तो लाइवलीहुड वर्ष 2021-22 में शुरू हुआ था, ठीक है, उसमें डेट नहीं लिखा था, लेकिन मूल उसमें जो भाव है, वह लिखा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपका भाव ठीक है । श्री दलेश्वर साहू जी।

<u>**सहकारिता एवं निजी क्षेत्रों के लक्ष्य के विरूद्ध उर्वरकों का वितरण**</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

**3. ( *क्र. 880 ) श्री दलेश्वर साहू :** क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या दिनांक 27 फरवरी, 2026 परि. अता. प्र.सं. 43 (क्रमांक 891) के उत्तर अनुसार

सहकारिता एवं निजी क्षेत्रों को पूर्व वर्ष 2024-25 की बचत उर्वरक सम्मिलित कर एवं 12 फरवरी, 2026 के बचत जिलावार, मौसमवार निर्धारित लक्ष्य एवं उठाव की उर्वरकवार जानकारी दी गयी है ? **(ख)** 12 फरवरी, 2026 के बचत उर्वरक को सम्मिलित करते हुए सहकारिता एवं निजी क्षेत्रों में लक्ष्य की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार की किन-किन कंपनियों से कितनी-कितनी मात्रा में छत्तीसगढ़ शासन को उर्वरक प्राप्त हुआ है ? लक्ष्य एवं लक्ष्य के विरूद्ध में लक्ष्य की पूर्ति हेतु उर्वरक की आपूर्ति सहकारिता एवं निजी क्षेत्र की जिलावार मौसमवार, उर्वरकवार, कंपनीवार जानकारी देवें ? **(ग)** निजी क्षेत्रों के किन-किन होल सेलर्स को, कौन-कौन सी उर्वरक, कितनी मात्रा में प्रदान की गयी है एवं उसका प्रतिशत कितना है ? उर्वरकवार, होलसेलर्सवार, मात्रावार जानकारी देवें ?

**आदिम जाति विकास मंत्री ( श्री रामविचार नेताम ) :(क)** जी हाँ।**(ख)** केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को आवंटित उर्वरक मात्रा की आपूर्तिकर्ता कंपनीवार, उर्वरकवार, मौसमवार दिनांक 13.02.2026 से 31.03.2026 (रबी 2025-26) एवं 01.04.2026 से 30.06.2026 (खरीफ 2026) तक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** लक्ष्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु दिनांक 13.02.2026 से 31.03.2026 (रबी 2025-26) एवं 01.04.2026 से 08.07.2026 (खरीफ 2026) की सहकारी एवं निजी क्षेत्र में उर्वरकों की आपूर्ति की जिलावार, मौसमवार, कंपनीवार, उर्वरकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स, प्रपत्र-द, प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।** भारत सरकार द्वारा माहवार, उर्वरकवार, कंपनीवार आबंटन अनुसार उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों द्वारा छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केंद्रों एवं निजी थोक विक्रेताओं को उर्वरक भंडारण/आपूर्ति की जाती है। तत्पश्चात् संग्रहण केंद्रों द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों को तथा निजी थोक विक्रेताओं द्वारा निजी खुदरा विक्रेताओं को कृषकों को विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जाता है। वितरण पश्चात् विभाग द्वारा कौन-कौन से उर्वरक कितनी-कितनी मात्रा शेष है, की जानकारी संधारित की जाती है परंतु कंपनीवार शेष बचत मात्रा की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। **(ग)** निजी क्षेत्रों के होलसेलर्स को प्रदाय उर्वरकवार, जिलावार, कंपनीवार प्रदाय मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ एवं ई अनुसार है।** वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत खरीफ वर्ष 2026 में सहकारिता क्षेत्र में यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों की सामान्यतः पूर्ति अनुपात क्रमशः 70 एवं 75 प्रतिशत के आधार पर कराई जा रही है। शेष मात्रा निजी थोक विक्रेताओं को उपलब्ध कराई जा रही है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न उर्वरक की उपलब्धता के संबंध में है। इस संबंध में हमारे पूरे विधायक लोग श्री अटल श्रीवास्तव, श्री पुन्नूलाल मोहले, श्री रामकुमार यादव, श्री द्वारिकाधीश यादव, श्री लखेश्वर बघेल, डॉ. चरणदास महंत जी, श्री भूपेश बघेल, श्री अजय चंद्राकर, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती भावना बोहरा जी ने पूरा खाद के ऊपर चिंतन करके प्रश्न, आंसर-क्वेश्चन लगाया हुआ है। अगर कल इसी पर स्थगन पर चर्चा हो जाती, तो शायद इस मामले में आगामी भविष्य

में एक डिपार्टमेंट का क्लियर विश्वास हो जाता, जैसे कि मेरे उत्तर में आपने उत्तर में बताया है कि यूरिया, डी.ए.पी. की पूर्ति सहकारिता क्षेत्र में 70 एवं 75% के आधार पर की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहूंगा, मेरे उत्तर में दिया है 70 से 75%। जबकि मेरे पास आपका लेटर है, गवर्नमेंट का लेटर है, आपका विभाग का पत्र क्रमांक है, जबकि आप आवंटन में सहकारिता क्षेत्र को 48% और निजी क्षेत्र को 52% दिये हैं। यदि आप कहें तो मैं इस कागज को पटल पर रख दूंगा,  यह आपके ही विभाग से जारी पत्र है। यह विरोधाभास क्यों है? जवाब में आप 70-75% का अनुपात बताते हैं और आंतरिक रूप से पत्र में 48% और 52% का उल्लेख करते हैं। यदि आप कहें तो मैं इसे पटल पर रख देता हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं जानकारी चाहूँगा कि यह विरोधाभास और इस तरह के उत्तर क्यों दिए जा रहे हैं?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने द्वारा लगाये गये प्रश्न का मैंने इतना विस्तार से उत्तर दिया है, जिसमें लगभग 300 पृष्ठ हैं। मैं अभी खोज ही रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। जहाँ तक आप निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, दिनांक 13.07.2026 की स्थिति में प्रदेश में कुल उर्वरक भंडारण 14,06,555 मीट्रिक टन था। इसमें सहकारिता क्षेत्र में 8,97,458 मीट्रिक टन, जो कुल भंडारण का 64% है और निजी क्षेत्र में 5,09,098 मीट्रिक टन भंडारण हुआ, जो कुल भंडारण का 36% है। आप यह आँकड़े कहाँ से लाकर बात कर रहे हैं? यह प्रदेश को गुमराह करने का विषय नहीं है। हमने सदन के समक्ष पहले भी आपके स्थगन के उत्तर में जानकारी दी है और आज भी पूरे प्रदेश की जनता एवं किसानों को मैं सही-सही जानकारी दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वह सही-सही उत्तर दे रहे हैं, अब आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं [xx][2] भाषण नहीं करता हूं। मेरे पास पत्र है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- यहां [xx] शब्द उपयोग नहीं होता है। आप बोलिये कि मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने गलत तरीके से उन स्थानों पर खाद भेजी है, जहाँ न तो माँग थी और न ही लक्ष्य था। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, मनेंद्रगढ़, जयपुर और कोंडागाँव जैसे इलाकों में जहाँ माँग 5 की थी, वहाँ आपने 25 भेज दी और जहाँ 10 की माँग थी, वहाँ 50 भेज दी। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह विभाग शायद मंत्री जी की समझ से बाहर है। यदि कल इस पर चर्चा हो गई होती तो सभी लोगों को खाद वितरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो जाती।

श्री रामविचार नेताम :- भाई, आप ज्यादा चर्चा करा लिए, इसीलिए तो उधर चले गए।

---

[2] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, जहाँ मांग नहीं है और आपने लक्ष्य से अधिक खाद भिजवाया है, क्या आप उसकी जांच समिति के माध्यम से जांच करवाएंगे? मैं यह चाहता हूँ कि आपको मजा आयेगा, (हंसी) पारदर्शिता के आधार पर आपको क्लियर पता चलेगा। मार्फेड भंडारण करता है, सहकारी समितियाँ वितरण करती हैं और लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं तो नियंत्रण किसका है? मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए। मैं आपको बताऊंगा कि खाद कहाँ गई और किस कंपनी को गई। आपके पास कंपनी पर नियंत्रण ही नहीं है। एक डायरेक्टर कहता है कि मार्फेड बताएगा और मार्फेड कहता है कि कृषि सहकारी समिति जानेगी। वास्तव में यह काम कौन कर रहा है? कंपनी पर किसका नियंत्रण है? यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको वास्तविक जानकारी बता देता हूँ कि खाद कहाँ-कहाँ गई है। आप जांच करा लीजिएगा।

श्री रामविचार नेताम :- देखिये, जहाँ तक आप आरोप लगा रहे हैं। ट्राइबल क्षेत्रों के बारे में हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारे जो शेड्यूल एरिया, चाहे बस्तर हो या सरगुजा हो, यहाँ बहुत कम खाद पहुँच पाती थी। पहली बार हमारी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उन क्षेत्रों में आपूर्ति पहले की है। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जहाँ तक मैदानी क्षेत्रों की बात है, वहाँ हमारा Commitment है ही। अधिकांश रेक पॉइंट इन्हीं क्षेत्रों में हैं, इसलिए यहाँ से उठाव में कोई दिक्कत नहीं होनी है और खाद समय पर उपलब्ध हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य कंपनी के नियंत्रण की बात कर रहे हैं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और यहां तमाम सारे वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इन कंपनियों का नियंत्रण यहाँ से नहीं किया जाता। हम भारत सरकार को जो प्लान भेजते हैं, उसके आधार पर किन-किन कंपनियों को यहां छत्तीसगढ़ में देना है, वह आवंटन वहां से होता है। अब हमें किस रेक पॉइंट में किस कंपनी का रेक लग रहा है, कौन सी खाद कहां पर आ रही है, यह आने के बाद हम यहां से प्लॉनिंग करते हैं कि किन क्षेत्रों में हमें पहले प्राथमिकता देनी है । यह भी पहले नहीं होता था । हमने इस बार व्यवस्था किया है कि हम छत्तीसगढ़ के मुख्यालय से आदेश करेंगे और उसके आधार पर हम किसानों को जो जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक हम वहां पर खाद पहुंचायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, पर्याप्त हो गया । जवाब आ गया ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि गलत जगह जो खाद गई है, क्या उसकी जॉच करायेंगे ? मैं इतना ही चाह रहा हूँ, आप केवल जॉच तो करा लीजिए, मंत्री ? जहां जरूरत नहीं है, लक्ष्य के विरूद्ध में एकाध गुना ज्यादा होता तो बात अलग है, डेढ़-डेढ़, दो-दो गुना, चार-चारय गुना, 50 परशेंट से ज्यादा अगर किसी लक्ष्य के विरूद्ध में खाद देते हो तो उसके लिये जॉच करायेंगे क्या ?

श्री रामविचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, जॉच का तो औचित्य ही नहीं है । आप जो तथ्य रख रहे हैं, वह गलत है । आप उसे तोड़-मरोड़कर रख रहे हैं । मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति में आप अपनी जानकारी को अपडेट करिये और उस आधार पर प्रश्न करेंगे तो मैं उसका जवाब दूँगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी...।

अध्यक्ष महोदय :- आ गया, आ गया, बहुत जवाब आ गया । श्री भूपेश बघेल क्रमांक 4 ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, जॉच करवा दीजिएगा । यह बिल्कुल क्लियर है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी औचित्य नहीं है, बोल रहे हैं । भूपेश जी, आप प्रश्न करें ।

श्री दिलीप लहरिया :- बाद में ब्लैक में लाया जायेगा, ऐसा है । औचित्य वही है ।

**फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों के आधार पर उद्योग स्थापना एवं दोषियों पर कार्रवाई**

[आवास एवं पर्यावरण]

**4. ( *क्र. 164 ) श्री भूपेश बघेल** : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि जनपद पंचायत तिल्दा के ग्राम अलदा में 'बालाजी स्पंज एवं आयरन लिमिटेड' तथा ग्राम देवरी-घुलघुल में 'अग्रसेन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड' की स्थापना, विस्तार, पर्यावरण NOC या भूमि आबंटन/डायवर्सन हेतु ग्रामसभा प्रस्ताव शासन को मिले ? यदि हाँ, तो कम्पनियों के पक्ष में किस कार्य हेतु, किस तिथि को प्रस्ताव प्राप्त हुए ? (ख) क्या ग्राम अलदा की ग्रामसभा प्रस्ताव में जालसाजी की शिकायत पर CEO, जनपद पंचायत, तिल्दा तथा तहसीलदार की संयुक्त समिति ने जांच की ? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन किस तिथि को सौंपा गया और उसमें क्या पाया गया ? प्रतिवेदन की प्रति देवें ? (ग) जांच के आधार पर दिनांक 17.06.2026 तक कम्पनियों के प्रबंधकों, संलिप्त अधिकारियों व दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई ? (घ) सरकार कूटरचित प्रस्तावों के आधार पर जारी समस्त स्वीकृतियां निरस्त कर दोषियों के विरूद्ध कब तक ठोस कार्रवाई करेगी ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी )** : (क)मेसर्स बालाजी स्पंज एण्ड आयरन लिमिटेड, ग्राम-आल्दा, जिला-रायपुर एवं मेसर्स अग्रेसन स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-देवरी-घुलघुल, जिला-रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सम्मति प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। अत: ग्रामसभा प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।(ख)जी, हॉ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, जनपद पंचायत तिल्दा के ग्राम अल्दा की ग्रामसभा प्रस्ताव में जालसाजी की शिकायत पर

तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तिल्दा तथा तत्कालीन नायब तहसीलदार व तत्कालीन तहसीलदार तिल्दा नेवरा की त्रि-सदस्यीय संयुक्त समिति ने दिनांक 06.06.2025 को जांच की। उक्त जांच प्रतिवेदन 30.06.2025 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तिल्दा जिला रायपुर को प्रेषित किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सभा में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये जाने तथा कार्यवाही पंजी में अंतिम दो लाईन किसके द्वारा लिखी गयी है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होने का उल्लेख है। जानकारी संलग्न प्रपत्र[3] अनुसार है।(ग)पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी तिल्दा-नेवरा जिला रायपुर द्वारा ग्राम पंचायत अल्दा के प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना तिल्दा-नेवरा में लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 0279 दिनांक 22.06.2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है।(घ) "छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के नियम के अनुसार ग्राम पंचायत की अनापत्ति के बग़ैर इनवायमेंटल सेफगार्ड्स/स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति हेतु छत्तीसगढ़ पर्यवरण संरक्षण मंडल में आवेदन नहीं किया गया है, अत: ऐसी स्वीकृतियां जारी नहीं की गई है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह तिल्दा-नेवरा ब्लॉक के ग्राम अलदा, घुलघुल, देवरी के जमीन आवंटन का मामला है और इसमें कई विभाग है, क्योंकि गांव का मामला है । चूँकि जमीन का मामला है तो राजस्व विभाग हो गया, पंचायत का प्रस्ताव है तो पंचायत विभाग हो गया, आवंटन उद्योग विभाग ने किया है तो उद्योग विभाग भी है, पर्यावरण स्वीकृति आपका अंतिम है, लेकिन प्रश्न पर्यावरण मंत्री जी से है । माननीय अध्यक्ष महोदय, अलदा गांव में जो जमीन आवंटन की बात हुई थी, ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव है, उसमें दो अतिरिक्त लाईन जोड़ी गई है और इसकी शिकायत गांववालों ने की है तथा तीन अधिकारियों के द्वारा जॉच रिपोर्ट सौंपी गई है । अध्यक्ष महोदय, जॉच रिपोर्ट कब सौंपी गई और उस आधार पर एफ.आई.आर.कब किया गया, एफ.आई.आर. में किनका-किनका नाम है, कृपया यह बता दें ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्माननीय सदस्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि इस पूरे मामले में अनेक विभागों की भूमिका है और अनेक विभागों का कार्य इसमें सम्मिलित है । मैं आपके बिन्दु पर भी आऊँगा, लेकिन पर्यावरण विभाग की दृष्टि से दो स्टेज का परमिशन होता है । टी.ओ.आर. टर्म्स ऑफ रिफरेंस जारी होता है, वह शुरूआती होता है और जो सेकण्ड फेस होता है, वह इन्वायर्नमेंटल सेफ गार्ड का होता है । जब इन्वायर्नमेंटल सेफ गार्ड जब जारी हो जाता है, तभी कोई इंडस्ट्री उसे लगाने का काम चालू कर सकती है और हमारे यहां जो नियम बने हैं, उसमें इन्वायर्नमेंटल सेफगार्ड के पहले ग्राम पंचायत के प्रस्ताव जरूरी हैं । अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य

[3] परिशिष्ट तीन

ने जिस उद्योग के संबंध में प्रश्न किया है, उसमें कोई इन्वायर्नमेंटल सेफगार्ड भी जारी नहीं हुआ है, उसके लिये उस कंपनी के द्वारा कोई आवेदन भी नहीं दिया गया है और ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव इन्वायर्नमेंट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । अध्यक्ष महोदय, हमारे बोर्ड के समक्ष कोई विषय आया नहीं है, लेकिन सम्माननीय सदस्य ने जैसा कहा है कि जब इस बारे में विधान सभा के माध्यम से उनका प्रश्न आया तो हम लोगों ने पंचायत विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी तो उसमें निश्चित रूप से शिकायत भी हुई थी कि लोगों ने गलत तरीके से ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित किया है । यह शिकायत भी हुई थी और एस.डी.एम. के माध्यम सये सी.ई.ओ. जनपद पंचायत, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, जैसा कि सम्माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है, त्रिसदस्यीय कमेटी बनी है और कमेटी बनने के बाद उसने जॉच किया है, जॉच करने के बाद एफ.आई.आर. भी उस पर दर्ज किया गया है, लेकिन जो जॉच की गई थी, वह 6 जून 2025 का है । मैंने यह भी जानकारी लिया था और इसमें जो तिल्दा-नेवरा थाने में एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है, वह 22 जून 2026 का है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा कि किनके-किनके खिलाफ है, उसका भी उत्तर दे दीजिए ना ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी जानकारी थाने से मंगाई है, थाने से जो प्राप्त जानकारी और ओवरऑल पंचायत विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें जो बिना नाम वाला एफ.आई.आर. होती है, वह दर्ज किया गया है और पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। अज्ञात के नाम से एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, क्योंकि यहां पर जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट स्पष्ट कहता है कि वहां पर चर्चा की गई थी कि यह प्रस्ताव पारित नहीं करना है, इस तरह की बात जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखती है । लेकिन लास्ट में दो लाइन प्रस्ताव पारित होने का लिखा गया है, यह भी जांच रिपोर्ट कहता है। जो दो लाइन लिखा गया है, जांच रिपोर्ट में जो गलत तरीके से पाया गया है, उसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात के नाम से एफ.आई.आर. दर्ज की है। पुलिस विभाग के माध्यम से, थाने के माध्यम से इसकी विवेचना की जा रही है और जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, आपने राजस्व विभाग, गृह विभाग, उद्योग विभाग, सारे विभागों का जवाब दिया और अपने विभाग में आज आपने संशोधित उत्तर दिया है। बजत विभाग के उत्तर तो ठीक दे रहे हैं, लेकिन आपने अपने विभाग में संशोधित उत्तर दिया है और आपने मौखिक उत्तर में इसका उल्लेख भी किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है, मंत्री जी कह रहे हैं कि अज्ञात के खिलाफ एफ.आई.आर. हुई है। सवाल उठता है कि पंचायत का जो पंजीयन रजिस्टर है, वह तो सचिव के पास रहता है। वह सरपंच के देखरेख में रहता है तो अज्ञात कैसे? प्राथमिकी तो सरपंच और सचिव के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि आपने 1 साल से एफ.आई.आर. नहीं की है, प्रतिवेदन आने के बाद 1 साल

लगा, उसके पहले और लड़ाई चलती रही। उसके बाद जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके 1 साल बाद एफ.आई.आर. हुई। एफ.आई.आर. हुई तो वह भी अज्ञात के खिलाफ हुई। भाई, आप सरपंच को क्यों बचा रहे हैं, सचिव को क्यों बचा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, ये जो दो कंपनी हैं जिसको जमीन अलॉट हुई है, वही तो लाभार्थी हैं। जब तक इनके नाम नहीं लाएंगे, तब तक आप जांच कैसे करेंगे ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इसको निश्चित रूप से संज्ञान में ली है, तभी एस.डी.एम. के आदेश पर पंचायत विभाग और राजस्व विभाग को जोड़ते हुए जांच कमेटी भी बनी है, जांच रिपोर्ट भी आ गई है। जांच रिपोर्ट भी सम्माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है, सम्माननीय सदस्य को दिया गया है और इस पर पुलिस ने एफ.आई.आर. भी दर्ज की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को, सम्माननीय सदन को कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग इसकी विवेचना कर रही है और इस विवेचना में अगर सरपंच दोषी होगा तो सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर सचिव दोषी होगा विवेचना में आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी कोई किया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विवेचना में जो आएगा, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पुलिस विभाग इसकी विवेचना कर रही है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपने कार्रवाई के लिए जिस-जिस बिन्दु को ध्यानाकर्षित किया था, उसका पर्याप्त उत्तर आ गया।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त उत्तर नहीं आया है। मैं निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- एक छोटा प्रश्न और कर लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बिन्दु में आ रहा हूं। मंत्री जी सही जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मेसर्स बालाजी स्पंज आयरन लिमिटेड और मेसर्स अग्रसेन स्टील एंड पावर लिमिटेड, क्या इनको जमीन आवंटित हुई है? क्या उस जमीन का डायवर्सन हो गया है? चूंकि सारी शिकायतें हो गई हैं, थाना में एफ.आई.आर. दर्ज हो गया है, क्या मंत्री जी यहां घोषणा करेंगे कि उस आवंटन को निरस्त करते हुए इनके खिलाफ एफ.आई.आर. करेंगे?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जमीन आवंटन के बारे में सम्माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, जमीन आवंटन का काम राजस्व और उद्योग विभाग के माध्यम से होता है और जो भी इसमें विषय होगा, मैंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से एनवायरमेंट सेफगार्ड जो जारी होता है, जब तक ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं आएगा, एनवायरमेंट सेफगार्ड कभी किसी भी हालत में जारी नहीं होता है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे पूछा क्या आवंटन निरस्त करेंगे? क्योंकि आप पूरी सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे विभाग इन्वॉल्व हैं। आप बहुत सक्षम मंत्री हैं, विद्वान मंत्री हैं। आप आई.ए.एस. रह चुके हैं, कलेक्टर रह चुके हैं, आपको जानकारी है। सबसे पहली बात आप निरस्त करेंगे क्या? पंचायत के सरपंच और सचिव, साथ ही ये दोनों उद्योग के जो लाभार्थी हैं, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. करेंगे?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी नियम प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, जिस विभाग से भी संबंधित होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उस पर निश्चित रूप से उचित कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी और जो भी गलत होगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. करने में एक साल लग गया। गांव वालों ने आंदोलन किया, तब एफ.आई.आर. हुई है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर कब तक कार्रवाई होगी? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, क्या वर्ष 2047 में कार्रवाई होगी?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, गांव के सरपंच व सचिव को बचाने की कोशिश हो रही है। उनके द्वारा बंदरबांट किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- अध्यक्ष महोदय, सदन को बार-बार गुमराह किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

**(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये)**

समय :
11.40 बजे

**बहिर्गमन**

**भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में.**

(नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

**तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)**

**नवा रायपुर स्थित सेवाग्राम की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति**

[आवास एवं पर्यावरण]

**5. (*क्र. 481) श्री अजय चंद्राकर** : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नवा रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाने का निर्णय कब लिया गया? उसके

उद्देश्य क्या हैं? उसके अंतर्गत क्या-क्या कार्य किया जाना है? कितनी राशि का बजट प्रावधान रखा गया है? कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये व्यय की जा चुकी है? 15 जून, 2026 तक उसकी भौतिक स्थिति क्या है? निर्धारित समयावधि में कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है? यदि अपूर्ण है तो उसके कारण व दोषी कौन है? उसके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? (ख) क्या उक्त सेवाग्राम के संचालन हेतु सेटअप स्वीकृत किया गया? यदि हां, तो किन-किन कार्यो के लिये कितने पदों की स्वीकृति दी गयी है?

**वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी)** : (क) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण अंतर्गत नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाने का निर्णय दिनांक 10 मार्च, 2022 को लिया गया। प्रस्तावित सेवा ग्राम का उद्देश्य आजादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धान्तों व आदर्शों तथा महात्मा गांधी जी की आत्मनिर्भर की राम-राज्य की संकल्पना को अक्षुण्य रखना तथा भावी पीढ़ी को उन मूल्यों की जानकारी देना तथा संस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं 'आत्मनिर्भर ग्राम की कल्पना को साकार करने हेतु कारीगरों के प्रशिक्षण करना है। इसके अंतर्गत बायोडायवर्सीटी पार्क, इकोलॉजिकल पॉण्ड, विजिटर सेन्टर प्रेपर हाल, म्यूजियम/एक्जीबिशन-हॉल/ गैलरी, लायब्रेरी, स्थानीय क्राफ्ट की दुकानें, एम्पीथियेटर, सेवाश्रम-रिहायशी क्षेत्र यथा प्रशिक्षु के निवास, आर्टिस्ट के निवास, कामन किचन एवं चिकित्सालय, क्लासरूम एवं वर्कशाप, फ्रीडम वॉक एवं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया जैसे कार्य किया जाना है। फेस-1 एवं फेस-2 अंतर्गत उक्त कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 208.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू. 60.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू. 61.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। मल्टीपरपज डाईनिग हॉल, सामुदायिक किचन एवं प्रसाधन कक्ष का निर्माण में रू. 3.72 करोड़ का व्यय हुआ है। बायोडायवर्सीटी पार्क, इकोलॉजिकल पॉण्ड, विजिटर सेन्टर प्रेयर हॉल, गैलरी, म्यूजियम/एक्जीबिशन हॉल/लायब्रेरी, स्थानीय क्राफ्ट की दुकाने, एम्पीथियेटर, सेवाश्रम-रिहायशी क्षेत्र यथा प्रशिक्षु के निवास आर्टिस्ट के निवास, चिकित्सालय, क्लासरूम एवं वर्कशाप, फ्रीडम वॉक इत्यादि के निर्माण कार्य में रू. 104.05 करोड़ का व्यय हुआ है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के बजट के अंतर्गत प्रावधानित सभी कार्य पूर्ण हो चुके है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सेवाग्राम के संचालन एवं विकास के लिए फेस-3 अंतर्गत रू. 15.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। जिसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।" (ख) सेवाग्राम के संचालन हेतु सेटअप स्वीकृत नहीं किया गया है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन छत्तीसगढ़िया सरकार के मुखिया रहते तो इस प्रश्न को पूछने में और मजा आता। नवा रायपुर स्थित सेवाग्राम की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति में मेरा एक प्रश्न है। मैं आपको बिना समय खराब किए एक लाइन में इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं। पिछली सरकार में बिना किसी उसके लोक धन का कैसे दुरुपयोग किया गया, उसके मैं आपको एक-दो

उदाहरण बता देता हूं। एनआरडीए में इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल, अब जैसे यदि उसको 700 लोगों की क्षमता का बना रहे हैं तो उसके हॉस्टल को 350 लोगों की क्षमता का बनाया गया है। वह कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, उसको कोई नहीं जानता। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी बनाकर उसमें 22 करोड़ रूपये खर्च कर दिए गए। लेकिन वह कैसे चलेगी, उसको अभी भगवान नहीं जानते। अब उसी क्रम में यह सेवाग्राम आया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सेवाग्राम के लिए आपने लगभग 129 करोड़ रूपये स्वीकृत किए, जिसमें 104 करोड़ रूपये व्यय हो गये। तो यह सेवाग्राम क्या चीज है? आपने लिखा है कि यह किया जाएगा, वह किया जाएगा, लेकिन क्या किया जाएगा, यह नहीं बताया है। अब इसमें आपने रामराज्य भी लिखा है तो रामराज्य कैसा था, उसमें हम कल चर्चा कर लेंगे। रामराज्य कैसा था, उसमें आज चर्चा नहीं करते।

श्री रामकुमार यादव :- राम के नाम झन लो। ओकर मंदिर ले चोरी कर लेहो ता बजरंगबली रिसाए हे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह लिखा है कि आजादी की लड़ाई, विजिटर प्लेयर्स, कलाकार रहेंगे। तो कलाकार नेता प्रतिपक्ष जी भी हैं, क्या वह रहेंगे या यादव जी भी कलाकार हैं, दिलीप लहरिया जी, कुवर सिंह निषाद जी, ये सब कलाकार हैं।

श्री भूपेश बघेल :- ये लोग तो व्यक्तिगत रूप से कलाकार हैं, आपका तो पूरा खानदान कलाकार है। पूरा खानदान। (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- फर्जी कलाकार कौन है, ये भी बता दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- यह बात तो सही है, लेकिन उस खानदान के अमर लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। उन्हीं की छत्रछाया में आप पलें-बढ़ें, उन्हीं से राजनीति सीखी।

श्री भूपेश बघेल :- लो भला, अभी उन्होंने दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न किया था।

श्री अजय चंद्राकर :- दाऊ वासुदेव चंद्राकर के बाद और भी बहुत सारे कलाकार हैं, महासिंग दाऊ का आपने क्या किया? बता दीजिए, वे भी मेरे रिश्तेदार हैं, उन्हीं के भाई थे। लक्ष्मण जी के लिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों इस प्रकार बातें करते रहेंगे तो क्या यह उचित है? (हंसी) मंत्री जी बैठे हैं, आपको जो बोलना है आसंदी के माध्यम से बोलिए और कृपया आप प्रश्न करिए। विवरण बहुत हो गया, प्रश्न में आइए।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, ये सब खानदान में उलझ गए। (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक कलाकार हमारे अनुज शर्मा जी हैं, उनको तो आप मंत्रिमंडल में ले नहीं रहे हैं और कलाकार बन रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में पूरा खानदान का विषय आ रहा है। ये आपस में अलग से बैठकर बात कर लें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कलाकारी की बात छोड़िए। ये दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों के दोनों कलाकार हैं। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, इसका मैं खंडन कर देता हूं कि हम रिश्तेदार नहीं हैं, परंतु उनके चाचा जी मेरे गुरू हैं, यह मैं स्वीकार करता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- गुरु हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- जी-जी, उनके चाचा जी मेरे गुरू हैं।

अध्यक्ष महोदय :- गुरू भाई हो गए। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- ये कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी उनसे मिलिएगा। वह बहुत ऊंचे दर्जे के आदमी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप प्रश्न में आइए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, इसका अभिप्राय क्या था? इसको बनाने के उद्देश्य क्या थे? इतनी राशि व्यय की गई तो बाकी शेष राशि का क्या उपयोग होगा? स्पेसिफिक जैसे कुछ शब्दों में आपने फ्रीडम वॉक एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया लिखा है तो इसका मतलब क्या है? यह बताइये, थोड़ा समझाइये। रामराज्य की संकल्पना तो रामराज्य क्या है? मतलब आप उसमें कुछ भी एक लाइन लिख देंगे और राज्य के सवा सौ करोड़ रुपये फूंक देंगे। यह तो अस्वीकार्य है। या तो आप एक-दो कांसेप्ट्स को बताइये। इस बात को सदन जानना चाहता है, फिर मैं आगे पूछूंगा या नहीं तो आप पूरे कांसेप्ट को बाद में रखेंगे, जिसके कारण राज्य के सवा सौ करोड़ रुपये फूंके गये। आप यह बताइए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सेवाग्राम का पूरा प्रोजेक्ट है, यह पिछली सरकार के समय का विषय है और उस समय ये बातें लिखी गई थीं, यह कांसेप्ट लिखे गए थे, जिसके अंतर्गत आजादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों तथा महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर रामराज्य की संकल्पना को अक्षुण्ण रखने, भावी पीढ़ी को उन मूल्यों की जानकारी देने, यह सब लिखा गया था। परंतु यह कुछ बातें, कुछ लाइन लिखने के अलावा इस पर कोई कंक्रीट और कोई डॉक्यूमेंट पिछली सरकार के समय की फाइलों में नहीं मिला, उसे मैंने निकलवाया था। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बहुत सारे काम अधूरे भी पड़े हुए थे । जो भी आधा-अधूरा काम था तो मैंने उसको तत्काल तेजी से पूरा कराने की कोशिश की और काम तेजी से पूरा हुआ है। निश्चित रूप से इसमें आगे कैसे चलेगा, क्या होगा, किस तरह संचालन होगा, इस पर कोई डिटेलिंग नहीं थी। लेकिन हमने इसको ध्यान देते हुए प्रयास किया है कि देश के ख्याति लब्ध जो संस्थान हैं, चाहे नानाजी देशमुख द्वारा

स्थापित चित्रकूट में संचालित संस्थान है या श्री श्री रविशंकर जी द्वारा संचालित संस्थान है, इस तरह के संस्थानों को भी हम अलग-अलग दसों प्रकार के संस्थानों से कांटेक्ट किए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, अभी मैं इसमें आया नहीं हूं। इसमें कैसे संचालित करेंगे, मैंने कहां पूछा है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- उस दृष्टिकोण से अब उसका अच्छा उपयोग हो, यह कोशिश करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह विषय है कि मैंने और दो संस्थाओं का नाम लिया । इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में 49-50 करोड़ रूपये खर्च कर दिए गए, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कौन चलाएगा, कोई सेटअप नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी में 27 करोड़ रूपये फूंक दिए गए, वह कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, कोई सेटअप स्वीकृत नहीं है। सेवाग्राम में 129 करोड़ में 104 करोड़ रूपये खर्च कर दिये गये, एक अरब से ऊपर की राशि खर्च कर दी गयी, कांसेप्ट पेपर में कोई लाइन नहीं है। क्या गांधी जी का रामराज्य है ? मतलब कोई कांसेप्ट पेपर, कोई दृष्टिकोण, दस्तावेज कुछ नहीं है। क्या इस तरह से आउटसोर्सिंग करने के लिए हमने 200 करोड़ रूपये से ऊपर खर्च कर दिये? आप वित्त मंत्री हैं इसलिए मैंने पूछा, आप एन.आर.डी.ए. के भी मंत्री हैं। क्या ऐसी राशि खर्च की जा सकती है कि बिना कांसेप्ट पेपर के, बिना सेटअप के, बिना कोई दृष्टिकोण के इतनी राशि खर्च कर दी गई? उसको चलाने के लिए अभी तक कोई सिस्टम तय नहीं है। तीनों संस्थाओं के नहीं है। प्रश्न तो एक ही में है। क्या यह अनियमितता की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, यह बताइए? क्या यह बिजनेस रूल के खिलाफ है कि नहीं है, यह बताइए? जो वित्तीय बजट अधिनियम है, उसके खिलाफ है कि नहीं है, यह मुझको बताइए?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सम्माननीय सदस्य ने एक और संस्था, इंटरनेशनल स्कूल का जिक्र किया । वह भी काफी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला प्रोजेक्ट रहा है। वह भी पिछली सरकार के समय का ही है और उसका भी संचालन कैसे होगा, जैसे सम्माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, वह निश्चित रूप से बड़ी चिंता है। जब भी हम सरकारी बजट का प्रयोग करते हैं, जब भी हम लोक धन का उपयोग करते हैं, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे आए, आउटकम कैसे आए, उस दिशा में हमको सोच करके उपयोग करना चाहिए और नियमों में भी इस तरह की बातें निश्चित रूप से हैं। हमारी सरकार आने के बाद, चाहे सेवाग्राम हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं, यह आप कैसे चलाएंगे, मैं बाद में पूछूंगा। आपने स्वीकार किया कि लोकधन में आउटकम का ध्यान रखा जाता है। मैंने वही पूछा कि आपके बजट अधिनियम में, आपके बिजनेस रूल में, आपके 200 करोड़ रूपये में मान लीजिए 129 करोड़ रूपये बिना किसी योजना के खर्च कर दिये जाये, तो इस पर कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है? किन-किन नियमों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है? यह मैं पहले जानना चाहता हूं, फिर आप संचालन कैसे करेंगे, उसको पूछूंगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में सारे रूल्स-रेगुलेशन जो भी हैं, मैं सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं, मुझको उपलब्ध मत कराइये, इसको प्रदेश जानना चाहता है। 200 करोड़ रूपये किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता के नहीं खर्च किया जा सकता। किसी की इच्छा सम्मान करने के लिए लोक धन नहीं है। आप अभी बताइए। आपसे आग्रह है, आप बता सकते हैं कि यह अनियमितता की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है और जिम्मेदार अधिकारी या लोक सेवक जो भी रहे, क्या आप ऐसे दुरुपयोग में कोई कार्रवाई करेंगे?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रोजेक्ट जो सम्माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तीन प्रोजेक्ट गिनाये। एक आपके बाहर है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जी। सम्माननीय सदस्य ने तीन प्रोजेक्ट की चर्चा की है। तीनों के तीनों पिछली सरकार के समय के विषय हैं और निश्चित रूप से मैंने जैसा कहा कि जो भी नियम-कानून उपलब्ध है, मैं सम्माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा दूंगा और निश्चित रूप से कोई भी लोक धन का व्यय करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोकहित उससे सुनिश्चित होना चाहिए। पिछली सरकार के समय क्या सोचकर उसको बनाया गया, क्या सोचकर किया गया, वह मैं नहीं जानता। लेकिन फिर आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उसका बेस्ट उपयोग कैसे हो सकता है, हमारी सरकार के अलग-अलग विभाग उस पर जरूर प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के माध्यम से उस स्कूल का संचालन होना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप ठीक बोल रहे हैं। आप मेरा ध्यान दिलायेंगे, चलेगा, वह सब चीजें ठीक है। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, आप सिर्फ उसको बता दीजिए कि क्या बिना सेटअप, बिना योजना, बिना किसी उद्देश्य के एक नाम में सेवाग्राम बनेगा, इसमें 200 करोड़ रूपये किन नियमों के तहत खर्च किये गये, वह नियम आप मुझे क्यों उपलब्ध करायेंगे ? आप तो ज्ञानी हैं। मैं भी आपको ज्ञानी मानता हूं। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं । जिम्मेदार लोगों के ऊपर उसमें क्या कार्रवाई बनती है? उसमें आपका बजट अधिनियम क्या बोलता है? आपके सिस्टम क्या बोलते हैं? बिजिनेश रूल बोला कि हम सेवाग्राम बनायेंगे। हमने स्कूल में और उसमें जनता का 200 करोड़ रुपया फूक दिया और कहेंगे कि हम नियम बाद में बतायेंगे तो हाउस, विधान सभा किसलिये है? विधान सभा इसीलिये है कि जनता के सामने ये आये और इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में मत हो। शासन जनता की इच्छाओं का सम्मान करे, किसी एक व्यक्ति की इच्छा का सम्मान करना शासन नहीं है। आप यह

बताईये कि क्या आप इसको सुनिश्चित करेंगे? जांच और सुनिश्चित कार्रवाई कि भविष्य में ये न हो और यदि नियम में नहीं है तो इसको सुधारा जायेगा, ये कुछ कांक्रीट घोषणा कीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वेच्छाचारिता, एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता ये सब बातें आ रही हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसमें स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं ? अभी तो प्रश्नोत्तर चल रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से ही बोल रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ है।

श्री भूपेश बघेल :- मैं अध्यक्ष जी से अनुमति लिया और मैं बोल रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं पूछ रहा हूं। मेरा उत्तर आ जाये। मैंने किसी का नाम नहीं लिया हूं, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया हूं।

श्री भूपेश बघेल :- मैं अध्यक्ष जी से अनुमति लिया हूं, आपसे अनुमति नहीं लिया हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने बात तो बिजनेश रूल पूछा, नियम प्रक्रिया पूछा। स्वेच्छाचारिता कोई असंसदीय भी नहीं है, यदि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा ज्ञान होने से बहुत तकलीफ होती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके ज्ञान को तो 200 करोड़ को प्रदेश भुगत रहा है। आप मेरे ज्ञान को छोड़िये।

श्री भूपेश बघेल :- आपको वही जानकारी दे रहा हूं, आपको स्मरण दिला रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी हैं, मैं उनसे जानकारी लूंगा। उसके बाद मैं किसी और से जानकारी लूंगा। और किसी प्रक्रिया में आकर स्पष्टीकरण दें।

श्री भूपेश बघेल :- मैं आपको बता ही नहीं रहा हूं। मैं तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से खड़ा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप खड़े किस प्रक्रिया में हैं ? मेरा चल रहा है, फिर आप खड़े किस प्रक्रिया में हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से खड़ा हूं और अध्यक्ष जी ने अनुमति दी है। आप टोकने वाले कौन होते हैं ? मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से खड़ा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं भी उसी तरफ देखकर बात कर रहा हूं, किसी दूसरी तर फ देखकर बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप..।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी, जवाब दे दीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास मंहत) :- अभी ओकर कका गुरू रहिस हे, अब वो हो गये दुश्मन।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा प्रश्न चल रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, अब जवाब सुनिये।

श्री भूपेश बघेल :- आप टोकिये तो सब ठीक है, किसी प्रश्न में खड़े हो जायें, ये इनका अधिकार है। इनके प्रश्न में कोई खड़ा हो जाये तो इनको आपत्ति हो जाती है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम लोग कभी आपको नहीं टोके हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कृपया आप लोग बैठिये। आप जवाब दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- यह बार-बार क्यों खड़ा हो जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- भूपेश जी, कृपया बैठिये। चलिये, माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाये। प्रश्न बहुत देर हो गया है, आप जवाब दीजिए।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि जो भी सारे रूल्स मैं सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा और बिजनेश रूप के जो भी वायलेशन होंगे, उसको भविष्य में भी कोई दूसरी सरकार भी न करे, इस तरह की कोई मिसटेक न हो, इस तरह की गलतियां न हों, गड़बड़ियां न हों, उसके लिये भी हम प्रयास करेंगे। और इसका बेहतर संचालन कैसे हो, जैसे स्कूल की बात आई है, वह शिक्षा विभाग का प्रोजेक्ट था, उसमें एन.आर.डी.ए. एजेंसी थी तो स्कूल शिक्षा विभाग भी उसकी चिंता करेगा। सेवाग्राम कैसे संचालित हो, उसकी चिंता एन.आर.डी.ए. करेगा। टेनिस एकेडमी की भी बात आई है, उसकी चिंता खेल विभाग करेगा। अच्छे तरीके से संचालित करके ज्यादा से ज्यादा लोकहित में आउट कम आये, परिणाम आये, इसकी जरूर चिंता करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी एक लाईन यह बोल रहा हूं कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना सेटअप, बिना उद्देश्य, बिना कार्य के भविष्य में नियम में ऐसा प्रावधान करेंगे कि इस तरह की राशि व्यय न की जा सके, क्या ये करेंगे ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सम्माननीय सदस्य को जो कंसर्न है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, लोकधन का सही उपयोग होना चाहिए और इस संबंध में कोई भी प्रोजेक्ट स्पष्ट कंक्रीट प्लानिंग के साथ आये, इस दिशा में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे और जरूर स्टेप लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप किसी को भी मौका दें, मुझे आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आशाराम नेताम जी।

## स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों का वेतन भुगतान

[वित्त]

**6. ( *क्र. 1033 ) श्री आशा राम नेताम** : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों को शासन द्वारा प्रदत्त वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण (Short Term Loan) प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें ? (ख) क्या स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों को अनुदान मद से वेतन/भत्तों का भुगतान करने के कारण कर्मचारियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? (ग) क्या शासन प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान मद की जगह ई-कोष से वेतन आहरण करने की दिशा में कोई ठोस योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो कब तक ?

**वित्त मंत्री ( श्री ओ. पी. चौधरी )** :(क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में था। मुझे संतुष्टजनक उत्तर मिल चुका है। इसमें प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

## 'ज्ञान भारतम् अभियान' अंतर्गत छ.ग. की प्राचीन पांडुलिपियों एवं ताम्रपत्र का सत्यापन एवं संरक्षण

[संस्कृति]

**7. ( *क्र. 760 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) भारत सरकार के 'ज्ञान भारतम् अभियान' के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य से गत माह की स्थिति में कुल कितनी प्रविष्टियां की गई? इनमें से कितनी प्रविष्टियां सत्यापित (वेरीफाइड) तथा कितनी प्रविष्टियां अस्वीकृत (रिजेक्टेड) हैं ? पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावें ? (ख) मल्हार (जिला बिलासपुर/मस्तूरी क्षेत्र) से प्राप्त बालार्जुन की ताम्रपट्टिकाएं सत्यापित हैं अथवा अस्वीकृत? संबंधित अभिलेख की वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें ? (ग) इन ताम्रपट्टिकाओं की खोज कब हुई थी? इसकी लिपि और भाषा क्या है ? विवरण देवें ?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल )** : (क) भारत सरकार के 'ज्ञानभारतम् अभियान' के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य से गत माह की स्थिति में मोबाइल एप के माध्यम से कुल 886 प्रविष्टियां (124422 पांडुलिपियाँ) पोर्टल पर दर्ज की गई है। ज्ञानभारतम केंद्र नई दिल्ली द्वारा इनमें से 453 प्रविष्टियां

(12040 पांडुलिपियाँ) सत्यापित (वेरीफाइड) तथा 433 प्रविष्टियां (112382 पांडुलिपियाँ) अस्वीकृत (रिजेक्टेड) हैं। पृथक-पृथक सूची पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ख) मल्हार (जिला बिलासपुर/मस्तूरी क्षेत्र) से प्राप्त बालार्जुन की ताम्रपट्टिकाएं ज्ञानभारतम पोर्टल की सत्यापित सूची में प्रविष्टि क्रमांक 286 पर दर्ज हैं। सर्वेक्षित जानकारी के अनुसार संबंधित अभिलेख वर्तमान में मल्हार निवासी श्री संजीव पाण्डेय के आधिपत्य में है। (ग) विभाग से 2005 में प्रकाशित ग्रन्थ उत्कीर्ण लेख में प्रकाशित सूचना अनुसार इन ताम्रपट्टिकाओं की खोज 1987 में हुई थी। इसकी लिपि पेटिकाशीर्ष ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। विस्तृत विवरण के लिए प्रकाशित सामग्री की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'द' अनुसार है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल 'ज्ञान भारतम् अभियान' के दायरे में पूछा था। उसमें मेरा माननीय मंत्री जी से स्पेसीफिक सवाल यह है कि क्या ताम्रपत्र भी इसके दायरे में आता है या सिर्फ पांडुलिपि से ये संबंधित है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ताम्रपत्र पांडुलिपि की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन मल्हार का जो ताम्रपत्र है, जो सबसे पहले वर्ष 1987 में जुनवानी में कृषकों को प्राप्त हुआ था, जो कि डॉ. अहमद हसन खान ने इसे कृषकों से प्राप्त कर दिनांक 18 जनवरी, 1988 को मल्हार निवासी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री रघुनंदन प्रसाद पांडे को दिया । उस समय यह पांडुलिपि की श्रेणी में नहीं आया था लेकिन बाद में अभी इसको केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसको पांडुलिपि की श्रेणी में लिया गया है और अभी कुछ समय पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इसकी चर्चा की है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला सवाल यही था कि आपके जवाब में आया है कि वर्ष 2005 में इसको प्रकाशित किया गया, वर्ष 1987 में इसकी खोज हुई और यह ब्राह्मी और भाषा संस्कृत में है, यह आपके विभाग के जवाब में आया है लेकिन जैसा कि आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया । उन्होंने यह कहा कि यह ज्ञान भारतम् अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में इसकी खोज हुई एवं ये ताम्रपत्र ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है । आप जवाब दे रहे हैं कि यह वर्ष 1987 में खोजी गई और यह संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में है और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसमें ब्राह्मी और पाली भाषा है । आप जवाब में दे रहे हैं कि ब्राह्मी और संस्कृत भाषा है तो विभाग गलत कह रहा है या वहाँ पर गलत जानकारी दी गई तो इसका जिम्मेदार कौन है ? यह बहुत ही संवेदनशील विषय है । प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या जो उन्होंने कहा है, विभाग उससे अलग कैसे जानकारी दे रहा है ?

श्री अजय चंद्राकर :- यह बहुत अच्छा प्रश्न है ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अच्छा प्रश्न है तो एकाध को सस्पेंड करा दो । एकाध को सस्पेंड कराओ न ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं आपको अभी मंगवाकर...।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंगवाने की बात ही नहीं है । यह ए.आई.आर. का डॉक्यूमेंट है, इसमें साफ लिखा गया है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि यह ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है, आपका विभाग जवाब दे रहा है कि ये ब्राह्मी एवं संस्कृत में लिखी गई है तो आदरणीय मंत्री जी इसका जवाब दे दें कि विभाग प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट या उसके अलावा गलत जानकारी कैसे दे रहा है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- मैं इसका परीक्षण करा ले रहा हूं कि...।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है जो पूरे देश को एक बात बताई जाती है उसको हम सब मानते हैं और विभाग उसके विपरीत जवाब दे रहा है । विभाग कह रहा है कि यह खोज वर्ष 1987 में हो चुकी है, अभी वहाँ पर जिसने भी जानकारी दी होगी, इसमें सन् भी गलत बताया गया है और भाषा भी गलत बताई गई है । मन की बात में, ए.आई.आर. में यह डॉक्यूमेंट आया है और उसके बाद जो विभाग यहाँ जवाब दे रहा है वह सन् भी गलत बता रहा है और कोई न कोई इसमें सन् के अलावा इसमें जो भाषा है वह तक गलत बताई गई है तो कौन गलत बता रहा है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- नहीं, सन् 1987 में खोज हुई थी । सन् 1988 में इसका पहली बार रजिस्ट्रीकरण किया गया था ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहा गया कि इसी क्रम में ज्ञान भारतम के अभियान के तहत किया गया । आपका जो विभाग है, आपकी भाषा बताई जा रही है कि यह पाली में एवं संस्कृत में लिखी गई है और मन की बात में बताया गया है कि यह ब्राह्मी और पाली में लिखी गई है । यह दोनों अलग हैं ।

श्री राजेश अग्रवाल :- मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, आप यह बता दीजिये कि कौन गलत बोल रहा है? आपका विभाग या माननीय प्रधानमंत्री जी ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि जानकारी नहीं है । मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि...।

अध्यक्ष महोदय :- जानकारी उपलब्ध करा देंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी गलत नहीं बोलते, यह डिपार्टमेंट वाले गलत बोल रहे हैं । वह तो प्रधानमंत्री जो बोल देंगे, लकीर के फकीर हैं, उसमें जाना ही है ।

अध्यक्ष महोदय :- उपलब्ध करा देंगे । अभी उनके पास नहीं है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसने गलत जानकारी दी है, क्या आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ?

श्री राजेश अग्रवाल :- बिल्कुल, नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री रामकुमार यादव जी ।

**चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का प्रस्ताव**

[पर्यटन]

**8. ( *क्र. 776 ) श्री रामकुमार याद**व : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर को राज्य शासन द्वारा पर्यटन स्थल अथवा धार्मिक पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? यदि हां, तो उक्त दर्जा कब प्रदान किया गया तथा इसके लिए जारी आदेश का विवरण क्या है ? (ख) विगत दो वर्षों में मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है? वर्षवार एवं कार्यवार विस्तृत विवरण देवें ? (ग) प्रश्नांक (क) के अनुसार यदि मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, तो क्या शासन द्वारा इसे पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान करने तथा आवश्यक विकास कार्य स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? यदि नहीं तो क्यों ?

**पर्यटन मंत्री ( श्री राजेश अग्रवाल )** :(क) जी हां, मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1521/प.मं./2004 दिनांक 09.06.2004 द्वारा मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर को ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल की श्रेणी में राज्य के चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। आदेश की प्रति संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख) विगत दो वर्षों में मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु विभाग द्वारा राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। शक्तिपीठ कॉरिडोर सर्किट योजना में राज्य के 5 प्रमुख देवी मंदिरों में मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर-चन्द्रपुर शामिल है जिसके विकास हेतु योजना तैयार की जा रही है।(ग) मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित

है साथ ही शक्तिपीठ कॉरिडोर/सर्किट के विकास हेतु योजना तैयार की जा रही है। [4]जिसमें मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर भी शामिल है। योजना तैयार होने उपरान्त इसका क्रियान्वयन कराया जाएगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ला बस यही कहना चाहत हंऔं कि चंद्रपुर चंद्रहासिनी मंदिर में देश-विदेश के मन घूमे बर आथे । आज तक ओकर बर दो साल में दो रूपया आप मन नइ करे हा । आज मां चंद्रहासिनी के मंदिर में आप काम स्वीकृति करिहा का ?

श्री राजेश अग्रवाल :- बिल्कुल, चंद्राहासिनी मंदिर के साथ-साथ बगल में जो एक मंदिर है नाथलदाई । दोनों के डी.पी.आर. बनत हे अउ बहुत जल्दी अच्छा व्यवस्था करे जाही । (मेजों की थपथपाहट) मंदिर के बाहर जो चौक है, ओला भी इही में शामिल करके एखर पूरा सौंदर्यीकरण करे जाही ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर मरीन ड्राइव स्वीकृति होए रिहिस हे । चूंकि चंद्रहासिनी मां महानदी के खड़ मा बसे हे उहू निरस्त हो गे । आप उहू ला पूर्ण स्वीकृति दिहा का ?

श्री अनुज शर्मा :- तुंहर सरकार निरस्त करिस हे । (व्यवधान)

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.पी.आर. बनत हे अउ बहुत अच्छा वहां कार्य करे जाही ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- विधायक जी, आप करेंगे या मंत्री जी करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त । बैठिए ।

**(प्रश्नकाल समाप्त)**

[4] परिशिष्ट "चार"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

**पत्रों का पटल पर रखा जाना।**

**(1) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025 पटल पर रखता हूँ।

**(2) राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026**

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026 पटल पर रखती हूँ।

**(3) छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26**

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयालदास बघेल, खाद्य):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/खाद्य/29-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 पटल पर रखता हूँ।

**सदन को सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है?

**(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)**

आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री लखन लाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

**ध्यानाकर्षण सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 63 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश :प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(**सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई**)

पहले क्रमांक (1) से (2) तक की सूचनांए ली जावेगी।

ध्यानाकर्षण क्रमांक 01, पुन्नूलाल मोहले जी अपनी सूचना पढ़ेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द बोलना चाहता हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उनका बहुत ह्रदय से सम्मान करता हूँ। कोई क्षण या किसी शब्दों से आहत हुए होंगे तो मैं उसके लिए विनम्रतापूर्व खेद व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको धन्यवाद्।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब श्रीमान जी ने बोल ही दिया है तो मैं बोल देता हूँ। मैं केवल इतना ही बोलना चाह रहा था कि इसी विधान सभा में विशेष सत्र हुआ था, उस समय चरण दास महंत जी अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी जी की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये सारे महात्मा गांधी, हर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सेवा ग्राम और महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क सारे निर्माण के संकल्प लिये गये थे। यहां से घोषित किया गया था। उसी से यह सब हुआ है। मैं केवल इतनी जानकारी दे रहा था तो इसमें आपको बहुत [5][XX] गयी थी।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने, दोनों ने विवाद समाप्त कर दिया।

---

[5] [5][XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया, ठीक है उन्होंने कहा। लेकिन जो शब्द आते हैं वह उत्तेजित करने वाले आते हैं। कि आपको [6][XX] इसी तरह के शब्द हैं, उसे क्या कर लेंगे। आज तो मैंने विनम्रतापूर्वक कहा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX] । आप विनम्र हो जाएं तो पूरा सदन विनम्र हो जाए, आप उत्तेजित हो जाएं तो पूरा सदन उत्तेजित हो जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, क्या हुआ, उसको भूल जाईये, चलिये।

श्री भूपेश बघेल :- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे सदन से खेद व्यक्त किया। यह व्यक्तिगत नहीं, सदन के लिए है और निश्चित रूप से आपने बड़प्पन दिखाया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

## (1) विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में प्रधानमंत्री सड़क योजना/मुख्यमंत्री सड़क योजना से निर्मित सड़कें जर्जर होना.

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- जिला मुंगेली एवं जिला से जुडे अन्य जिलों के खराब एवं जर्जर सड़कों जैसे - पेण्डाराकापा से सेतगंगा पहुंच मार्ग, दाबो से छटन पहुंच मार्ग, प्रधानमंत्री रोड, जुझारभाठा से बिझौरी मार्ग, मुंगेली पण्डरिया मुख्य मार्ग से बांकी पहुंच मार्ग, शीतलकुण्डा से सोनपुरी पहुंच मार्ग, बाकी से चमारी पहुंच मार्ग, शीतलदाह से गोपतपुर, हरियर से फागूपारा पहुंच मार्ग, सेतगंगा से परसवारा पहुंच मार्ग, झीटकनिहा से मानपुर पहुंच मार्ग, सेमरकोना से मुरका पहुंच मार्ग, कोदवाबानी से कुर्सी पहुंच मार्ग, अमलीकापा से केवराडबरी पहुंच मार्ग, भालापुर से अचानकपुर पहुंच मार्ग, पौनी से डोडा पहुंच मार्ग, सेतगंगा से ढेडाधौरा, मोतिमपुर से खैरझीठी, लौदा से पदमपुर पहुचमार्ग जैसे बहुत सारे अन्य सड़क मार्ग जो प्रधानमंत्री सड़क योजना/मुख्यमंत्री सड़क योजना से निर्मित है की स्थिति अत्यंत ही खराब, जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है अधिकांश सड़कों का निर्माण लगभग 05 से 10 वर्ष पूर्व हुआ है। बरसात के मौसम में उक्त मार्गों मे आवागमन और भी दूभर हो जाता है। सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो गये है जिससे गंभीर दुर्घटनाए हो रही है। जिसमें आम जन मानस को अत्यधिक असुविओं का सामना करना पड़ रहा है तथा वाहन दुर्घटना में कई लोग अपाहिज व कई लोगो की अकाल मृत्यु भी हो गई है। इसके पश्चात भी आज

[6] [6][XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

दिनांक तक मरम्मत/नवीनीकरण कार्य नहीं किया गया है। जिसके कारण क्षेत्र के नागरिकों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

उप मुख्यमंत्री, (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला मुंगेली एवं जिला से जुड़े अन्य जिलों के खराब एवं जर्जर सड़कों के संबंध में उल्लेखित 18 सड़कों में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 06 सड़कें हैं, जिनमें 01 सड़क वर्ष 2026-27 के बजट में स्वीकृत है, जिसका शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर लिया जावेगा। शेष 05 सड़कों का नियमित संधारण कार्य किया जा रहा है सड़कों की स्थिति संतोषप्रद है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत 10 सड़कें शामिल हैं, जिनमें 03 सड़कें वर्ष 2026-27 के बजट में स्वीकृत है, जिसका शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर लिया जावेगा। शेष 07 सड़कों के नवीनीकरण का कार्य बजट उपलब्धता के आधार पर करा लिया जावेगा। लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 02 सड़कें है। मरम्मत का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जावेगा। सड़कवार स्थिति निम्नानुसार है :-

समय :-
12:07 बजे **(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं)**

**1. पेण्डराकापा से सेतगंगा पहुंच मार्ग** : पेण्डराकापा से सेतगंगा पहुंच मार्ग नाम से कोई सड़क नहीं है। पेण्डाराकापा एवं सेतगंगा दोनों बसाहट एन. एच. पर स्थित है। एन. एच. कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है।

**2. दाबो से छटन पहुंच मार्ग प्रधानमंत्री रोड़** : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ब्लॉक बाउन्डरी छटन से दाबो सड़क लंबाई 7.30 कि. मी. का निर्माण जनवरी 2020 में पूर्ण किया गया एवं जनवरी 2025 में नियमित संधारण अवधि समाप्त हो चुका है। उक्त सड़क के नवीनीकरण कार्य वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में स्वीकृत है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

**3. जुझारभाठा से बिझौरी मार्ग** : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जुझारभाठा से चमारी (बिझौरी) सड़क लंबाई 4.65 कि. मी. का निर्माण मार्च 2015 में पूर्ण पूर्ण किया गया एवं मार्च 2018 में नियमित संधारण अवधि समाप्त हो चुका है। सड़क मरम्मत/नवीनीकरण योग्य है। बजट उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

**4. मुंगेली पण्डरिया मुख्य मार्ग से बांकी पहुंच मार्ग** : टी 07 (मुंगेली पण्डरिया मुख्य मार्ग) से बांकी सड़क लंबाई 2.60 कि. मी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नवीनीकरण का कार्य दिनांक 03.12.2025 को पूर्ण कराया गया है। उक्त सड़क प्रथम वर्ष नियमित संधारणं अवधि अंतर्गत है। सड़क की स्थिति संतोषप्रद है।

**5. शीतलकुण्डा से सोनपुरी पहुंच मार्ग** : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बांकी मुख्य मार्ग से शीतलकुण्डा लंबाई 3.90 कि. मी का निर्माण जून 2015 मे पूर्ण किया गया एवं जून 2018 में नियमित

संधारण अवधि समाप्त हो चुका है। सड़क मरम्मत/नवीनीकरण योग्य है। बजट उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

**6. बाकी से चमारी पहुंच मार्ग** : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बांकी मुख्य मार्ग से चमारी सड़क लंबाई 4.80 कि. मी का निर्माण जून 2015 मे पूर्ण किया गया एवं जून 2018 में नियमित संधारण अवधि समाप्त हो चुका है। सड़क मरम्मत/नवीनीकरण योग्य है। बजट उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

**7. शीतलदाह से गोपतपुर** : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत शीतलदाह से गोपतपुर सड़क लंबाई 1.30 कि. मी. वर्ष 2025-26 में नवीनीकरण स्वीकृत है। कार्य प्रगतिरत है।

**8. हरियर से फागूपारा पहुंच मार्ग** : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत हरियरपुर से टैढ़ाधौरा व्हाया. फागूपारा सड़क लंबाई 5.70 कि. मी. का निर्माण जून 2015 मे पूर्ण किया गया एवं जून 2018 में नियमित संधारण अवधि समाप्त हो चुका है। उक्त सड़क के नवीनीकरण कार्य वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में स्वीकृत है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

**9. सेतगंगा से परसवारा पहुंच मार्ग** : लोक निर्माण विभाग अंतर्गत है सेतगंगा से परसवारा पहुंच मार्ग (सेतगंगा गोरखपुर परसवारा मार्ग लंबाई 5.00 कि. मी.) लंबाई 5.80 कि. मी. निर्माण कार्य बजट वर्ष 2026-27 में राशि 48.00 लाख का बजट में स्वीकृत है। शीघ्र ही कार्य करा लिया जायेगा। इस मार्ग में कि.मी. 1/6 में स्लेब कल्वर्ट विशेष मरम्मत के अंतर्गत स्वीकृत मार्ग है। जिसका अनुबंध क्रं. 13/डी. एल./2026-27 जिसका कार्यदिश दिनांक 14.05.2026 है। इस कार्य को बारिश के बाद किया जावेगा क्योंकि इसमें मार्ग को डायवर्सन करके बनाना होगा, शेष मार्ग का अभी वर्षाकाल में डब्ल्यू. एम. एम. से पेच रिपेयर किया जायेगा।

**10 झीटकनिहा से मानपुर पहुंच मार्ग** :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत झीटकनिहा से मानपुर, बिटकुली सड़क लंबाई 7.91 कि. मी. का निर्माण जून 2015 में पूर्ण किया गया एवं जून 2018 में नियमित संधारण अवधि समाप्त हो चुका है। सड़क मरम्मत/नवीनीकरण योग्य है। बजट उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

**11. सेमरकोना से मुरका पहुंच मार्ग** :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सेमरकोना से मुरका (भुरका) सड़क लंबाई 3.61 कि. मी. का निर्माण दिसम्बर 2016 में पूर्ण किया गया एवं दिसम्बर 2019 में नियमित संधारण अवधि समाप्त हो चुका है। सड़क मरम्मत/नवीनीकरण योग्य है। बजट उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

**12. कोदवाबानी से कुर्सी पहुंच मार्ग** :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोदवाबानी से खुर्शी सड़क लंबाई 4.59 कि. मी. का निर्माण फरवरी 2015 मे पूर्ण किया गया एवं फरवरी 2018 में नियमित

संधारण अवधि समाप्त हो चुका है। सड़क मरम्मत/नवीनीकरण योग्य है। बजट उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

**13. अमलीकापा से केवराडबरी पहुंच मार्ग** :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अमलीकापा से केवराडबरी (केवटाडीह) मार्ग लंबाई 5.70 का निर्माण जून 2015 मे पूर्ण किया गया एवं जून 2018 में नियमित संधारण अवधि समाप्त हो चुका है। उक्त सड़क के नवीनीकरण कार्य वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में स्वीकृत है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

**14. भालापुर से अचानकपुर पहुंच मार्ग** :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत भालापुर से दुल्लापुर मार्ग लंबाई 3.44 कि.मी. का निर्माण जून 2015 मे पूर्ण किया गया एवं जून 2018 में नियमित संधारण अवधि समाप्त हो चुका है। उक्त सड़क के नवीनीकरण कार्य वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में स्वीकृत है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से टी 06 (दुल्लापुर) से झलियापुर सड़क लंबाई 3.55 कि.मी. का कार्य दिनांक 05.11.2025 को पूर्ण कराया गया है। अचानकपुर बसाहट इस सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क संधारण अवधि प्रथम वर्ष अंतर्गत है। सड़क की स्थिति संतोषप्रद है।

**15. पौनी से डोडा पहुंच मार्ग** :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पौनी से जल्ली, इस सड़क में डोडा बसाहट स्थित है लंबाई 4.20 कि. मी. में नवीनीकरण कार्य दिनांक 31.12.2024 को पूर्ण कराया गया है। उक्त सड़क संधारण अवधि द्वितीय वर्ष अंतर्गत है। सड़क की स्थिति संतोषप्रद है। सड़क की स्थिति जर्जर नहीं है।

**16. सेतगंगा से ढेहाधौरा** :- सेतगंगा से ढेहाधौरा मार्ग सेतगंगा से हरियरपुर एवं हरियरपुर से देहाधौरा से मिल कर बनी हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सेतगंगा से हरियरपुर होते हुये चमारी तक सड़क लंबाई 9.87 कि. मी. तक की सड़क संधारण अवधि में है एवं सड़क की स्थिति संतोषप्रद है। हरियरपुर से फागुपारा होते हुये देहाधौरा सड़क, लंबाई 3.00 कि. मी., मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माण जून, 2015 में पूर्ण किया गया एवं जून, 2018 में नियमित संधारण अवधि समाप्त हों चुका है। जिसकी नवीनीकरण लागत रू. 299.00 लाख बजट में शामिल है।

**17. मोतिमपुर से खैरझीठी** :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 अंतर्गत मोतिमपुर से खैरझिटी पदमपुर, बिरगांव एम. डी. आर. तक सड़क लंबाई 14.60 कि. मी. निर्माण कार्य दिनांक 15.01.2022 को पूर्ण कराया गया है। उक्त सड़क 5 वर्ष नियमित संधारण अवधि अंतर्गत है। सड़क की स्थिति जर्जर नहीं है।

**18 लौदा से पदमपुर पहुंचमार्ग** :- सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत लौदा बंधुपारा से पदमपुर सड़क लंबाई 5.13 कि. मी. का निर्माण मई 2019 मे पूर्ण किया गया एवं मई 2022 में नियमित

संधारण अवधि समाप्त हो चुका है। सड़क मरम्मत/नवीनीकरण योग्य है। बजट उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

यह सही है कि अधिकांश सड़कों का निर्माण 5 से 10 वर्ष पूर्व हुआ है। उक्त मार्गों में आवागमन सुचारू रूप से संचालित है। दुर्घटना होने जैसी कोई भी जानकारी विभाग को नहीं है। बजट उपलब्धता के आधार पर नवीनीकरण का कार्य कराया जायेगा। क्षेत्र के नागरिकों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सी सड़क, जिसकी 5 से 10 वर्ष के संधारण की अवधि समाप्त हो चुकी है, उसमें काम स्वीकृति करने तथा निर्माण कार्य कराने का आश्वासन दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पर यह भी कहना चाहूंगा, जैसे कहा कि अधिकांश सड़कों का निर्माण 5 से 10 वर्षों का है, आवागमन संचालित है, इसमें संचालित नहीं है, आप जांच भी करा लें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिकारियों के द्वारा या विधायक के द्वारा या आप स्वतः देख लें। दूसरा यह है कि दुर्घटना जैसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। पुलिस से प्राप्त जानकारी, विभाग की जानकारी के अनुसार घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मृतकों की संख्या 183 है और घायलों की संख्या दुर्घटना में 460 है। इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, यह मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा। आप कहें कि बजट के अभाव में या बजट के अनुसार ही स्वीकृति होगी, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या बजट का आपने प्रावधान किया है? या मरम्मत, मजबूतीकरण के लिए कोई प्रावधान आपके पास है? यह बताना चाहेंगे। विभाग के जिले की जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क के लिए दिनांक 21/04/2026 के अनुसार 25 सड़कों का प्रस्ताव मजबूतीकरण के लिए आया है। क्या आप उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे? दूसरा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क में 14 सड़कों का प्रस्ताव भी मजबूतीकरण तथा मरम्मत के लिए प्रस्ताव शासन के पास या आपके पास विचाराधीन है, तो कृपया यह बताएंगे कि क्या इसमें मजबूतीकरण करेंगे? मैं नई बात तो नहीं कहता, वहां संधारण हो जाए, गड्ढे पट जाएं या नवीनीकरण हो जाए। इसमें आप करेंगे, क्या आप इसमें बताना चाहेंगे?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह जरूर बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की कुल सड़कें जो मुंगेली जिले में हैं, उसमें से 12 सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. को हस्तांतरित हुई हैं और 17 सड़कें प्रदेश में सर्वाधिक 58 करोड़ रूपये की मुंगेली जिले के लिए निर्धारित हुई हैं। प्रदेश में कुल 94 सड़कें ली गई हैं और 94 सड़कों में से 17 सड़कें सिर्फ मुंगेली जिला की हैं और उसमें 58 करोड़ रूपये की लागत राशि से उस पर काम होने वाला है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं, उस पर भी काम प्रारंभ है। मैं सोचता हूं कि आपकी 17 सड़कें आई हैं और पी.एम.जी.एस.वाई.-4 में भी मुंगेली की 6 सड़कें आई हैं। इस तरीके

से नई सड़कें 6 हैं जो पी.एम.जी.एस.वाई.-4 के अंतर्गत है और जिनका नवीनीकरण किया जाना है, वह 17 सड़कों का प्रस्ताव है, उस पर काम हो रहा है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, जो स्वीकृति हुई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पर मैं जिस बात को मेरा ध्यानाकर्षण में ही है कि जिस सड़क को 5 साल हो चुके हैं, जर्जर हैं, खराब हो चुके हैं, उन सड़कों की आप मजबूतीकरण या नवीनीकरण करेंगे? क्या आप गड्ढे को पटाएंगे? यह मेरा प्रश्न है। तो आप कृपा करके इनको आप बताना चाहें और जो बची सड़कें हैं, कई सड़कें जैसे आपने कहा कि पेण्डराकापा से सेतगंगा पहुंच मार्ग है, उसको आपने कहा कि यह मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं है, यह मार्ग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में है। दो मार्ग हैं, एक सेतगंगा से छटन होता है, एक पेण्डराकापा से, अलग-अलग। वैसे ज़्यादा मेरे बहस का विषय नहीं है। मेरा विषय तो सिर्फ काम कराने का है। तो कृपा करके आप इन सड़कों की मजबूतीकरण या मरम्मत करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं।

श्री विजय शर्मा :- मेरा ख्याल है मैंने एक-एक सड़क, जो 18 सड़कें आपने कही हैं, वह सभी की जानकारी आपको मैंने पूर्णता से दी है और उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूर्णता से आने वाली 5 सड़कें हैं। दो सड़कें जिनका आपने उल्लेख किया है, उसका पार्शियल इसमें आता है। दो सड़कें हैं जो पेण्डराकापा से सेतगंगा है, नेशनल हाईवे का है। सेतगंगा से परसवारा वाला है, वह पी.डब्ल्यू.डी. का है और उसके बाद जो अन्य सड़कें हैं, जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की हैं, उसमें से जो सड़कें हैं, उनमें मैंने आपको बताया कि उन सड़कों के संदर्भ में, 4 सड़कें हैं, जो बजटेड हैं, जो आपकी विधान सभा विशेष की हैं, इन सड़कों पर जरूर काम हो जायेगा, शेष सड़कों के लिए बजट की और आवश्यकता होगी, जिस पर हम कार्य करेंगे। माननीय सभापति महोदया, उन पर अनेक योजनाओं के माध्यम से कार्य करने की हमारी कोशिश है और साथ ही हमारी कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी से चर्चा कर विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण करवाया जा सके।

सभापति महोदया :- हो गया। मंत्री जी ने मुंगेली को लेकर पूरी चिंता की है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदया, मैं उन सड़कों के नाम बताना चाहता हूँ। पहला, कोदवा बानी से कुर्सी मार्ग है, जिसका पूरा डामरीकरण उखड़ चुका है और पिछले चार-पांच वर्षों से उसमें गड्ढे हो गए हैं। दूसरा, अचानकपुर से दुल्लापुर मार्ग पूरी तरह उखड़ चुका है। तीसरा, अमलीकापा से केवटाडबरी मार्ग है, यह भी पूरी तरह जर्जर है। चौथा, छतौना से बिजौरी मार्ग, यह मार्ग पूरा उखड़ चुका है। पांचवां, हेड़सपुर से रीवा पार मार्ग और छठवां, पुरान से घोरपूरा मार्ग है। मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी सड़कों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे।

श्री विजय शर्मा :- कृपया आप एक बार फिर से इन सड़कों के नाम बोल दीजिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- पहला कोदवाबानी से कुर्सी, दूसरा पुरान से घोरपूरा मार्ग, तीसरा अचानकपुर से दुल्लापुर मार्ग, चौथा अमलीकापा से केवटाडबरी मार्ग, पांचवां छतौना से बिजौरी मार्ग और छठवां हेड़सपुर से रीवा पार मार्ग है। ये सभी मार्ग पूरे उखड़ चुके हैं।

श्री विजय शर्मा :- जो आपने मुझे पहले बताए थे, क्या ये वही 18 सड़कें हैं जिनके संदर्भ में आपने कहा था?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- 18 सड़कों में से 6 सड़कें इसमें हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि मैं पुन: सदस्य से इनकी जानकारी ले लूँगा। मैंने पहले बताया था कि जैसे कोदवाबानी से कुर्सी वाला जो मार्ग है, वह 2015 में पूर्ण हुआ था और 2018 में इसका संधारण कार्य की अवधि समाप्त हो गयी है। अब इस पर बजट की उपलब्धता का ही विषय है। दूसरा आपने अमलीकापा से केवटा डबरी वाली मार्ग के बारे में कहा है, उसके लिए वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान है, जिस पर शीघ्र काम प्रारंभ हो जाएगा।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मुंगेली जिले में ही बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में हमारा पथरिया ब्लॉक है, जहां मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बजट में शामिल हैं, मैंने उनके संबंध में आपको पत्र भी लिखा था। उनकी स्थिति काफी खराब है। डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में उन सड़कों का निर्माण हुआ था, उसके बाद से न तो कोई कार्य हुआ है और न ही संधारण हुआ है। लगभग सभी सड़कें समाप्त हो चुकी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि बिल्हा विधान सभा क्षेत्र की जो मुख्यमंत्री सड़कें बजट में हैं, उनकी स्वीकृति दिलाकर शीघ्र काम शुरू करवाएं ताकि इस वर्ष लोगों को राहत मिल सके।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने इतना विस्तृत जवाब दिया है कि पहली बार लगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क के बारे में पूरी जानकारी लेकर सदन को अवगत कराया है। 'तेरे जैसे हाल' गाना एक फिल्म में है, वैसे ही मोहले जी के मुंगेली विधान सभा जैसा ही हाल लगभग अन्य क्षेत्रों का भी है। तखतपुर, बिल्हा और कोटा में भी सड़कें खराब हैं। कोटा में एक केन्दा का रास्ता बन रहा है, उससे अमरकंटक और पेण्ड्रा जाना बंद है। बेलगहना की ओर जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क में बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण हमें जाने के लिए रास्ता खोजना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुंगेली जिले के कार्यों के लिए आपने सदन में जो आश्वासन दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। हमारा भी घर का आने-जाने का रास्ता वही है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यदि आप दस सड़कें नहीं बना सकते, तो कम से कम अपने क्षेत्र की एक-दो अत्यंत जर्जर सड़कों की मरम्मत करवा दीजिये, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो, जिससे हमारी छवि ठीक रहे और सरकार की छवि भी ठीक रहे। इसलिए आप सदन में आश्वासन दीजिये कि हमारे क्षेत्र की अत्यंत खराब सड़कों को संज्ञान में लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी।

सभापति महोदया :- शकुंतला जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? आप अपनी भी बात रख लीजिये, ताकि साथ में ही उत्तर आ जाए। विषय उसी जिले पर ही केंद्रित रखिएगा।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- सभापति महोदया, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही विषय है। मैंने भी अपने विधान सभा क्षेत्र की सड़क के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। मैं मंत्री जी का ध्यान कोटिया से बगड़ा मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यह 3 किलोमीटर का मार्ग है और इसका निर्माण वर्ष 2006-07 में प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत किया गया था। आज उस सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। वहां घनी बस्ती है, वहां के लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वह सड़क सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रही है, जब पी.डब्लू.डी.वालों से बात किया जाता है तो कहते हैं कि यह हमारी सड़क नहीं है । प्रधानमंत्री सड़क पीएमजेएसवाई वालों से बात किया जाता है तो कहते हैं कि यह हमारी सड़क नहीं है । सभापति महोदया, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि उनकी कृपा से हमारे विधान सभा में नये 35 सड़कों का स्वीकृति मिला है, मैं इसके लिये माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और मेरी इस सड़क की समस्या का समाधान भी चाहती हूँ, क्योंकि वह बन नहीं पा रहा है । सभापति महोदय, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्माननीय अरूण साव जी नहीं बैठे है, मैं उनसे एक आग्रह सदन में और करना चाहती हूँ कि विधान सभा वाड्रफनगर का क्षेत्र पड़ता है, यह बनारस और प्रयागराज का मुख्य मार्ग है और अंतर्राज्यीय मार्ग भी है । मैं यह आग्रह करना चाहती हूँ कि अभी-अभी वहां पर पिछले सत्रों में मैंने ब्रिज की मांग की थी, अभी उसका सर्वे हो गया है । मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगी कि उसे भी इस सदन में उसकी स्वीकृति के लिये मांग करना चाहती हूँ और अपने उप मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ । सभापति महोदया, मेरे विधान सभा चुनाव जीतने के पहले बनारस मार्ग की जर्जर दशा थी, उसमें बहुत सुधार हुआ है और सभी सड़कें बन गई है "खोटिया से बगड़ा" यही मेरा एक मुख्य मार्ग है, कृपया इस पर ध्यान देंगे, मेरा इतना ही आग्रह है, धन्यवाद ।

सभापति महोदया :- द्वारिकाधीश यादव जी ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ और इस पर कल भी मैंने ध्यानाकर्षित किया था और मैं चाहता कुछ और था, लेकिन आप जानकारी समझ गये है । प्रदेश में साधारण अवधि में जो पांच साल का है, ज्यादातर माननीय मंत्री जी धरातल मे उस 5 साल की अवधि में मरम्मत होता नहीं है और न ही ग्रामीणों को इस बात की पर्याप्त जानकारी है कि जैसे ही सड़क खराब होगी तो संबंधित ठेकेदार उसका मरम्मत करेगा । सभापति महोदया, विभाग जो है वह इसे करवाने में रूचि नहीं दिखाती है । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कड़ा निर्देश दीजिए, जो संधारण अवधि में है और सड़क खराब होते ही चूँकि उसमें बजट का अभाव भी नहीं है, यदि इस पांच साल में नहीं होता तो उसकी स्थिति यह बनती है कि छठवां साल उसमें बजट की

आवश्यकता हो जाती है । माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन यह है कि पूरे पांच में जो साधारण अवधि है, उसमें आपके निर्देश ऐसे हों कि जैसे ही सड़क खराब हो तो तत्काल मरम्मत की व्यवस्था हो । मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ ।

सभापति महोदया :- माननीय मंत्री जी ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदया, बिल्हा के लिये माननीय धरमलाल कौशिक जी हमारे सीनियर है, उसकी चिन्ता थी । बिल्हा के लिये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से अनेक सड़कें हैं, जो बजट में शामिल है । ककेड़ी से सामा, रामबोड़ से ककेड़ी, बकरिया से उमरिया-बदरा, पेंड्री से खैरा, चंदली से परसिया आदि । इन सड़कों को बजट में अभी सम्मिलित किया गया है, इस पर आने वाले समय में आगे बढ़ जायेंगे । सभापति महोदया, इसमें से कुछ सड़कें ऐसी है, जिस पर काम भी आरंभ हो गया है । माननीय धर्मजीत सिंह जी ने कोई एकाध सड़क तो नहीं कही है, लेकिन यह जरूर कहा है कि इस दिशा में कार्य किये जाने की जरूरत है । मैं तखतपुर का पूरी जानकारी नहीं रखा हूँ, मुंगेली का ही थोड़ा ज्यादा कांसनट्रेट किया था । मैं उनको जरूर यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपके पास बैठक पूछ लूँगा और समझ जाऊँगा कि जो जहां पर संभव हो सका, उस काम को जरूर आगे बढ़ा लेंगे । आदरणीय सदस्य महोदया शकुंतला दीदी जी ने जो कहा कि खोटिया से बगड़ा अब यह सड़क किसका है यह निर्णय एक बार और कराना होगा, इसे मैं ही कन्फर्म करके उसको स्पष्ट कर दूँगा कि यह सड़क किसका है और वह कैसे बन सकता है ? दूसरा जो विषय है, वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बैच 4 के संदर्भ में उन्होंने कहा है, इसमें बहुत सारी कि जिसमें बहुत सारी सड़कें उधर आई है । सभापति महोदया, माननीय सदस्य द्वारिकाधीश यादव जी ने कल ही कहा था, सड़कों की ऐसी ही चर्चा हो रही थी, उसमे आपने कहा था । इसमें कड़ा निर्देश नहीं, मैं आपको लिस्ट ही उपलब्ध करा देता हूँ, जिसमें संधारण योग्य सड़कें हैं उस कार्य की पूर्णता के पांच वर्ष तक संधारण होता है तो कार्य की पूर्णता सड़क की कब है, वह लिस्ट भी, वैसे आप भी साधारण एक कार्यालय मंगा लेंगे तो एक सूची मिल जायेगी, फिर भी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ । यह बात पूरे प्रदेश में कर लेते हैं कि किन-किन सड़कों के संधारण की अवधि समाप्त हुये पांच वर्ष समाप्त नहीं हुये हैं अर्थात वह पांच वर्ष तक संधारण की अवधि में है और उतना प्राप्त होने के बाद मैं सोचता हूँ कि करवा ही लें ।

सभापति महोदया :- श्री विक्रम मण्डावी ।

**<u>(2) बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अनियमितता की जाना।</u>**

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- सभापति महोदया, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

कुपोषण के मामले में बस्तर संभाग की हालत वैसे ही खराब है। सरकार ने विजन 2047 की किताब में बस्तर संभाग के कुपोषण को स्वीकार किया है। सरकार केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के तहत वहां के आदिवासी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का असफल प्रयास कर सरकार की अधिकतर जन कल्याणकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर हितग्राहियों को लाभान्वित नहीं करने के बजाए प्रचार प्रसार, होर्डिंग विज्ञापनों एवं कागजों तक ही सीमित है। दंतेवाड़ा जिले में केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिले की गर्भवती और शिशुवती माताओं को पोषण सहायता पर दी जाने वाली राशि में करोड़ों रूपये की अनियमितता की गयी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने योजना की राशि गर्भवती माताओं को देना छोड़कर अज्ञात बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी। विभागीय नियंत्रण की विफलता के चलते यह सुनियोजित घोटाला वर्ष 2025 से चल रहा है। सुनियोजित घोटले के तहत पोर्टल पर जिले की लगभग 1400 से अधिक फर्जी हितग्राहियों का नया पंजीयन किया गया, बड़े बचेली, पालनार, बारसूर, पूरनतराई, डोगरीपारा सहित दर्जनों आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से अवैध प्रविष्टियां कर घोटाले को मूर्तरूप दिया गया है। ऐसी ही घटनाएं प्रदेश के अन्य जिलों में भी जांच के दौरान आ सकती है। विभाग की तीन स्तरीय निगरानी तंत्र के बाद भी गरीब, आदिवासी, कुपोषित महिलाओं के हक पर डाका डालने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने के कारण आम जनता में शासन प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, कोई रोष आक्रोश नई हे। अभी रामराज्य हे, देखेस नहीं। रामराज्य में 126 करोड़ रूपए खर्च होए हे।

श्री विक्रम मण्डावी :- इसमें भी हुआ है, आगे देखिए।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- सभापति महोदया, यह कथन सही नहीं है कि कुपोषण के मामले में बस्तर संभाग की हालत खराब है। विजन 2047 के लक्ष्यों हेतु कार्ययोजना में न केवल बस्तर अपितु पूरे प्रदेश में कुपोषण की दर न्यूनतम किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आदिवासी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रही है तथा सरकार की अधिकतर जन कल्याणकारी योजनाओं से जमीनी स्तर पर हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। आमजन तक योजनाओं की जानकारी पहुंच सके, इस हेतु प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग व विज्ञापनों का उपयोग किया जा रहा है। सरकार महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है तथा सभी केन्द्र प्रवर्तित व राज्य प्रवर्तित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप ही न केवल बस्तर संभाग अपितु पूरे प्रदेश में कुपोषण की दर में कमी आयी है। भारत सरकार के पोषण ट्रेकर पोर्टल के अनुसार विगत दो वर्षों में बस्तर संभाग में बच्चों में बौनेपन में 10.36 प्रतिशत की कमी

आयी है, इसी प्रकार दुर्बलता में 3.13 प्रतिशत एवं अल्प वजन के बच्चों की संख्या में 3.38 प्रतिशत की कमी आयी है।

जहां तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विषय है, विगत अढ़ाई वर्षों में सरकार द्वारा इस योजना को अत्यंत प्रभावी रूप से लागू किया गया है। योजना प्रारंभ से अब तक 14 लाख 49 हजार 309 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है तथा अब तक राशि रू. 588 करोड़ 93 लाख का भुगतान किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्यों में से एक है।

यह सही है कि दंतेवाड़ा जिले में साइबर क्राइम के चलते लगभग 1400 ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए है, जहां राज्य के बाहर के लोगों द्वारा भारत शासन द्वारा संधारित इस योजना के पोर्टल में साइबर क्राईम करते हुए फर्जी हितग्राहियों का पंजीकरण किया जाकर राशि प्राप्त कर साइबर क्राइम किया गया है। प्रकरण संज्ञान में आते ही दंतेवाड़ा जिले में साइबर धोखाधड़ी के इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है एवं कार्यवाही प्रचलन में है। विभाग कुपोषण की दर में कमी लाने हेतु नियमित रूप से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में प्रथम चरण बस्तर संभाग के 04 जिले में पृथक से कुपोषण मुक्ति अभियान भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग के 04 जिलों में 06 माह से 5 वर्ष के 1922 गंभीर एवं मध्यम कुपोषित बच्चों को विगत् 04 माह में कुपोषण से बाहर लाया गया है। अतः यह कथन कि सरकार के प्रयास प्रभावी नहीं है तथा आम जनता में शासन, प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है, सही नहीं है तथा विभाग इस कथन से असहमति व्यक्त करता है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा कि यह वर्ष 2047 का जो विजन है, वह पूरे प्रदेश का है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप खुद वर्ष 2047 का विजन पढ़ लें, उसमें कुपोषण मुक्त पूरे प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ बस्तर के लिए ही यह किया गया था। दूसरा, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 1400 हितग्राही महिलाओं के नाम से फर्जी तौर पर जो राशि आहरित की गई है, क्या उनके बैंक खाते पहले से चल रहे थे? जिसमें 61 लाख रूपये की राशि आहरित की गई।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया, जैसे विदित है और मैंने इस वक्तव्य में भी दिया है कि 1400 ऐसे हितग्राही हैं, जिनमें साइबर क्राइम यानी धोखाधड़ी के मामले सामने आये हुये हैं, जिस पर अज्ञात रूप से विभाग के द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी गयी है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1400 बैंक खातों से लगभग 61 लाख रूपये की जो राशि आहरित की गई है, क्या वे खाते पहले से संचालित थे या नहीं? मैं केवल यह पूछ रहा हूं।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया, ये खाते पहले से संचालित नहीं थे।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे आप बता रही हैं कि साइबर क्राइम हुआ है तो क्या साइबर क्राइम से 1400 बैंक खाते खोलना संभव है?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया, क्योंकि ये लोग राज्य के बाहर के हैं और आपराधिक लोग हैं। जो 1400 लोगों के खाते में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के पैसे गये हैं, जैसे ही वह मामला विभाग के संज्ञान में आया और जब महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है तो ओटीपी आता है। लेकिन जब यह विषय आया कि ऐसी धोखाधड़ी हो रही है तो जिला स्तर की जो समीक्षा बैठक हुई, उस समीक्षा बैठक के दौरान यह विषय आया कि एक ही परियोजना में इतने ज्यादा फॉर्म कैसे भराए जा सकते हैं तो डीपीओ ने तत्काल संचालनालय को एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से इसकी जांच के लिए आवेदन किया।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदया, यह पूरा मामला एक दिन या दो दिन का नहीं है, बल्कि लगातार चल रहा था और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में आया। मेरे कहने का स्पष्ट अर्थ है कि यह साइबर के माध्यम से नहीं हुआ है, बल्कि कहीं न कहीं इसमें विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका है और एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 1400 खातों के माध्यम से 61 लाख 67 हजार रूपये की राशि आहरित की गई है, शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। क्या इसमें विभागीय अधिकारियों की कोई संलिप्तता या भूमिका है या नहीं है?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया, मैं इस बात से बार-बार माननीय सदस्य को अवगत कराना चाह रही हूं कि कहीं न कहीं पोर्टल हैक किया गया और हैक के माध्यम से पैसे का आहरण किया गया है। मैंने कहा कि तीन स्तर पर इसके आवेदन भरने की प्रक्रिया होती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के माध्यम से आवेदन सबमिट करती है, उसके बाद फिर सुपरवाइजर के माध्यम से उसका वेरीफाई किया जाता है, फिर सीडीपीओ के माध्यम से सत्यापन किया जाता है, फिर राज्य को अप्रूवल के लिए जाता है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि यह जो ओटीपी का मामला है, यह तीनों प्रकार से जहां से हम वेरीफाई करते हैं, एक भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने यह नहीं कहा कि हमें ओटीपी प्राप्त हुआ है। यह पूरी तरीके से हैक कर लिया गया और हैक करने की वजह से इतने सारे लोगों के आंकड़े आ रहे हैं और इस पर विभाग बैठा नहीं है, बल्कि विभाग ने निरंतर भारत सरकार को भी इससे अवगत कराया और अवगत कराने के बाद इसमें कलेक्टर के माध्यम से समिति का भी गठन किया गया है। समिति गठन करने के बाद स्थानीय डी.पी.ओ. के माध्यम से भी एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। इसकी प्रक्रिया जारी है। अज्ञात व्यक्तियों के खाते में पैसे गये हैं। यह मामला साइबर को सौंप दिया गया है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदया, यह जो 1400 खातों में 61 लाख 37 हजार रूपये की राशि आहरित की गयी है, वह एक बार में नहीं हुई है, तीन बार में हुई है। अलग-अलग समय में तीन बार में हुई है। क्या यह संभव है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार के पोर्टल में अपडेट रहता है या मैं कहती हूं कि अपलोड होता है। तीन प्रकार का इसलिए कि यह जो योजना है, इसमें 60:40 होता है। प्रथम संतान पर 5 हजार रूपये दिया जाता है और यदि द्वितीय संतान होती है तो 6 हजार रूपये दिया जाता है। इसमें यदि प्रथम किस्त गयी है तो उसमें भारत सरकार की कुछ राशि होती है और राज्य सरकार की कुछ राशि होती है। अलग-अलग चरणों में राशि जाती है। यदि पहली किस्त गयी हुई है, दो किस्तों में भुगतान होना है। माननीय सदस्य महोदय, सेम वही प्रक्रिया है। अगर एकमुश्त भुगतान होता तो आपको सिंगल दिखता ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय मंत्री जी, वह प्रक्रिया नहीं पूछ रहे हैं। 1400 हितग्राहियों के खाते में कैसे राशि गयी ? उसमें 3 बार आहरण हुआ है। आप बोल रही हैं कि उसमें ओ.टी.पी. भी नहीं आया है तो आहरण कैसे हो गया ? वह यह पूछ रहे हैं।

श्री विक्रम मण्डावी :- वह खाते पहले से खुले थे या उन खातों में पहले से पैसों का आहरण हुआ है या नहीं हुआ है ? माननीय मंत्री जी, यह गरीब आदिवासियों की बात है। जो खाते खुले थे, वह पहले से खुले थे कि नहीं खुले थे ? क्या उनमें पहले पैसा गया था कि नहीं गया था ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया, यह खाता खोलने वाला विषय ही नहीं है।

श्री विक्रम मण्डावी :- तो फिर पैसे किसमें ट्रांसफर हुए हैं ? आप एफ.आई.आर. क्यों करवा रही हैं ? पैसा किसमें ट्रांसफर हुआ है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया, यह पूरी तरह से हैक का मामला है। पोर्टल को ही हैक कर दिया गया है, इसकी वजह से पैसे किसी और के खाते में चले गये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- यदि खाता नहीं था तो आपने पैसे किसमें डाले ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- सभापति महोदया, हमने तो कहा है कि अज्ञात खातों में पैसे गये हैं।

श्री विक्रम मण्डावी :- मंत्री जी, इस मामले में एफ.आई.आर. हुई है कि नहीं हुई है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- सभापति महोदया, एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है।

श्री विक्रम मण्डावी :- इसमें कितनी राशि का घोटाला हुआ है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- इसमें 61 लाख 37 हजार रूपये का घोटला हुआ है।

श्री विक्रम मण्डावी :- ठीक है। वह पैसे कौन से खाते में गये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया जी, यह मामला हमने साइबर को सौंपा है। अब उसमें विवेचना आयेगी। खोजबीन की जा रही है।

श्री विक्रम मण्डावी :- उन खातों में पैसे गये हैं कि नहीं गये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- खातों में पैसे गये हैं, यह हम स्वीकार कर रहे हैं।

श्री विक्रम मण्डावी :- उन खातों में 61 लाख 37 हजार रूपये गये हैं। यह कैसे हो सकता है कि उन खातों में पैसा जा रहा है और वह खाते पहले से नहीं खुले हैं ? पहले से उन खातों में पैसे जा रहे थे तो यह साइबर का मामला कैसे हो सकता है, बताइये ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। यह एक ही विषय नहीं है, ऐसे कई प्रकरण हैं, जो धोखाधड़ी में हो रहे हैं।

श्री विक्रम मण्डावी :- एफ.आई.आर...।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि वह मेरी बात सुन लें, उसके बाद वह कहें। माननीय सभापति महोदया, यह तो विभाग का मामला है लेकिन जब धोखाधड़ी का विषय आता है, साइबर क्राइम का विषय आता है तो साइबर क्राइम में किसी न किसी अज्ञात व्यक्ति का खाता खुला रहता है। यह सेम वही है। यदि किसी का खाता नहीं खुलेगा तो पैसा कैसे जायेगा ?

श्री विक्रम मण्डावी :- खाता खुला है लेकिन वह राशि उसमें पहले से जा रही है। यदि उसमें पैसे जा रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं किसी विभागीय अधिकारी कर्मचारी की भूमिका है। आप यह बात क्यों नहीं मान रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया, बिल्कुल नहीं है।

श्री विक्रम मण्डावी :- चलिये ठीक है। एफ.आई.आर. दर्ज हुए एक महीना हो गया और आपने इस एक महीने के अंदर क्या कार्रवाई की है और क्या रिपोर्ट आयी है, आप यह बताइये ? इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई, किसके ऊपर हुई और इसमें कौन-कौन दोषी है ? क्या इसमें विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका है कि नहीं है, यह बताइये ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रही हूं कि इसमें विभागीय अधिकारियों का कोई रोल नहीं है। पोर्टल हैक किया गया है।

श्री विक्रम मण्डावी :- वाह। माननीय सभापति महोदया, यह कैसे हो सकता है। (व्यवधान) गरीब, आदिवासी माताओं का (व्यवधान) उनके खाते मे 61 लाख 37 हजार रूपये तीन-तीन बार करके गये हैं। इसमें कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं ? अभी तो एफ.आई.आर. हुई है, आप कैसे पहले ही क्लीन चिट दे सकती हैं ? आप जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही बोल रही हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। यह कैसे हो सकता है ?

सभापति महोदया :- माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह मामला साइबर को सौंपा हुआ है और विवेचना अभी नहीं आयी है।

श्री विक्रम मण्डावी :- नहीं, नहीं। माननीय सभापति महोदया, यह तीन बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। यह तीन बार हुआ है, 1400 खातों में पैसे गये हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदया, साइबर क्राइम में उन्हीं खातों में तीन-तीन बार कैसे पैसे आहरण होंगे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया, तीन-तीन बार पैसा गया है। माननीय मंत्री जी, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री विक्रम मण्डावी :- गरीब आदिवासी, माताओं, बहनों के खाते में गया है, यह उनसे जुड़ा हुआ मामला है। यह गंभीर विषय है और माननीय मंत्री जी जांच से पहले क्लीन चिट दे रही हैं, जांच हुई नहीं है और क्लीन चिट दे रही हैं। यह कैसे हो सकता है?

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, यह बस्तर का मामला है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बस छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या इस पूरे मामले की विभागीय जांच करायेंगी या नहीं ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया जी, विभाग ने पूरी तन्मयता के साथ जो विषय आया, विषय के साथ जब जिले की समीक्षा बैठक हो रही थी, यह बात सामने आई कि इतना ज्यादा कैसे पोर्टल में दिख रहा है, तत्काल डायरेक्ट्रेट को अवगत कराया गया और अवगत कराने के बाद डायरेक्टर के माध्यम से, संचालक के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराया गया। उसके बाद भारत सरकार विवेचना कर ही रही थी तो डायरेक्ट्रेट ने जिले के कलेक्टर को आवेदन लिखा और आवेदन लिखने के बाद उसमें समिति बनी और समिति बनने के बाद सही पाया गया कि इसमें इतने लोगों का फर्जी तरीके से पैसा जा रहा है, समथिंग 1400 लोगों का जा रहा है। उसके बाद में फिर कलेक्टर ने एस.पी. को साइबर क्राइम के माध्यम से उसको जांच के लिये भेजा गया है।

श्री विक्रम मंडावी :- क्या आप विभागीय जांच करायेंगी ? 1400 आदिवासी महिलाओं के बैंक खाते से पैसा जारी होता है तो आप विभागीय जांच क्यों नही करवा रही हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदया जी, हम विभागीय जांच करा देंगे। लेकिन ये साइबर का विषय है, ये क्लीयर कैसे होगा।

सभापति महोदया :- चलिये, उन्होंने कहा है कि विभागीय जांच करा देंगी। साइबर के पास से जब तक विवेचना पूरी नहीं आयेगी, तब तक..।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, यह पूरा बस्तर के लगातार तीन-तीन बार समाचार पत्रों में आने के बाद विभागीय मंत्री जी का इसमें कोई स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं है। इसलिए इस पूरे मामले से हम बहिर्गमन करते हैं।

सभापति महोदय :- उन्होंने पूरे स्पष्ट जवाब दिया है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- आप चाह ही लिये हैं कि बहिर्गमन करना है। हम स्पष्ट रूप से जवाब दे रहे हैं।

समय

12.52 बजे

**बहिर्गमन**

**भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों शासन के उत्तर के विरोध में**

**(श्री विक्रम मंडावी, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया)**

**ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)**

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- आपकी मांग के बाद घोषणा कर दिये, आप क्यों बहिर्गमन कर रहे हैं ? आपने मांग किया की जांच कर दो। आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल बहिर्गमन करना है तो बात अलग है। आप लोगों को भूख लगी है, खाना खाने जा रहे हो।

सभापति महोदया :- कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (63) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे। सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा।

3. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक
4. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह
5. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, डॉ. चरणदास महंत
6. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह
7. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह,
8. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक
9. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
10. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
11. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
12. श्री लखेश्वर बघेल
13. श्री लखेश्वर बघेल

14. श्री मोतीलाल साहू
15. श्री रोहित साहू
16. श्री राजेश मूणत
17. श्री राजेश मूणत
18. श्री रामकुमार यादव
19. श्री रामकुमार यादव
20. श्री लखेश्वर बघेल
21. श्री दलेश्वर साहू
22. श्री रिकेश सेन
23. श्री भूपेश बघेल
24. श्री भूपेश बघेल
25. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
26. श्रीमती शेषराज हरवंश, देवेन्द्र यादव
27. श्री बालेश्वर साहू
28. श्रीमती अंबिका मरकाम
29. श्री बालेश्वर साहू
30. श्रीमती अनिला भेड़िया
31. श्री ब्यास कश्यप
32. श्रीमती भावना बोहरा
33. श्री द्वारिकाधीश यादव
34. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
35. श्री धर्मजीत सिंह
36. श्री इंद्र साव
37. श्री इंद्र साव
38. श्री संदीप साहू
39. सर्वश्री भोलाराम साहू, कुंवर सिंह निषाद
40. श्री कुंवर सिंह निषाद
41. डॉ. चरणदास महंत
42. श्री ब्यास कश्यप
43. श्री धर्मजीत सिंह

Uncorrected and unedited/Not for Publication 

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

44. डॉ. चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश
45. श्री अजय चन्द्राकर
46. श्री अटल श्रीवास्तव
47. श्री अजय चन्द्राकर
48. श्री ओंकार साहू
49. श्रीमती चातुरी नंद
50. श्री देवेन्द्र यादव
51. श्री संदीप साहू
52. श्री द्वारिकाधीश यादव
53. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
54. श्री धरमलाल कौशिक
55. श्री इन्द्र साव
56. श्री सुनील कुमार सोनी
57. श्री कुंवर सिंह निषाद
58. श्रीमती कविता प्राण लहरे
59. श्री उमेश पटेल
60. श्री रामकुमार यादव
61. श्री दिलीप लहरिया
62. श्री भोलाराम साहू
63. श्रीमती विद्यावती सिदार

सभापति महोदया :- चूंकि कल दिनांक 17 जुलाई 2026 को प्रश्नकाल के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना निर्धारित है, अत: नियम 138 (1) के अधीन ली जाने वाले ध्यानाकर्षण की सूचनाएं कार्यसूची में नहीं ली जायेंगी। मै समझती हूं कि सभा सहमत है।

**सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।**

समय
12.53 बजे

**नियम- 267-क के अंतर्गत विषय**

सभापति महोदया :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज मैंने सदन में 110 सूचनाऐं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेगें।

1. श्री रोहित साहू (7 सूचनाएं)
2. श्री अजय चंद्राकर (6 सूचनाएं)
3. श्री मोतीलाल साहू
4. श्री राजेश मूणत
5. श्री बघेल लखेश्वर (7 सूचनाएं)
6. श्री उमेश पटेल (2 सूचनाएं)
7. श्रीमती अंबिका मरकाम
8. श्री ब्यास कश्यप (3 सूचनाएं)
9. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (4 सूचनाएं)
10. श्री भोलाराम साहू (7 सूचनाएं)
11. श्री सुनील कुमार सोनी (3 सूचनाएं)
12. श्री देवेन्द्र यादव (2 सूचनाएं)
13. श्री द्वारिकाधीश यादव (2 सूचनाएं)
14. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
15. श्री दलेश्वर साहू (3 सूचनाएं)
16. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (3 सूचनाएं)
17. श्रीमती शेषराज हरवंश (2 सूचनांए)
18. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (4 सूचनाएं)
19. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (4 सूचनाएं)
20. श्री धर्मजीत सिंह (2 सूचनाएं)
21. श्री जनक ध्रुव (2 सूचनाएं)
22. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे (8 सूचनाएं)
23. श्री चैतराम अटामी
24. श्रीमती कविता प्राण लहरे (2 सूचनाएं)
25. श्री इन्द्रशाह मंडावी (2 सूचनाएं)
26. श्री संदीप साहू (2 सूचनाएं)
27. श्री कुंवर सिंह निषाद (3 सूचनाएं)
28. श्रीमती गोमती साय


अप्रकाशन के लिये नहीं

29. श्री दिलीप लहरिया (4 सूचनाएं)
30. श्रीमती भावना बोहरा (2सूचनाएं)
31. श्री विक्रम मंडावी (2 सूचनाएं)
32. श्री ओंकार साहू (6 सूचनाएं)
33. श्रीमती चातुरी नंद (3 सूचनाएं)
34. श्रीमती विद्यावती सिदार
35. श्री कवासी लखमा
36. श्री अटल श्रीवास्तव (4 सूचनाएं)
37. श्री सुशांत शुक्ला
38. श्री रामकुमार टोप्पो
39. श्री आशाराम नेताम (3 सूचनाएं)
40. श्री बालेश्वर साहू

समय
12.54 बजे

**याचिकाओं की प्रस्तुति**

सभापति महोदया :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्मलिखित माननीय सदस्यों की याचिकायें सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री अनुज शर्मा
2. श्री धरमलाल कौशिक
3. श्री भूलन सिंह मराबी
4. श्री दलेश्वर साहू
5. श्री भोलाराम साहू
6. श्री पुन्नूलाल मोहले
7. श्रीमती अनिला भेड़िया
8. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

समय :

12.55 बजे **शासकीय विधि विषय कार्य**

**(1) छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026)**

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- आप अभी इस पर कुछ बोलना चाहते हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अगर कोई वक्ता हैं तो बोल लें फिर मैं आखिरी में बोल लूंगा ।

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार टोप्पो ।

श्री रामकुमार टोप्पो (सीतापुर) :- धन्यवाद । माननीय सभापति महोदय, आज आदरणीय उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के प्रस्ताव छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 जो लेकर आए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ । जिस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 80 प्रतिशत आबादी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और बाकी शहरी में आते हैं लेकिन जिस तरीके से एन.बी.सी. 2016 का जो कानून है वह सम्पूर्ण क्षेत्रों में एक तरीके से लागू किया जाना, यह काफी परेशानी का कारण बना रहा और आज इस संशोधन विधेयक में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ फायर एक्ट से विलोपित किए जाने हेतु प्रस्ताव लाया गया है । इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय, छोटी दुकानें, अन्य सरकारी संस्थानों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए और तेजी आएगी और यह काफी उपयोगी होगा । जैसा कि सारे कानून सभी क्षेत्रों में एक जैसा लागू करना अव्यावहारिक के साथ-साथ काफी जटिल माना जाता है । इन तमाम चीजों को देखते हुए आज हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने यह बहुत ही उपयोगी संशोधन लाया है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ और आदरणीय उपमुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस संशोधन विधेयक से छत्तीसगढ़ में काफी सहायता मिलेगी क्योंकि आग जैसी चीजों से नहीं खेला जा सकता । इसको दुनिया की सबसे खतरनाक चीज माना जाता है और इसको देखते हुए सरकार बहुत संवेदनशील फैसला ले रही है, मैं इसका स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति महोदय :- श्री भूलन सिंह मरावी ।

श्री भूलन सिंह मराबी (प्रेमनगर) :- माननीय सभापति महोदय, आज हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 का प्रस्ताव लाया है । मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की 80 प्रतिशत आबादी गाँव और आदिवासी क्षेत्रों में रहती है । वहां 4 मंजिल बिल्डिंग नहीं

बल्कि एक-एक, दो-दो मंजिल स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन ऐसे रहते हैं और यह जो एन.बी.सी. 2016 बना है उसे पूरे राज्य पर थोपने से हमारे सरपंच, शिक्षक और डॉक्टर लोग फंसे रहते हैं । इसके लिए हमारी सरकार ने इस विलोपन से राज्य अपने हिसाब से सरल, सस्ते और व्यावसायिक नियम बना सकेंगे । माननीय सभापति महोदय, इससे गाँव में स्कूल का कमरा, आंगनबाड़ी जल्दी बनेगा इसके लिए भी सरकार काम कर रही है । माननीय सभापति महोदय, हम आग से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, बुनियादी सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रहेगा और वन साइज, वन फॉल भी हम लोग खत्म करेंगे । मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं दोनों ही माननीय सदस्य श्री रामकुमार टोप्पो और माननीय भूलन सिंह मराबी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सदन के सामने भी यह विषय लाना चाहता हूँ कि यह संशोधन आवश्यक है । हमारे एक्ट में छत्तीसगढ़ अग्निशमन विधेयक, 2018 में प्रावधान है कि हम अनेक स्थानों पर एन.बी.सी. का, नेशनल बिल्डिंग कोड, 2016 को रिफर करते हैं । स्पेशली 3 स्थानों पर रिफर करते हैं । नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 जो राष्ट्रीय स्तर पर मानकों को निर्धारित करता है परन्तु अग्निसेवाएं, अग्निशमन सेवाएं यह राज्य के विशेषाधिकार का क्षेत्र हैं । भूमि और भवन भी राज्य के विशेषाधिकार का क्षेत्र है तो हमको कोई भी संशोधन हमारे एक्ट में करना होता है, जो हम नहीं कर पाते हैं, वह इसलिये नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने रिफर किया है कि एन.बी.सी में कोई चेंज होगा तब फिर हमारे एक्ट पर चेंज कर सकते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर इनिसिएटिव लेते हुए, एन.बी.सी. 2016 को चेंज करके, अपने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन्स स्टैण्डर्ड 2026 किया हुआ है। एन.बी.सी. 2016 की जगह एन.बी.सी.एस. 2026 जो आया है, उसमें भी अंतर है। जो एन.बी.सी. 2016 है उसमें चीजों को कम्पल्सन है जो भी स्टैण्डर्डस हैं उन सब के कंपल्सन हैं जबकि 2026 एडवायजरी है कि ऐसा करना चाहिए, करने से ठीक होगा। तो वह एडवायजरी, यह चेंज हो गया है। अब हमारे एक्ट में जब एन.बी.सी. का रिफरेंस है और एन.बी.सी. समाप्त हो गया है तो हमको हमारे एक्ट में भी इसको चेंज करना होगा। विशेष रूप से यह है कि 2024 के नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैण्डर्डस 2026 जो हैं, इसको भी न लेकर, चूंकि राज्य स्वतंत्रतापूर्वक आने वाले समय में अपने एक्ट, रूल भी बना सके और उसके माध्यम से काम तेजी से आगे बढ़ा सके, डिपेंडेंसी न हो जाये। इसके लिए आज यह प्रस्ताव लेकर आये हैं। इस प्रस्ताव में विशेष जो है वह 2 स्थानों में, 2 धाराओं में संशोधन का है। एक है धारा 2 जिसमें छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 की धारा 2 में और धारा 2 के ही खण्ड 21 एवं 32 में हम भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता को विलोपित करने जा रहे हैं। ऐसे ही इसी छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 की धारा 20 की उपधारा (1) में जो राष्ट्रीय भवन संहिता पुन: है उसको भी विलोपित करने जा रहे हैं। ऐसे तीन स्थानों पर जो हमने ये एन.बी.सी. रेफर किया है, उसको विलोपित करने से आने वाले समय में हम और

स्वतंत्रता के साथ इस एक्ट पर काम कर पायेंगे। अपने नियम बना पायेंगे और मैं यह सोचता हूँ कि राज्य का विषय होने के कारण, हम जब इस पर काम करेंगे तो हम तेजी से काम कर पायेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि यह स्वीकार करें और सदन से आग्रह है कि इसको पारित करें।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

सभापति महोदया :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।**

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदया, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) पारित किया जाये।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदया :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक 2026 (क्रमांक 13 सन् 2026) पारित किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

(मेजों की थपथपाहट)



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

**(2) छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026(क्रमांक 14 सन् 2026)**

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदया, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) पर विचार किया जाए।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री अजय चन्द्राकर।

समय :-

1:00 बजे

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति जी, लखनलाल जी छत्तीसगढ़ की औद्योगिक राजधानी से आते हैं, ऊर्जा राजधानी से आते हैं । जब लखनलाल जी उद्योग मंत्री बने तो लोग सोचते थे कि लखनलाल जी उद्योग विभाग में क्या कर लेंगे ? जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लखनलाल जी करने जा रहे हैं, वह भूतो, न भविष्यति । लेकिन अभी भी रिकॉर्ड बन गया है, आपकी गैलरी की तरफ उधर सुनने वाले नहीं हैं ।

सभापति जी, छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के बाद इज ऑ डूइंग बिजनेश का एक और विधेयक है । उससे पहले छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 बना है, उसके संशोधन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसमें हम और कितना सरलीकृत कर सकते हैं ? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है-इंवेस्ट छत्तीसगढ़ । आप धारा-2 में संशोधन करने जा रहे हैं, उसमें कानून रूप से अस्पष्टता थी और उसमें डिजीटल प्रक्रिया को जोड़कर उसको और ज्यादा स्पष्ट और महत्व दिया गया है । यह नये समय का जो परिवेश आ रहा है, उसके लिए परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित करना जरूरी था और इसके लिए आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं । इसके बाद जो (एक-ड.) से (एक-च), (एक-छ), (एक-ज), (एक-झ) तक है, उसमें लगभग इसी चीज से परिभाषित किया गया है कि आवेदन के अभिप्रेत क्या है, आवेदक के अभिप्रेत क्या है ? इंवेस्ट छत्तीसगढ़ से अभिप्रेत क्या है ? एक अधीन नोडल एजेंसी विहित से अभिप्रेत क्या है, ये इसमें परिभाषाएं हैं । उसके बाद धारा (2) के खण्ड (8) में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिसमें निवेश को एक ही संस्थाएं से सभी सेवा मिलेगी । यह महत्वपूर्ण संशोधन इसमें किया गया है ।

सभापति जी, उसके बाद जो संशोधन है, वह राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी का है। उसमें राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम में इसको शामिल किया गया है । मतलब सरकार अपने आप को अनुशासित कर रही है कि हम इतने अवधि में इस काम को नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर भी शास्ति लग सकती है, यह अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है कि सरकार अपने निर्णय को ही और उद्योग से संबंधित क्षेत्रों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल कर रही है ।

इसके बाद धारा-4 के मूल अधिनियम 12 की उप-धारा (1), (2), (3), (4), (5), (6) के स्थान पर है कि राज्य में निवेश संवर्धन, निवेशक सुविधा, एकल खिड़की क्लीयरेंस, निर्यात संवर्धन और स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र विकास तथा राज्य सरकार द्वारा विहित किसी अन्य कृत्य के प्रयोजनों के लिए ''इन्वेस्ट छत्तीसगढ़'' नामक एक निकाय का, एकल नोडल अभिकरण के रूप में गठन करेगी । इसका मतलब है कि इतनी सारी चीजें एक जगह निर्धारित हो जाएंगी, एक जगह संपादित हो जाएंगी। और बाद उप-धारा (2) में ''इन्वेस्ट छत्तीसगढ़'' के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के बारे में लिखा है । फिर उप-धारा (3) में एकल खिड़की माध्यम हो जाएगी । उप-धारा (4) में ''इन्वेस्ट छत्तीसगढ़'' अधिसूचना के बारे में है कि समय-समय पर इसको संशोधित किया जा सकेगा । उप-धारा (5) में भी एकल खिड़की रीति और प्रारूप जैसा विहित किया जाए, एक रेगुलेटरी पासबुक सृजित की जाएगी । उप-धारा (6) में एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों की शिकायतों के शीघ्र निराकरण के लिए है । जो तो सारी चीजें हैं, माने एकल खिड़की स्थापित की जाएगी, पर उसके प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए भी सिस्टम डेव्हपल किए जाएंगे । माननीय लखनलाल जी, आपने इतना अच्छा कानून लाया है, आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं । अब इसमें लिखा है, उसे देखिएगा कि मूल अधिनियम की धारा 13 का लोप किया जाये, मूल अधिनियम की धारा 19 का लोप किया जाये । साथ ही जो अनुसूची-1 है, उसको भी 8 नं में लोप कर दिया गया है। अनुसूची 13 और 19 में एवं अनुसूची 1 में निहित अनावश्यक प्रावधानों का लोप किया गया है। कुल मिलाकर इस अधिनियम के उद्देश्यों और उपबंधों को देखियेगा, जितनी चीजें हैं, मैं सोचता हूं कि इसको ईमानदारी से लागू किया जाये, सही समय में लागू हो जाये, इसमें गंभीरता आ जाये तो छत्तीसगढ़ का जो आद्योगिक परिदृश्य बदल जायेगा। आगे एक मूल विधेयक आ रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। इन सारे प्रयत्नों से छत्तीसगढ़ का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह बदलेगा। जो निवेशक आयेंगे, वह एकल खिड़की में एक अधिकारी से "एक इनवेस्ट छत्तीसगढ़" से बात करके चल देंगे। सरकार बाकी चीजें करके सौंपेगी, आईए आप कारखाना लगाईये और लोगों को रोजगार दीजिये। मंत्री जी, आपको इस क्रान्तिकारी पहल के लिए, इन सभी चीजों के लिए आपको एवं आपके विभाग को विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। आदरणीया भाभी जी, इसमें विरोध के लायक कुछ नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं, अभी उप नेता जी भी बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से पारित कर दो। हम बस्तर के नगरनार के बाजू में एक औद्योगिक क्षेत्र निजी लोगों के लिए बना रहे हैं। आपके क्षेत्र में पूरा खदान है, हम वहां उद्योग भी खुलवा देंगे, आप चिंता मत करो। आप सर्वसम्मति से पारित करो।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वैसे भी बिना पंचायत की अनुमति से वहां सब स्वीकृत हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर्वसम्मति से पारित कर न भाभी जी, सब हो जाही। सभापति महोदय, सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करते हुए एवं माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री ब्यास कश्यप  (जांजगीर चाम्पा) :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने विषय लाया है कि इनवेस्ट छत्तीसगढ़ की स्थापना करना है। वैसे तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और किसी भी राज्य की प्रगति के लिए उद्योग और व्यवसाय भी आवश्यक है। 2 दशक के बाद नये सिरे से परिवर्तित हो रहा है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस बात का स्वागत करूंगा कि भाई उद्योग भी लगने चाहिए। परन्तु इस बात का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर ऐसा न हो कि शासन की सभी योजनाओं में बाहर के लोग आकर स्थान पर काबिज भी हो जायें, उद्योग भी लगा लें और उद्योग लगाने के बाद उनकी तरफ से विकास की मूल बातें रहती हैं, औद्योगिक घराने की ओर से सी.एस.आर. की बात नहीं हो पाती है, उससे छत्तीसगढ़ का नुकसान न हो, भले ही वह कमा कर चले जायें, इस बात की भी चिंता छत्तीसगढ़ की सरकार को करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए औद्योगिक प्रयोजन के लिए नियमों में शिथिलता देना कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, वह होनी भी चाहिए। मुझे पता है कि जांजगीर चांपा जिला में.. (श्री राजेश मूणत, सदस्य की ओर से इशारा करने पर) मैं बोल रहा हूं, महोदय सुन तो लीजिये। मैं बोल रहा हूं, समर्थन ही कर रहा हूं। आप चिंता न करें। परन्तु थोड़ी सी जो समस्या है, उस बात को बोल रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको बोलने से कौन रोक रहा है ?

श्री ब्यास कश्यप :- आपके पीछे वाले सदस्य।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह नहीं रोक रहे हैं, वह अपनी जगह में बैठने जा रहे थे।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए हमारे जांजगीर चांपा जिले में ही 56 एम.ओ.यू.  हुए थे। जमीन अधिग्रहित कर ली गई। जमीन अधिग्रहण करने के बाद उद्योग स्थापित नहीं हो पाये। जब उद्योग स्थापित नहीं हो पाया तो वहां की जमीन बंजर की स्थिति में पहुंच गई है। उसमें  किसान ठीक से खेती नहीं कर पा रहा है। वहां उद्योग घराने कब अपना संयंत्र स्थापित कर लें, ऐसी भी परिस्थितियां पूर्व में बनी हुई है। माननीय मंत्री महोदय, हम इसकी भी चिंता कर लें। यह अच्छी बात है कि आपने एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से नियमों को शिथिल किया। प्रदेश स्तरीय समिति  और  जिला स्तरीय समिति का गठन करके एकल खिड़की व्यवस्था के तहत अब व्यावसायिक घरानों को अलग-अलग ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा। परंतु माननीय सदस्यों की ओर से भी चिंता आई और आज भी जिस प्रकार से फर्जी एन.ओ.सी. ले लेते हैं और मैं कई पंचायत जान भी रहा हूं कि कई पंचायत ऐसे भी होते हैं कि इतने ज्यादा मोलभाव कर लेते हैं कि उद्योग घराने वाले अपना उद्योग स्थापित करना भी छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। तो इससे भी नुकसान

होता है। तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इस विषय को भी थोड़ा सा अपनी जो परियोजना आप तैयार कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, उसके लिए भी देखभाल की व्यवस्था हो ताकि उद्योग लगाने वालों को असुविधा न हो, ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रदेश के विकास के लिए उद्योगों की स्थापना भी आवश्यक है, परंतु छत्तीसगढ़ की मूल भावना का भी हमको ख्याल करना है। इस बात के लिए मैं थोड़ा आग्रह कर रहा हूं और एक विकास की बात होती है कि जिस प्रकार से औद्योगिक घरानों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो अपनी कमाई की जो मूल राशि रहती है परसेंटेज, उसका इन्वेस्ट विकास के लिए भी हो, इस बात के लिए भी आने वाले समय में ध्यान देना चाहिए, यह बात मैं कहकर अपनी बात को विराम देता हूं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय अजय चंद्राकर जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय ब्यास कश्यप जी ने अपना मार्गदर्शन दिया। माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यह संशोधन विधेयक 2026 जो मूल अधिनियम को समय की मांग के अनुसार नया अधिनियम और जैसे-जैसे आधुनिक समय आ रहा है, उसमें परिवर्तन करने का यह विधेयक है। इस विधेयक के माध्यम से जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको काफी राहत मिलेगी, सिंगल विंडो में उनका काम होगा। उनका पासबुक की तरह एक खाता बनेगा और उस खाता में जितने भी आवेदन वे करेंगे, उनका वे सारे आवेदन सभी विभाग में चले जाएंगे, उनको अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस तरह से बहुत ही सरलीकरण करने का काम किए हैं और निश्चित तौर पर यह विधेयक छत्तीसगढ़ के विकास की ऊंचाई को छुएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, ज्यादा से ज्यादा उद्योग, निवेश, विकास आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर यह विधेयक, चूंकि दो सदस्यों ने ही बोला है और बहुत ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं है, सदन को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार को प्राप्त निवेश प्रस्तावों में 58% योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है, साथ ही साथ सी.एस.आर. के विषय में बात रखी गई, मैं बताना चाहूंगा कि सी.एस.आर. केंद्र सरकार के कानून कंपनी के एक्ट में भी आता है और जो-जो आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने का प्रयास हम लोगों का रहता है। तो मैं सदन से इसको सर्वसम्मति से पास करने का आग्रह करना चाहता हूं, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन 2026) पर विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

**खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।**

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) पारित किया जाए।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदया :- यह प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

(मेजों की थपथपाहट)

**(3) छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026)**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) पर विचार किया जावे।

सभापति महोदया :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- सभापति महोदया, मैं सोच रहा था कि माननीय मंत्री जी भाषण देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- महाज्ञानी जी, ओ हर भाषण एकर बर नई दिस काबर कि माननीय मंत्री के नाम लखन हे अऊ राम के घर में चोरी हो हे ता भाई हा दुखी हो गे।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदया, रामकुमार यादव जी सिरपुर की खोज से निकले थे और ये हड़प्पा जाना चाह रहे हैं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी, अभी मैं बोलूँगा तो आपसे एक आग्रह है कि इसमें जो अनुसूची लगी है, उसे पढ़ लीजिए। उसमें आपका नाम जोड़ देता हूँ, जो रामकुमार चाहें, वह सब इसमें शामिल किया जाए, ऐसा लिख देता हूँ। आप समझे?

श्री रामकुमार यादव :- मैं जान गय।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोर समझ मा नई आउस कइ न।

श्री रामकुमार यादव :- मोर बात सुन तो। मैं हर एक ध्यानाकर्षण लाना चाहत हौ। आप दू सौ साल जिया, लेकिन जब आप ये संसार ला छोड़ कर जाहौ ता तुंहर खोपड़ी के जांच होना चाहिए। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार जी, यह ईज़ ऑफ़ डूइंग विधेयक है। आप साँप का मंत्र नहीं जानते, बिच्छू का मंत्र नहीं जानते, इसलिए आप साँप के बिल में हाथ मत डालिये। इनको बोलने दीजिये, भैया। ये जो बोलेंगे, उसे आप सुन लीजिये। आप हर विषय में बोलते हैं। अंतरिक्ष यान के बात होही, ओमा भी मैं बोलहूं कइबे। हमन नई बोलन, हमन सुनत हन अऊ तहूं सुने कर।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदया, आप किसी भी सत्र में देखेंगे, इस सत्र में भी देखिएगा, इसे छोड़कर बाकी सारे के सारे संशोधन विधेयक ही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से Legislation को जितना समझता हूँ, जानता हूँ और देखा है। किसी भी सरकार के कार्यकाल में मूल विधेयक आने का मतलब यह है कि सरकार गतिशील है, विभाग गतिशील है और आने वाले भविष्य की परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) पूरी दुनिया में अभी जो स्थिति है, उसमें जितनी अस्थिरता है, कब क्या होगा, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। इस बीच यदि हम छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस विधेयक, जो कि एक मूल विधेयक है, उसे पारित करते हैं, तो मेरा दृष्टिकोण हमेशा निवेश के बाद जो रोजगार की स्थिति है, उसे लेकर रहता है। छत्तीसगढ़ में या पूरी दुनिया में आप देखें, आप आलोचना कर लें या कुछ भी कर लें, सरकार की जो स्थिति है, वह लगातार घटेगी। ए.आई. आने के बाद सरकार में रोजगार की स्थिति घटेगी। ए.आई. आने के बाद कंपनियों में रोजगार की स्थिति क्या होगी, कोई बोलने या समझने की स्थिति में नहीं है। दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 तो कोई 25,000 की संख्या में लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। हिंदुस्तान के भी 55,000 से ज्यादा लोग इस घटनाक्रम से प्रभावित हुए हैं। अब यदि छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा वातावरण बनाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करती है, उद्योग के माध्यम से बाजार को स्थिर करती है, संसाधनों के सम्यक और समुचित दोहन के लिए वातावरण और उपाय बनाती है तो इसमें माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि यह देश में

अपनी तरह का पहला कानून होगा इज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून बनाया जाये और एक हिसाब से इसको कहा जाता है कि सरकार अपने आप को शासित कर रही है ।

श्री राजेश मूणत :- विधान सभा पूरा खाली हो गया है ।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- सभापति जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ विधान सभा में छत्तीसगढ़ के विकास के लिये इज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पर बहस हो रही है कि राज्य का औद्योगिक निवेश बढ़े, राज्य का आर्थिक विकास हो, राज्य के युवाओं को रोजगार मिले, कैसे ज्यादा निवेश लाकर हमारा राज्य विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़े, विकसित छत्तीसगढ़ बने, उसकी चर्चा के समय यह पूरी कुर्सियां खाली है और यह बताता है कि विकास में इनकी कितनी सहभागिता है । जब विकास की चर्चा हो रही है, तब उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ही यह होता है कि कांग्रेस को विकास में कोई रूचि नहीं है, तरक्की में कोई रूचि नहीं है, छत्तीसगढ़ के विकास से इनका कोई लेना-देना नहीं है । यह स्पष्ट होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का नहीं होना छत्तीसगढ़ के प्रति उनकी जवाबदेही क्या है, क्या-क्या उन्होंने किया, अवसर मिला, यह कल तो आपने चर्चा के लिये समय कर ही दिया है, लेकिन आज तो राज्य के हितों के लिये हम चर्चा कर लें । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, इस विपरीत स्थितियों के बीच में निवेश के लिये और वातावरण बनाने के लिये मूल विधेयक लाकर इसमें मैं यह कहूँगा कि यह पूरा शासन खुद को शासित कर रही है, खुद के लिये प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है कि इस कानून का हमारे निकाय, हमारे विभाग पालन करेंगे । ऐसा कानून लाना अपने आप में इतना स्वागतेय है कि माननीय विष्णुदेव साय जी का, माननीय लखन देवांगन जी का और उनके साथ काम करने वाले उनकी पूरी टीम का तो अभिनंदन करना चाहिये । (मेजों की थपथपाहट) मैं तो पढ़ता हूँ कि हैदराबाद में रोड शो हुआ, कई जगह गये, मैंने अभी दो चीजें पढ़ी है । केन्द्र सरकार ने सेमी कंडक्टर में 1 लाख 9 हजार करोड़ रूपये का निवेश की बात कही है और यहां उस पार्क का शिलान्यास हो चुका है । छत्तीसगढ़ सेमीकंडक्टर में लीड करेगा, यहां उस पार्क का शिलान्यास हो चुका है । छत्तीसगढ़ सेमीकंडक्टर में लीड करेगा और ताईवान यहीं आयेगा । हम ताईवान नहीं जायेंगे और हमारा मोबाईल छत्तीसगढ़ के चिप्स से चलेगा, वह ताईवान के चिप्स से नहीं चलेगा, जिसमें उसका एकाधिकार है । सभापति महोदया, दूसरा समाचार पढ़ा कि एआई में भी छत्तीसगढ़ लीड करेगा, यह सोच और यह कल्पना जो है, जब आप सोचेंगे नहीं तो साकार किसको करेंगे ? यह काम हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव जी की सरकार ने और उनकी पूरी टीम ने किया है, मैं तो बात शुरू करने के पहले उनका अभिनंदन करता हूँ कि आप एक नये युग में जो कि 2047 का रोड मैप है कि छत्तीसगढ़ कैसा हो और माननीय वित्त मंत्री जी ने दो सत्र पहले उसको रखा था, उसको साकार करने की दिशा में

2047 में हिन्दुस्तान कैसा होगा और छत्तीसगढ़ कौन-कौन से क्षेत्र में अग्रणी रहेगा, इसकी परिकल्पना को साकार करने वाला यह विधेयक है ।

मानननीय सभापति महोदय, यह विधेयक 7 अध्याय, 19 अनुच्छेद और 1 अनुसूची से सजी है । अब पहले इसको कुछ पढ़ देता हूँ । अध्याय 1- इसमें अधिनियम में क्या-क्या है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में होगा, प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, यह प्रशासनिक अधिकारिता या वृत्तियां, यह इसमें है । यह परिचारित हो चुकी है, मैं पढ़ता नहीं । यह नया विधेयक है, इसमें कहीं पर असहमति होगी या कहीं पर सुझाव होगा तो मैं उसको जरूर बोलूँगा, लेकिन यह शुरूआत ही ऐसी होती है । अध्याय-2 में प्रशासनिक अधिकारिता तथा व्यावृत्तियां हैं, नाम और प्रारंभ है । तीन में प्रशासनिक विभाग, आवेदन अनुमोदन, सक्षम प्राधिकारी, पूर्ण आवेदन, जिला सशक्त समिति, उद्यम, कार्यपालक समिति, कार्यपालक परिषद, ये जितने गठन और कार्य हैं, ये इसमें दर्शाए गए हैं। क्यों माननीय मंत्री जी?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- बिल्कुल-बिल्कुल।

श्री अजय चंद्राकर :- इसमें निरीक्षण कैसे होगा, क्या है, इसमें लिखा है। नियम-निर्देश तो आगे बनेंगे। तीन में जैसे, आप पूरा पढ़ेंगे तो किसी भी तरह का भ्रम समाप्त हो जाएगा। प्रशासनिक विभागों की शक्तियां, दायित्व का निर्धारण जैसे है, यदि उसको परिभाषित करना चाहें तो उससे बेहतर समन्वय बनेगा। नाम विस्तार छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। उच्च स्तरीय समिति, जो चार नंबर में है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे। आप इसमें एक शब्द भर को ठीक कर लीजिए, शब्द भर को, उद्देश्य को नहीं। मेरे को थोड़ा वह राजनीतिक शब्द लगता है, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, जो संयोजक होंगे। ये संयोजक शब्द थोड़ा पॉलिटिकल लगता है। सी.ई.ओ. होंगे, लिख दीजिए या इस समिति के सचिव होंगे, ऐसा लिख दीजिए। ये संयोजक शब्द पॉलिटिकल शब्द है, प्रशासनिक शब्द नहीं है। जो भी सी.ई.ओ. होंगे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे या जो भी इस तरह के होंगे। एक इतनी बड़ी एम्पावर्ड कमेटी इसके लिए बनी है। इससे त्वरित निर्णय होगा, मुख्यमंत्री जी एक-एक चीज का समाधान करेंगे। मैं इसके किसी एक विषय को पढ़ देता हूं, विचाराधीन विषय के लिए मंत्री, अधिकारी, विशेषज्ञ अथवा किसी भी विभाग के बोर्ड, निगम, प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा स्थापित सोसायटी के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित के रूप में अपनी बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकेगी। अब यह बताइए कि इतने सारे लोग यदि एक साथ बैठते हैं तो इसके बाद निर्णय के लिए बचता क्या है? दरवाजे-दरवाजे घूमने, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय मंत्री जी, आपको बहुत-बहुत बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपनी टीम को भी मेरी ओर से, सदन की ओर से बधाई दीजिएगा। परिषद एक या एक से अधिक समितियां गठित कर सकेंगी जिसकी शक्ति या कार्य ऐसी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेंगी। माननीय उमेश जी, आप औद्योगिक नगरी से आते हैं। कोई अधिकार स्थानीय

स्तर पर लेना है, आगे बढ़ेंगे, जिला स्तर की समिति, चीफ सेक्रेटरी की समिति है। यदि अधिकार समितियों को भी प्रत्यायोजित, गठित करके कर दिए जाते हैं तो निर्णय के लिए फिर बचा क्या? लाल, रेड टेपिज्म कहां पर रहेगा? लालफीताशाही नाम की चीज इतिहास में दर्ज हो जाएगी। जो लोक प्रशासन की किताब लिखते हैं, वह छत्तीसगढ़ के इस विधेयक को पढ़ेंगे कि इस विधेयक से रेड टेपिज्म कैसे खत्म हुआ। लखन लाल जी, आप इस विधेयक के माध्यम से रेड टेपिज्म को खत्म कर रहे हैं बधाई लीजिए। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी, हिंदुस्तान की दुर्व्यवस्था के लिए जो कारण माने जाते हैं, उसमें रेड टेपिज्म सबसे बड़ा कारण है। दो घंटे के काम को दो दिन में करना, दो दिन के काम को दो साल में करना, ये रेड टेपिज्म है। अब समिति को भी अधिकार प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। इस तरह के सारे चीज हैं जिसके नियम-निर्देश बनेंगे तो स्पष्ट हो जाएंगे। यदि पूरे मूल विधेयक को एक-एक धारा में पढ़ेंगे तो समय लगेगा। माननीय सभापति महोदय, मैंने पूरा पढ़ा है। इसीलिए मैंने एक शब्द भर में आपत्ति ली कि संयोजक शब्द पॉलिटिकल लगता है। ऐसी कोई चीज मुझे पढ़ते वक्त नहीं दिखी जिसमें इसमें आपत्ति ली जाए।

समय :
1.28 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, अब तीन में कार्यपालक समिति, मूल विधेयक है, इसलिए मूल विधेयक में थोड़ा-थोड़ा बोलना पड़ेगा। संशोधन विधेयक रहता तो उसको ऐसे ही बोल देते। शासन की, मंत्रिमंडल की, भाजपा सरकार की, इतनी बड़ी उपलब्धि है तो उसको तो रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा। ये ऐतिहासिक घटना घट रही है। इसमें मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। सचिव, अधिकारी, विशेषज्ञ समिति होगी जिसमें राज्य शासन अधिसूचना के द्वारा नियुक्त करे सदस्य होंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ प्रशंसा के लिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता की कमेटी निर्णय लेती है और इतने एम्पावर्ड कमेटी उसको एक्जीक्यूट करती है, जिसकी समय सीमा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी के मूल विधेयक को संशोधन किया है, उसमें आपने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में उसको शामिल किया है। तो अब कहां पर रूकावट है ? मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने बहुत खोजा कि इसमें कुछ संशोधन दिखता है या कुछ सुधार दिखता है, लेकिन यह बात नहीं हुई। अब इसके बाद कार्य प्रक्रिया निश्चित होगी, लेकिन यदि मुख्यमंत्री के बाद ब्यूरोक्रेसी को, निर्णय की प्रक्रिया को मुख्य सचिव लीड कर रहे हैं तो बचता कुछ नहीं है और इसके बाद कार्यपालक समिति की शक्तियां, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आवेदन करके अपील के भी प्रावधान हैं। यदि कोई चीज आपको अनुचित लगती है तो उसके अपील के भी प्रावधान हैं। मतलब आपने जिससे भी बनवाया हो या आपने खुद बनाया हो, लेकिन मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं कि यदि कोई गड़बड़ी होती है तो

उसमें अपील के भी प्रावधान हैं कि इस विधायक से निश्चित समय में उसका निराकरण भी हो जाएगा। विभाग कहता है कि मैं अपनी कार्य प्रणाली के लिए कानून बना रहा हूं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं नहीं सोचता कि इससे बड़ी बात कोई हो सकती है कि मैं जो करूंगा, उसके लिए मैं कानूनी तौर पर बाध्य हूं, नहीं तो ऐसे बदनाम थी कि ब्यूरोक्रेसी तो काम ही नहीं करती। ब्यूरोक्रेसी अपने लिए काम कर रही है कि मैं जो काम करूंगा, उसके लिए ये नियम-निर्देश हैं। मैं अपने आपको इसमें समाहित करता हूं कि इसके अनुकूल काम करूंगा। इसके बाद अध्याय-4 में जिला की सशक्त समिति है। कलेक्टर इसके अध्यक्ष होंगे और उसमें भी इसी तरह की बातें हैं कि कार्यकाल और कार्य रीति क्या होगी, जैसा विहित किया जाए। कौन मेंबर होंगे, कैसे होंगे, उसके लिए नियम-निर्देश बनेंगे, राजपत्र में प्रकाशित होगा। मंत्री जी, इसके नियम-निर्देश बने तो उसकी एक पुस्तिका बनवाकर विधान सभा में आप टेबल कीजिए और मैं तो यह कहूंगा कि यह कानून आएगा, नियम-निर्देश बन जाएंगे तो एक बड़ा कार्यक्रम करके इसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सबको दीजिए और इस नियम-निर्देश को रखिए। यह नीचे तक के लोगों तक जाए कि आपके विभाग की कार्य प्रणाली में, व्यवहार प्रणाली में, निर्णय प्रणाली में, सब में इस विधेयक के माध्यम से अमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है तो इसमें एक बड़ा सेमिनार होना चाहिए और लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है-ते अउ में गाय-गाय धनाबो तो का मतलब होही कानून के। है नहीं। जनता तक जाना चाहिए, गाय-गाय नहीं धनाना है। सेवाओं, सुधार तंत्र, जो आपको बता रहा था कि दिनांक से 90 दिनों के भीतर। ये 5 हैं। मैं इधर से पढ़ देता हूं। यह जो स्व प्रमाणीकरण, तृतीय पक्ष और उसके बाद अभिकल्पित अनुमोदन सुधार, ये सब चीजें आप पढ़िए। यह पहली बार हुआ है कि हम खुद प्रमाणित कर सकते हैं, इसकी और दूसरी प्रक्रिया हो सकती है, इसमें पूरी तरह से वर्णित है और इससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों धाराओं से, निर्णय अध्याय से निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और नीचे तक निर्णय होगा तो जहां जो निवेशक हैं, उनको इन तीनों प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। अध्याय 6 में अध्यारोही शिकायत निवारण तंत्र अनुसूची में संशोधन की शक्ति। माननीय मंत्री जी, अनुसूची की बारी आएगी तो मैं कुछ बातें कहूंगा, लेकिन सूची में संशोधन की शक्ति बिल्कुल सही है। मैं तो आपको कहता हूं कि एक सूची की जगह जो अलग-अलग नेचर के हैं, उसके लिए दो-तीन सूची रखनी चाहिए और उसमें संशोधन होना चाहिए। आज त्यौहार का दिन है, नहीं तो मैं अनुसूची के बारे में कहता। सेवाओं में गतिविधियों का उन्मूलन। अब उसके बाद अध्याय 6 है। इसके बाद जो नियम बनाने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, निर्देश जारी करने की शक्ति, अध्याय सात में, निर्देश जारी करने की शक्ति, सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, माननीय उमेश जी, यह सबसे महत्वपूर्ण शब्द और आखिरी शब्द है । आप बहुत पढ़े-लिखे आदमी हैं, आप उद्योग नगरी से आते हैं। माननीय मंत्री जी, अब मैं जो अनुसूची के बारे में बोलूंगा बोल रहा था, वह आपकी अनुसूची एक है, प्रशासनिक विभाग है, अधिनियम

सेवाओं की सूची है। इसमें ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि हम विधान सभा में रोज आएं, यह जरूरी नहीं है। यह नाम समेत आप विधान सभा में अनुमोदित करवा रहे हैं तो आपको एक अनुसूची में संशोधन के लिए विधान सभा आना पड़ेगा। सभापति महोदय, अनुसूची में लगभग सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए कि ए.आई. से संबंधित एक समाचार आया है, उसका इस अनुसूची में उल्लेख नहीं है । ए.आई. का कहीं पर उल्लेख नहीं है। हमारी सरकार की ओर से यह वक्तव्य आया कि हम ए.आई. में लीड करने के लिए भी योजनाएं, नियम बना रहे हैं। अब मान लीजिए कि वह बीच में हो गया तो आपको विधान सभा आना पड़ेगा, कि ऑर्डिनेंस करेंगे। अनुसूची को एम्पॉवर कमेटी के अंदर में रखा जाना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली जो समिति है, वह अनुसूची को संशोधित कर सकती है। मैंने संशोधन तो नहीं दिया। मैंने बोला था कि अनुसूची में एक लाइन बोलूंगा, तो पूरा पढ़ने के बाद एक लाइन है कि विधान सभा में बार-बार आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली जो एम्पॉवर कमेटी है, उसको दी जाती है। आप अनुमति लेकर संशोधन पढ़ दीजिए। जिस भावना के साथ आप इस विधेयक को लाए हैं, वह और सफलीभूत होगा, नहीं तो एक छोटे से शब्द के लिए हमको बार-बार विधान सभा आना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, मैं 24 धाराओं में बोलता। इसकी एक-एक धारा में ईमानदारी से बोलता लेकिन मेरे मित्रगण जो पीछे बैठे हैं, वह बोल रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की याद आ रही है, तब मैं क्या करूं? माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो लोग विष्णु देव साय सरकार के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए यह मूल विधेयक पर्याप्त है। यह लागू होने के बाद, जो मैंने कहा कि नियम-निर्देश बनने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम करिए और लोगों को बुलाइए, माननीय विधायक, सांसदों को भी बुलाइए। आपके पास लोग आते हैं, उसको क्या तकलीफ हो रही है, यह जो नोडल अधिकारी बने हैं, यह उसका फोन नंबर है और इसमें किसी भी चीज को हम त्वरित करेंगे। यह नीचे तक जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी कार्यप्रणाली को अधिनियमित करना, यह इतना बड़ा स्वागत योग्य कदम है, यह इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, इतनी बड़ी जवाबदेही है कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, मैं इस विधेयक की तहे दिल से प्रशंसा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी, आपका, आपकी टीम का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, भारत सरकार, विकसित भारत की परिकल्पना के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, विनियामक भार कम करने के लिए हम सब लोगों के बीच में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ है। इस पर आदरणीय चंद्राकर जी ने कुछ बहुत अच्छी बात भी की है। चूंकि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नया विधेयक है। कोई भी नया विधेयक लाने के पहले सोच-समझकर, सूझ-बूझ के साथ, विचार-विमर्श के साथ विधेयक को प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि कई लोग समझ ही

नहीं पाते कि विधेयक का प्वाइंट, उनकी जो नियमावली है, उसमें किस ढंग से, किस धारा में बोलना है। जहां तक हमारे मंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया है। इस विधेयक द्वारा एक नया कानून बनाया जा रहा है। इस नये कानून के अनुसार केवल 43 प्रकार के कार्यों के लिए एक नवीन व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसे कोई औचित्य नहीं मानता । मतलब 13 प्रकार के कार्यों के लिये इसका शायद औचित्य नहीं है। इस विधेयक में मुख्य प्रावधान यह है कि एक कार्यपालक परिषद का भी गठन होना है जिसकी शक्तियां धारा-5 के अनुसार होगी। इसे धारा- 5 में जो शक्तियां दी गई हैं, उसमें केवल सभी विभागों को नीतिगत निर्देश जारी करना ही है, महत्वपूर्ण सुविधा है तो अन्य बिन्दुओं का कोई औचित्य नहीं है। धारा-6 में एक कार्यपालक समिति का गठन करने का भी प्रावधान है। इस कार्यपालक समिति को दी गई शक्तियों का उल्लेख धारा-7 में है। इसमें ऐसी कोई शक्तियां नहीं हैं जिससे वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण सुविधाजनक परिवर्तन हो सके। पता नहीं मंत्री जी बिना सोच-समझकर, बिना तर्क के, बिना सुझाव के इस विधेयक को लाये हैं। एक बार हम चाहते हैं कि इनको पुनर्विचार करें और और जब भी आगामी बैठक हो, उसमें प्रस्तुत करने करना चाहिए। यह जल्दबाजी का विषय नहीं है। यह विधेयक यदि कानून बन भी जाता है तो उससे उद्यमियों को कोई लाभ नहीं है। बल्कि यह तो केवल उनके लिये एक असुविधा का कारण बन जायेगा। अगर हम कोई भी चीज किसी विधेयक में लाते हैं, विचार करते हैं, लागू करते हैं तो एक सरलीकरण हो, आदमी को सुविधाजनक हो। पर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इस विधेयक से किसी उद्यमी को लाभ मिलेगा। यह विधेयक पूरी तरह से अव्यावहारिक तथा औचित्यहीन है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य सरकार अपने ही उच्च स्तरीय आशाओं के लिये, मात्र खुश करने के लिये ये विधेयक लाया गया है। इस विधेयक के उद्देश्यों का, कारणों का कथन में जिन बड़ी-बड़ी बातों का उल्लेख किया है, ऐसा कोई भी प्रावधान विधेयक में नहीं दिखता। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करते हुए पुन: मैं मंत्री जी को सलाह देना चाहूंगा कि इस विधेयक पर पुनर्विचार करके, सोच-समझकर उद्यमियों को लाभ मिल सके, ऐसा कदम उठाना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ इस विधेयक का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, आज नया विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत करने का अवसर मिला और आज महान पर्व का दिन भी है। भगवान जगन्नाथ जी की पूरे प्रदेश में पूजा कर रहे हैं। और आज मैं अत्यंत गौरवशाली क्षण में सदन के समक्ष छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेश विधेयक, 2026 प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) यह विधेयक हम लोगों ने बनाया और इसमें सारे विभागों से, चाहे हमारे सभी विभागों के सचिव हों, सभी विभाग के मंत्रीगण हों, हमारे मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति लिया। सबको

बताया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पूरा इस विधेयक के बारे में बताया गया। उसमें हमारे मुख्य सचिव से लेकर, अपने विभाग के सारे सचिव थे और सभी विभागों ने इस विधेयक के लिये, इस कानून के लिये अनुमति प्रदान की। सभी का विचार-विमर्श लिया गया। निश्चित तौर पर यह विधेयक बनने से हमारे प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार सुधार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये डेरेलोगेशन आह्वान किया है, अंतर्गत 2 चरणों में 51 प्राथमिकताओं में भी सुधार किये गये हैं। इस विधेयक का स्पष्ट उद्देश्य है, ईज ऑफ डूइंज बिजनेश के छोटे-छोटे सुधारों की जगह एक साथ सुधार विधिक ढांचा तैयार करना, इससे अलग-अलग विभागों में होने वाले समान प्रकृति का सुधार एक-साथ किया जा सकेगा । यह उद्यमियों के लिए लाभकारी होगा और विभाग का समय भी बचेगा । हमारी सरकार ने निवेश उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज विधानसभा में हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रस्तुत किया है । हमारे माननीय अजय चंद्राकर जी ने इस विधेयक पर बहुत ही अच्छा सुझाव दिया और साथ ही हमारे माननीय उपमुख्यमंत्री अरूण साव जी ने इस विधेयक के संबंध में बात रखी । हमारे माननीय दलेश्वर साहू जी ने भी इस विधेयक के बारे में बातचीत की और जैसा कि हमारे माननीय अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ सदस्य हैं, कई विभागों में पूर्व मंत्री रह चुके हैं । उन्होंने सुझाव दिया कि इस विधेयक को लेकर एक अच्छा सेमिनार होना चाहिए । निश्चित तौर पर इस विधेयक को लेकर हम प्रदेश में एक बहुत बड़ा सेमिनार करेंगे ताकि इस विधेयक के बारे में जन-जन तक पहुंचे और सारे आम नागरिकों को, भाई-बहनों को, उद्योगपतियों को, सभी क्षेत्रों में यह बात पहुंचे इसके लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा सेमिनार करेंगे । माननीय सदस्य अजय चंद्राकर भाई साहब ने एक सुझाव दिया कि सूची में अलग- अलग प्रतिकूल सेवाओं के लिए दो सूची रखने का सुझाव दिया और मैं यह बताना चाहूँगा कि इस अनुसूची में संशोधन हेतु बार-बार विधानसभा की जरूरत नहीं होगी । हमने विधेयक की धारा-18 में प्रावधान रखा है । सूची में वह सेवाएं शामिल करने के लिए विधेयक की जरूरत नहीं है, उन्हें शामिल करने की शक्ति दी गई है । माननीय मुख्यमंत्री जी की समिति की अनुशंसा से ऐसा किया जा सकेगा इसके लिए प्रावधान में रखा गया है । इसी के साथ मैं “संयोजक” शब्द के स्थान पर “मुख्य कार्यपालन अधिकारी” शब्द रखने की विधान सभा से अनुमति चाहता हूँ । उन्होंने सुझाव दिया, हमने “संयोजक” रखा है । हालांकि यह शब्द प्रयोग भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों में अधिसूचना में होता है । बाकी माननीय सदस्य की भावनाओं के अनुरूप शब्द “संयोजक” के स्थान पर “सचिव” करते हुए पारित करने का सदन से अनुरोध करता हूँ । उसमें “सचिव” शब्द रखेंगे और इसमें बहुत सारा सरलीकरण किया गया है इससे हमारे प्रदेश का विकास भी आगे बढ़ेगा, उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा । इससे हमको रोजगार मिलेगा, एकल खिड़की के माध्यम से सिंगल विंडो को भी इस कानून के अंदर रखा गया है । इस तरह से इसमें बहुत सारे अच्छे काम करने हेतु इसे विधानसभा में लाया है और मैं जो बोलना चाह रहा था, वह सारी बात हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री अजय चंद्राकर

जी ने रख दिया है । उन्होंने एक-एक बिंदु पर बताया है तो निश्चित तौर पर मैं अपने विधानसभा में सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें क्योंकि प्रदेश के हित में यह नया विधेयक आया है इससे प्रदेश विकास की ऊँचाई को छूएगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करें । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026 ) पर विचार किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 24 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

**खण्ड 2 से 24 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।**

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

**खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।**

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।**

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) को आंशिक संशोधन के साथ पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक 2026 (क्रमांक 15 सन् 2026) माननीय मंत्री जी के अनुरोध अनुसार आंशिक संशोधन के साथ पारित किया जाये।

**आंशिक संशोधन के साथ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक यथासंशोधित रूप में पारित हुआ।**

(मेजों की थपथपाहट)

समय
1.51 बजे **नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा**

दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय खाद्य मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्रमांक-239) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

श्री सुशान्त शुक्ला (बेलतरा):- मैं दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय खाद्य मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्रमांक-239) के विषय पर चर्चा प्रारंभ करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, बिलासपुर जिले में पूर्ववर्ती सरकार में गरीबों के राशन पर डाका डाला गया और उस समय डाका डालने का तरीका बड़ा विचित्र था। वह मैं बता रहा हूँ कि राशनकार्ड के ए.पी.एल. कार्डधारियों को नियम-प्रक्रिया के दस्तावेजी प्रमाणीकरण के विरूद्ध बी.पी.एल. के कनवर्ट करके, स्टॉक रजिस्टर में उनके राशन की उठोत्तरी को दिखाया गया और खुले तौर पर तात्कालीन राज्य सरकार के मंत्री के संरक्षण में गरीबों के राशन में डाका डाला गया और व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस संबंध में मैंने जब तारांकित प्रश्न क्रमांक 239 शीतकालीन सत्र 2025, 16 दिसम्बर, 2025 और 04 मार्च, 2025 को तारांकित प्रश्न क्रमांक 1018 के माध्यम से संबंधित विषय पर प्रश्नकाल के चर्चा के दौरान विषय उठाये। जिस पर माननीय मंत्री जी ने जांच कराये जाने का संबंधी जवाब सदन में दिया था। परन्तु उक्त विषय के संबंध में बिन्दुवार जानकारी, आज मैं सदन को चर्चा के लिए अवगत करवा रहा हूँ। विषय तारांकित प्रश्न क्रमांक 1018, उसकी तारीख 04 मार्च, 2025 थी। उस समय मैंने यह पूछा था कि उसमें कितने बी.पी.एल. राशनकार्डधारियों को ए.पी.एल. से बी.पी. एल. कनवर्ट कर दिया गया तो उसमें माननीय मंत्री जी का जवाब बड़ा विचित्र आया था कि इसमें ऐसा एक भी नहीं किया गया है। इसमें जवाब में लिखा है कि बेलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 2022 से प्रश्नांकित दिनांक तक बी.पी.एल. राशनकार्ड जारी नहीं किया गया है, किसी भी ए.पी.एल. राशनकार्डधारी के राशनकार्ड को बी.पी.एल. राशनकार्ड में कंवर्ट नहीं किया गया है। मैंने प्रश्नांक "क" में यह पूछा कि बी.पी.एल. राशनकार्ड के परिवर्तनधारी हेतु हितग्राही को किस पहचान पत्र का उपयोग किया जाता है तो यह जवाब आया कि ए.पी.एल. राशनकार्ड को बी.पी.एल. राशनकार्ड में परिवर्तित नहीं किया गया। इस कार्य में जवाबदेही संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता। फिर मैंने यह प्रश्न पूछा कि क्या इसके विरुद्ध स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा जांच के आधार पर कोई एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, तो उसमें जवाब आता है कि कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई है, जबकि मैंने जिस दिन यह प्रश्न पूछा था मैंने सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हुए एफ.आई.आर. की कॉपी प्रस्तुत की और उसका दिनांक और क्रमांक

बताया। जब मैंने जांच की मांग तब सदन के अंदर प्रश्नकाल के दौरान माननीय मंत्री जी ने जांच कराने संबंधी आश्वासन दिया था। इसके पश्चात् की जो पूर्ववर्ती व्यवस्था है, उससे मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। तात्कालीन समय में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर कलेक्टर खाद्य शाखा जिला बिलासपुर द्वारा 27 मई, 2024 को 3 सदस्यीय जांच समिति की अंतरिम जांच में यह पाया गया, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि सामान्य राशन कार्डधारियों की कूटरचना के आधार पर ए.पी.एल. कार्ड को बी.पी.एल. कार्ड की दर से राशि ली जाना और उसकी पात्रतानुसार खाद्यान्न नहीं दिया जाना स्पष्ट तौर पर प्रमाणित होता है, यह जांच क्रमांक-1 है, जो जिला स्तर पर हुआ । उसके बाद दिनांक 28 मई, 2024 को कलेक्टर, खाद्य शाखा, बिलासपुर द्वारा ए.पी.एल. राशन कार्ड से बी.पी.एल. राशन कार्ड में परिवर्तन संबंधी अंतरिम जांच प्रतिवेदन संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रेषित किया गया । दिनांक 28 मई, 2024 को ही थाना सिविल लाईन, बिलासपुर में कलेक्टर द्वारा संबंधित विषय पर अपराध दर्ज कराया गया । हद तो तब हो जाती है, जब जांच राज्य स्तर पर क्रमांक-2 के तहत होती है ।

समय :-

1:56 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

दिनांक 11 जून, 2024 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं संचालनालय का आदेश क्रमांक-2854 के तहत जी.एस. पैकरा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिस पर जांच समिति ने जांच करते हुए अपना प्रतिवेदन दिनांक 10 जुलाई, 2024 को सौंपा, जिसमें जांच दल ने यह पाया कि 13.12.2022 से 30.6.2024 की स्थिति तक जिला खाद्य कार्यालय में सक्रिय लागिन आई डी आरसी 8833 से 32 और आरसी 8832 से कुल 1567 सामान्य श्रेणी के राशन कार्डों को बीपीएल श्रेणी के राशन कार्डों में परिवर्तित किया गया है । जांच दल ने यह भी पाया कि कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा, जिला बिलासपुर में राशन कार्ड बनवाने और संशोधन करने के संबंध में प्राप्त आवेदनों के परीक्षण और संधारण हेतु कोई भी तत्कालीन समय में प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था । दिनांक 7 मई, 2025 को जांच कराने हेतु मेरे द्वारा माननीय दयालदास बघेल जी, जो वर्तमान में खाद्य मंत्री हैं, को निष्पक्ष जांच हेतु पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु उसमें भी किसी प्रकार की कार्रवाई आज दिनांक तक मेरे समक्ष नहीं आई है । दिनांक 27 फरवरी, 2026 और 22 जून, 2026 को आपको संबोधित करते हुए संबंधित तारांकित प्रश्न में अपूर्ण जानकारी देने के लिए नियम-52 के तहत आग्रह किया गया था । जब मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा तो दिनांक 16 जुलाई, 2025 को शासन द्वारा श्रीमती नीलम पदुम एल्मा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसका जांच प्रतिवेदन मुझे आजतक अप्राप्त है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो राशन कार्ड के द्वारा भूखों को भोजन देने की व्यवस्था आपके नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी और विश्व स्तर पर हमारे राज्य की पीडीएस सिस्टम को शाबासी मिली थी । देश के विभिन्न संवैधानिक एजेंसियों ने इसकी तारीफ की थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार का विश्व कीर्तिमान स्थापित करते-करते गरीबों की थाली का निवाला छीना है । मैं आपके माध्यम से इस सदन में माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित करते हुए क्या विधान सभा की विधायकों की समिति द्वारा संबंधित विषय की जांच कराएंगे ? क्योंकि यह विषय इतना गंभीर है और मुझे जो जानकारी प्राप्त है कि प्रदेश के हर जिले में पूर्ववर्ती सरकार के समय यह कर्मकांड किया गया है तो गरीबों के राशन पर डाका डालने के विरूद्ध जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई से सरकार क्यों बच रही है ? मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न दिनांक 16.12.2025, प्रश्न क्रमांक 239 हमारे विधायक जी का प्रश्न था । इस प्रश्न में पूरा विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी । जांच करने के लिए भी आश्वासन दिया गया था, इसकी जांच भी की गई है । अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन स्तर पर क्रमश: जिला स्तर पर, संचालनालय स्तर पर और राज्य स्तरीय पर जांच दल का गठन कर जांच दल के द्वारा जांच किया गया है । इस जांच में पाया गया कि जो 19 राशन कार्ड है, उसमें 15 राशन कार्ड सही पाये गये, 4 राशन कार्ड गलत पाया गया । इसके विरूद्ध संबंधित राशन दुकान के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है। आसंदी के निर्देश से माननीय विधायक जी द्वारा जितने मुद्दे रखे गया हैं, मैं इस पर कहना चाहूंगा कि विधायक जी के द्वारा यह बताया गया है, मैं उसको आपके माध्यम से आई.डी. नंबर भी उल्लेखित करना चाहता हूं। जिस आई.डी. नंबर से राशन कार्ड बने हैं, स्पष्ट रूप से समाचार'-पत्रों के माध्यम से भी उल्लेखित है कि मध्यप्रदेश के सागर से ये आई.डी. नंबर खोले गये हैं। वहां से 13 सौ राशन कार्ड डिलीट किए गए। जब यह विषय उठा तो पता चला कि ये राशन कार्ड सन् 2022 में बने थे और उसकी शिकायत सन् 2024 में हुई है। शिकायत करने के बाद वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 1300 राशनकार्ड डिलीट किए गए हैं। बेलतरा विधान सभा की दृष्टि से आज यह जवाब दिया जा रहा है। एक विषय आया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, हमारे आदरणीय विधायक जी की ओर से एक और शिकायत आया था। उसमें आदरणीय विधायक के द्वारा गया गया था कि मैं एक बार फिर आपके माध्यम से स्थापित करता हूं कि आज सदन में मेरे पास सूची है, यदि आप कहें तो मैं सदन के पटल पर रख देना चाहता हूं। 225 ऐसे राशनकार्ड हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा, माननीय विधायक जी का एक तीसरा प्रश्न था कि 57 ऐसे कार्ड हैं, जो बड़े लोगों के हैं, डाक्टर के हैं, उनका यह आरोप था। आसंदी से निर्देश मिला था कि ये

जितने दस्तावेज बता रहे हो, वह मंत्री जी को उपलब्ध करा दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी कहना चाहता हूं कि वह दस्तावेज मुझे उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं आज भी विधायक से कहना चाहूंगा कि वह दस्तावेज जो आसंदी का निर्देश था वह दस्तावेज मुझे दे दें। जिस समिति से जांच कराने, जैसे विधान सभा की समिति से जांच कराने की बात कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 मई, 2025 को मेरे द्वारा पूरे तथ्यों के साथ माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर पत्र भेजा गया है। मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वे आज भी राशनकार्ड प्रासंगिक हैं, जो ए.पी.एल. से बी.पी.एल. में कनवर्ट किए गए हैं। स्थानीय पार्षद द्वारा अभिप्रमाणित और वर्तमान में ऐसे 57 कार्डों की सूची मेरे हाथ में है, यदि आप अभी कहें तो मैं पटल पर रख देता हूं। परन्तु एक मांग है कि आखिर उस दोषी अधिकारी को बचाने के पीछे तारतम्य क्या है ? ऐसी कौन सी कड़ी है, जो दोषी अधिकारी को बचाया जा रहा है, जो गरीबों की थाली से निवाला खा गया है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से पुन: आग्रह कर रहा हूं कि मेरे पत्र के आधार पर कोई भी जांच कमेटी बनी, जो 16 जुलाई, 2025 को बनी। माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि विधायक की उपस्थिति में जांच हो जायेगी। लेकिन आज दिनांक तक मुझे व्यक्तिगत तौर पर प्रशासनिक तौर पर कोई नहीं सूचना है कि राज्य से कोई जांच कमेटी तीसरी बार बनी है। 3-3 बार जांच होने के बाद संबंधित ऐसा कौन सा अधिकारी है, जो पूरे विभाग के ऊपर जांच कर रहा है। पूर्ववर्ती सरकार का ऐसा कौन सा अधिकारी है, जो घोटाले की श्रृंखला चला रहा था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य लगातार पूर्ववर्ती सरकार के बारे में आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय जांच का आदेश करें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक आपत्ति है कि कोई अधिकारी किसी सरकार का नहीं होता है। पूर्ववर्ती सरकार का कोई अधिकारी, इस पर मेरी आपत्ति है। आप उसको दिखवा लीजिये, शायद वह शब्द नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उसको दिखवा लूंगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मांग है कि क्या विधान सभा की विधायकों की कमेटी के द्वारा इस गंभीर विषय पर कोई जांच करायी जायेगी ? माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय विधायक जी के पास दस्तावेज उपलब्ध है, उसे दे दें। जो विषय मिलता है..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सहमति बन गई है। आपके पास जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, जो आपने आरोप-पत्र में लगाया था, वह दस्तावेज दे दें। फिर उसकी पूरी जांच मंत्री जी कराने के लिए सदन में

घोषणा कर रहे हैं। दो बार कर चुके हैं, तीसरी बार हो रहा है। आपने इसकी घोषणा कर दी तो आज ही माननीय विधायक जिन बिन्दुओं पर जांच कराना चाहते हैं, कृपया मंत्री जी को दे दें तो जांच हो जायेगी। आप संतुष्ट हो जायेंगे कि अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। राजेश जी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक रूप से बहुत संवेदनशील मामला है और एक विधान सभा की एक कमेटी ने उसके बारे में तो एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी । एक सिंगल चपरासी तक सस्पेंड नहीं किए हैं, सिंगल चपरासी तक। तो बड़े अधिकारी की बात कहां करेंगे? किनको बचाना चाहते हैं? क्या राशन माफिया को बचाना चाहते हैं? क्या अधिकारियों को बचाना चाहते हैं? आपने अपने कार्यकाल के अंदर किसके खिलाफ में एक कार्रवाई की है? ढाई साल के कार्यकाल में एक सिंगल आदमी का नाम बता दें, जिन लोगों ने राशन खाया है, गरीबों का चावल खाया है, ऐसी रिपोर्ट आने के बाद भी, विधान सभा की विधायक दल की कमेटी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी, आपने एक सिंगल आदमी को अगर सस्पेंड किया, कार्रवाई की हो, तो हाउस में बता दें, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व में जांच हुई है, उसकी रिपोर्ट अभी मेरे तक प्रस्तुत नहीं हुआ है । जैसे ही आएगा, मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि यह गरीबों का चावल कोई भी खाएगा, निश्चित रूप से उसके ऊपर कठारे कार्रवाई करेंगे, किसी को बचाने का काम नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आश्चर्यजनक बात है, अगर जिम्मेदार मंत्री यह बोल दे, पिछले विधान सभा सत्र में विधानसभा के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एक चपरासी के खिलाफ तक कार्रवाई नहीं की है। किसको बचाना चाहते हो साहब?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, एक छोटा सा प्रश्न कर लीजिए ।

श्री राजेश मूणत :- मैं यही तो कह रहा हूं कि आपने कोई कार्रवाई की है? अगर आपको रिपोर्ट नहीं मिली है, तो यह भी आश्चर्यजनक बात है कि आप चार महीने में रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। आपके आगे सबके बयान हो गए, सब रिपोर्ट आ गई, सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत कर दी और उसके बाद आप कहें..।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट मेरे पास नहीं आयी है। जो भी दोषी होगा, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- कठोर कार्रवाई होगी, बैठ जाइए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्वासन के बाद में ढाई साल में एक चपरासी सस्पेंड नहीं हो पाया।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, बड़ा आश्वासन हो गया, कठोर कार्रवाई करेंगे, हाउस में बोल दिए। इससे ज्यादा और क्या सुनना चाहते हो? धरम जी।

श्री राजेश मूणत :- धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

अध्यक्ष महोदय :- छोटा प्रश्न करिए, लंबा नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप भी विधायक दल की विधायकों की कमेटी में जांच वाले में आप भी थे क्या?

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, अभी तो सुशांत जी के उसमें विधायकों की कमेटी से जांच...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उसमें मैं हूं, उसमें मैं हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अतिरिक्त समय दिया हूं, जैसे आपको देता हूं न।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो जांच पहले किए हैं, उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है। माननीय मंत्री जी उसको अभी पढ़े नहीं है या उनके तक पहुंचा नहीं है, उसको हम लोगों ने देख लिया है और माननीय मोहले जी की अध्यक्षता में वह प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है। इसी प्रकार से यदि उसको टालते रहेंगे, तो करप्शन रुकने वाला नहीं है, अधिकारी को संरक्षण देते रहेंगे...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, इसमें आप आपकी कमेटी से यह भी जांच कर लीजिए कि मोहले जी ने कहां जमा किया है? (हंसी) किया है या नहीं किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इतना होने के बाद भी यदि कोई कार्रवाई न हो, तो इसका सीधा-सीधा आशय यह है कि संरक्षण देना और बचाना। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारे सम्माननीय सदस्य सुशांत जी ने आधे घंटे की चर्चा में जो प्रश्न उठाए और उसकी कमेटी की जो घोषणा हो जाएगी और जो कमेटी पहले बनी हुई है, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर जो दोषी पाए गए हैं, उसके खिलाफ में तत्काल कार्रवाई करेंगे, तो कब तक करेंगे मंत्री जी?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब प्रकरण पूर्ववर्ती सरकार का है। आखिर मैं क्यों सिफारिश करूं। दोषी को मैं क्यों बचाना चाहूंगा। जो भी दोषी होगा, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- पूर्ववर्ती और अभी की सरकार में आपको दोषी थोड़ी न ठहरा रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी से यही बोल रही हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की बात है तो कर दीजिए न।

श्री राजेश मूणत :- आपको ढाई साल हो गए जी। आपको ढाई साल हो गए, पूर्ववर्ती करते-करते कब तक चलेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, हो गया राजेश जी।

श्री राजेश मूणत :- आपको ढाई साल हो गए, निर्णय आपको करना है, एक सेकंड में होता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आज कल की बात नहीं है, जो प्रतिवेदन आया है, उसकी बात है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, आप भी 15 साल सी.एम. रहे और ढाई साल से अगर आप हैं और आप कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, कब तक पूर्व चलेगा? एकाध अभूतपूर्व कोई फैसला तो कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है।

श्री राजेश मूणत :- घोषणा कर दीजिए कि हफ्ते भर में करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- कठोर कार्रवाई के लिए दोबारा बोल दीजिए, वह फिर सुन लेंगे।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि वह फाइल मेरे पास नहीं आयी है। जैसे ही फाइल आती है, उसमें जो भी दोषी होगा, उसके ऊपर हम कठोर कार्रवाई करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप यह भी बोल दीजिये कि फाइल मंगवा कर करूँगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जब हम निवेदन कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार का मामला है तो आप कर दीजिये। हम निवेदन कर रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप यह भी बोल दीजिये कि फाइल मंगवा कर करूँगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके पास फाइल पहुँच गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने बता दिया है। इतना स्पष्ट है, वह और क्या बोलेंगे। अजय जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पूर्ववर्ती नहीं बोल रहे थे, वह हिड़मा के पूवर्ती गांव को बोल रहे थे। (हंसी)

समय :
2.11 बजे

**<u>अशासकीय संकल्प</u>**

**<u>(1) सदन का यह मत है कि "प्रदेश में बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध और निष्पादन हेतु सख्त नियम बनाया जाये।"</u>**

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। आप जो कार्य करते हैं, मैं उसकी जरूर प्रशंसा करता हूँ। आपने प्लास्टिक जैसे गंभीर विषय पर चर्चा स्वीकार की और आज गुरुवार को अशासकीय दिवस घोषित किया। (मेजों की थपथपाहट) यह निर्णय विधान सभा को एक Height देता है कि आपने किसी भी दिन को अशासकीय दिवस के रूप में घोषित कर सकते हैं। बहुत दिनों के बाद आपने शुक्रवार के स्थान पर गुरुवार को अशासकीय दिवस घोषित करके जो चर्चा करवाई है, उसके लिए मैं अपनी और सदन के सभी सदस्यों की ओर से आपको बधाई

देता हूँ। मंत्रिमंडल के सदस्यों की ओर से नहीं, क्योंकि वे तो शासकीय बिजनेस वाले हैं। है ना भाई साहब? (उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माणा), श्री अरूण साव की ओर देखते हुए)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि सदन का यह मत है कि "प्रदेश में बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध और निष्पादन हेतु सख्त नियम बनाया जाये।" जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद आवास एवं पर्यावरण मंत्री ही इसका उत्तर देंगे। वे बहुत पढ़े-लिखे, इस विषय को समझने वाले हैं और कभी वे स्वयं ऐसी भूमिकाओं में सक्रिय रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में वर्तमान में प्लास्टिक के संबंध में लगभग छः प्रकार के नियम प्रचलित हैं। जैसे प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडल सहित और बिना हैंडल), नॉन-यूज़ेबल पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक और थर्माकोल से बने डिस्पोजल कप, प्लेट, कटोरे, गिलास, कांटे, चम्मच और स्ट्रॉ। मैं हमेशा नियमों में किसी विशेष सामग्री या वस्तु का उल्लेख करने के विरोध में रहता हूं। मान लीजिए, यदि इसमें बाहर की चीज रही तब हम क्या करेंगे? एक बार यह तय हो जाए कि प्लास्टिक रिसाइकिल करने योग्य है या नहीं है और वस्तुओं के नाम गिनाने के बजाय उसके संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश हों कि यह रिसाइकिल वाली प्लास्टिक नहीं है तो हम यह कार्रवाई करेंगे। उसके बाद नियम 3 में तरल पदार्थ रखने वाले डिस्पोजल, कप एवं डिस्पोजल, पाउच खाद्य एवं अनाज की प्लास्टिक पैकेजिंग से संबंधित है। फिर नियम 4 में पैकेजिंग है, जो उत्पादों को लपेटने, संग्रहण हेतु की जाने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग से संबंधित है। फिर प्लास्टिक और थर्माकोल से बने साज-सज्जा के सामान और फ्लेग है। फिर नियम 3 के ही ये सारे अ, ब, स, द, ग कंडिकाएं हैं। आखिरी वाला जो द है, वह गुटखा, तंबाकू, पान मसाला के लिए प्लास्टिक से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक शब्द दिया 'कचरे से कंचन'। मैं देश में पहली बार यह बात देख रहा हूँ कि विधायिका किसी समाज के स्वभाव परिवर्तन के लिए भी काम करती है। स्वच्छ भारत मिशन उसी का एक अभिन्न अंग है, जो देश की सदियों पुरानी आदतों को बदलने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे, तब उसके लिए आपने भी महत्वपूर्ण कानून बनाए थे। यह मिशन देश के खुले में शौच करने की आदत को पूरा बदल कर रख दिया। उस समय जब ये योजनाएँ आई थीं, तो लोग कहते थे कि क्या मोदी जी के पास कोई और काम नहीं है? कभी जन-धन खाते खुलवाना, तो कभी खुले में शौच से मुक्ति का काम, यह क्या-क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज परिणाम सबके सामने हैं। जन-धन खातों के बाद आज देश की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुँच रही है। (मेजों की थपथपाहट) उन लोगों के महान नेता के विचार थे कि जब मैं एक रुपया भेजता हूँ, तब उसमें से 85 पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं। आज तो नेता प्रतिपक्ष और उनके परम सहयोगी भी सदन से गायब हो गये हैं। वे कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 3डी आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको बताते तो, भांचा। आ जाएगा अलग बात है, लेकिन आ रहा है या नहीं आ रहा है?

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर कुछ चलना नई हे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मेरा चले या मत चले, वह अलग विषय है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, आप उसको बताईये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष और उनके सहयोगी गायब ही नहीं है, बल्कि पूरा देश से पूरा कांग्रेस सरकार को हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष और उसके परम सहयोगी भी गायब हो गये । कहां है नहीं मालूम ?

श्री केदार कश्यप :- पूरा कांग्रेस गायब हो जायेगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :-थ्रीडी आ रहा है कि नहीं उसको तो बचाओ भांचा ? आ जायेगा अलग बात है । थ्रीडी आ रहा है कि नहीं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- लेन बइठना मामा । तोर कुछ चलना नइ ए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- चले मत चले, वह अलग विषय है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको बताईये ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब पूरी दुनिया के सामने चाहे वह हिमालय हो, चाहे वह प्रशांत महासागर का सबसे गहरा इलाका हो, चाहे वह ग्लेशियर हो चाहे वह तालाब का पानी हो, चाहे जानवर हो या इंसान हो । गाय का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पेट से 40 किलो पालीथिन निकला था । जो स्वास्थ्यगत् प्रभाव हैं, मैं ज्यादा तो गिनूंगा नहीं, हार्मोन असंतुलन, कोशकीय क्षति, हृद्य रोग, तंत्रिका तंत्र, बांझपन, श्वसन तंत्री लीचिंग यानी पानी में घुलमिल जाना, अब कल एक प्रश्न था, माननीय लखनलाल जी नहीं है । दारू की बोतल प्लास्टिक की हो गई, बिना किसी विशेषज्ञों के बगैर सलाह लिये, बिना किसी बात के, मैंने एक यूनिवर्सिटी के रसायन शास्त्र विभाग के एच.ओ.डी. को फोन लगाया कि साहब ये प्लास्टिक बॉटल उचित है या अनुचित है, उन्होंने स्पष्टतौर पर कहा कि प्लास्टिक बोतल अनुचित है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिये, उसका कारण क्या बताया गया कि कांच का बोतल टूट-फूट जाती है और कास्ट इफेक्टिव होगा, इसलिये हम लागू कर रहे हैं । इस चीज को पूरी दुनिया रिजेक्ट कर रही है और हम बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के लागू कर रहे हैं और हम 6 कानून बनाकर भी रखे हैं । सरकार जब खुद कानून का उल्लंघन करती है तो स्थिति निश्चित रूप से भयावह होती है, जो इस मामले में दिख रही है कि हम दारू के बोतल में इसे देंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, शरीर पर जितने तरह के डिसआर्डर हो रहे हैं, समाज पर और बच्चों पर इसके प्रभाव पड़ रहे हैं, यह तो स्वास्थ्यगत् चीजें हो गई, इसके बाद मिट्टी की उर्वरता विषैली हो रही है । जल निकासी, सड़क बाधित हो रही है, प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है, लैण्ड फिल कचरे का ढ़ेर बढ़ रहा है । अभी पूणे शहर में कचरे के ढ़ेर ढ़हने से 7 लोग मर गये, यह स्थिति हिन्दुस्तान में प्लॉस्टिक या कचरे की है । प्राकृतिक स्थलों में, मैंने ग्लेशियर

कहा है, चाहे वह प्रशांत महासागर का सबसे गहरा इलाका कहा है, प्लास्टिक से जल, जीव, पर्यावरणीय असंतुलन जितना है, सब प्रभावित है । संसाधन जितने हैं, सामाजिक व्यवहार में भी उनका परिवर्तन आया है, कोई जनजागरण नहीं है, जहां जिसके पास जाओ, बिना प्लॉस्टिक के आजकल काम नहीं चलता है, पहले लोग झोला लेकर सब्जी लेने जाते थे, आजकल वहीं से लोग पॉलीथिन में लेकर आते हैं तो ये प्लॉस्टिक के अनियंत्रित उपयोग ने मानव स्वभाव को भी प्रभावित किया है। ग्रीन हाऊस गैस, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2070 तक भारत के लिये जीरो कार्बन उत्सर्जन स्वघोषित किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी की इस तरह की चीजों की हमेंशा प्रशंसा करता हूँ और प्रशंसक रहा हूँ कि जो उनके सामाजिक समस्यायें हैं, उनके प्रति भी विधायिका कैसे प्रभावित कर सकती है, कैसे निर्णय ले सकती है, आपने भी उसको साबित किया है । माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस चीज पर नजर रखते हैं तो इससे एक जवाबदेही का भाव बढ़ता है । सरकार पर इन कारणों से वित्तीय दबाव भी बढ़ रहा है, यह सब चीजें सारा सदन जानता है कि प्लॉस्टिक में आज छत्तीसगढ़ में 140 टन उपयोग होता है, यह आधिकारिक रूप से ऊपर नीचे हो सकता है, जिसमें प्रतिदिन 40 टन तो ऐसे हैं, जिसमें निष्पादन होता नहीं है । हम प्रतिदिन सिर्फ प्लॉस्टिक के 40 टन कचरे को बढ़ा रहे हैं । अब यह तय करना पड़ेगा कि हम जाना किधर चाहते हैं, यदि हम इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कानून ला सकते हैं, एआई में लीडरशिप करेंगे बोल रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर में लीडर बनने जा रहे हैं, उसकी सब चीजें हो गई । अध्यक्ष महोदय, हम विविध क्षेत्रों में लीडर बनने जा रहे हैं तो हम प्लॉस्टिक के बारे में लीडर क्यों नहीं बन सकते हैं ? माननीय मंत्री जी, और भी सदस्य बोलेंगे, मैं जितना चित्रित कर रहा हूँ, उससे ज्यादा भयावह स्थिति मानव जीवन पर, समाज के जीवन पर, वन्य प्राणियों पर,  पशु पालते हैं, उसके उपर, पानी पर, स्वास्थ्य पर, मानव स्वभाव पर सब चीजों में यह प्रभाव डाल रही है और आपके छः कानून तो मौजूद हैं लेकिन आपके पास कोई तंत्र नहीं है और समन्वय नहीं है। आवास पर्यावरण एक नोडल डिपार्टमेंट, अधिशासी डिपार्टमेंट हो सकता है, विभाग हो सकता है, आप भारसाधक मंत्री हो सकते हैं, लेकिन यदि नागरिक क्षेत्रों में नगरपालिका निगम या स्थानीय शासन काम करती है, उसमें पंचायती राज की संस्थाएं काम करती है तो उसको कौन अधिशासित करेगा? जो प्लास्टिक है, उसके बारे में छः कानून हैं, वह पंचायत की किसी धारा में शामिल नहीं हैं, उसके किसी कृत्य में शामिल नहीं हैं। जो समितियां पंचायती राज संस्थाओं में बनती हैं या नगरीय निकायों में बनती है, मैं नहीं जानता कि उसमें पर्यावरण की कोई समिति काम करती होगी। नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत में या त्रिस्तरीय पंचायती राज में जितनी समितियां काम करती हैं, उसमें कहीं पर भी पर्यावरण में चिंता व्यक्त नहीं की...।

श्री रामकुमार यादव :- महोदय जी, भैया थोड़ा से आग्रह हे, हमन जानत हन, तुंहर बहुत ज्ञान हे। लेकिन तुंहर ज्ञान ला तुंहरेच पक्ष मन लेना नहीं चाहत हे। तुंहर ज्ञान के एक जगह उपयोग हो सकत हे।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी मोला ऐखरे बर बइठारेस ते हां। में समझेव ते कहीं अक्ल के बात करबे। में तोर से अक्ल के अपेक्षा करके गड़बड़ कर बईठेंव। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- अयोध्या में नया समिति बनही न, तिहां तुंहर फर्स्ट में भूमिका होही, जहां परिंदा भी पर मत मार सकय। ए मेर तुंहर ज्ञान के कोई मतलब नई हे। जैसे 5 साल गोबर-गोबर कहत रहे ना, दिमाग में भरे रही से, मोला अभी भी ओसनेच लागत हे।

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, मैं तो खत्म करत हों, तोर सुझाव ला मानत हों। स्थानीय संस्थाओं में कहीं पर भी समिति, उनके लिए कोई सर्कुलर, कोई मार्गदर्शन कि आपका व्यवहार ऐसा हो, इसके प्रति यह दृष्टिकोण हों, सिवाय नाली से पॉलिथीन साफ करने के अतिरिक्त, उनके पास कोई ड्यूटी है, ऐसा मैं नहीं समझता। मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि कहीं प्लास्टिक पर कोई निगम या संस्थान या विभाग ने कार्रवाई की हो। मेरा आपसे यह अनुरोध है, साहब, मेरे लिए यह प्रेस्टीज का विषय नहीं है, इसको वापस लेना है कि इसको रखना है। मेरे लिए विषय है कि यह वैश्विक चिंता है, भारत की चिंता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है, हमारे पास भी कानून, नियम, निर्देश सब उपलब्ध हैं, लेकिन वह प्रभावी क्रियान्वयन कैसे हो? 40 टन प्लास्टिक जो प्रतिदिन जमा हो रहा है, उसका क्या करेंगे? उसके लिए क्या चीजें हैं? मैं आपसे यह भी कह रहा हूं, चाहे नगरीय निकाय या पंचायती राज संस्थाएं हों, चाहे सरकार हों, इसकी एकल ड्यूटी नहीं है। आप सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए, समाज में प्लास्टिक आंदोलन बने उसके लिए, हमारे कार्य के एजेंडा में, हमारी जीवनशैली में वह शामिल हो...।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, अजय जी आपके पक्ष में और लोग बोलेंगे, बहुत लोग हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं आपके निर्देश के बाहर तो काम ही नहीं करता। वह मेरी आदत में है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा कोई निर्देश इसलिए नहीं है, आज दो विद्वान सदस्य और विद्वान मंत्री, दोनों का सवाल-जवाब क्या होगा, मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसलिए चाहता हूं दूसरे भी बोलें। श्री उमेश पटेल जी। वे आपके पक्ष में ही बोल रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि यह सामाजिक आंदोलन भी बने तो उसमें सरकार एक भूमिका निभाए। बजट देना पड़े उसके लिए, अमला देना पड़े उसके लिए, सजा देनी पड़े उसके लिए, गोष्ठी करना पड़े, सेमिनार करना पड़े, सिंपोजियम करना पड़े, आप जो-जो कदम उठा सकते हैं। फिर से यह बात कहते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि यह प्रेस्टीजियस बिल्कुल नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अभी कहेंगे तो मैं अभी संकल्प वापस ले लूंगा। लेकिन एक कमिटमेंट यदि शासन की ओर से आता है कि इसमें हम सदन के मत के हिसाब से करेंगे तो अच्छी स्थिति होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इस विषय को

लिया, आज के दिवस को आपने अशासकीय दिवस किया, उसके लिए फिर से आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- भगवान जगन्नाथ की कृपा है। (हंसी) चलिए।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अशासकीय संकल्प अजय चंद्राकर जी ने लाया है, मैं उसका पूरा समर्थन करते हुए अपनी कुछ बात रखूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जान रहे हैं कि प्लास्टिक के क्या-क्या नुकसान हैं। एक रिसर्च जो हुआ है, उसमें एक प्लास्टिक को समाप्त होने में लगभग 500 से 700 साल लग रहा है, जब तक वह नष्ट नहीं होता। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है और सबसे बड़ी समस्या माइक्रोप्लास्टिक की है। जाने-अनजाने में एक आदमी एक हफ्ते में लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक अपने शरीर के अंदर ले रहा है, चाहे वह किसी भी स्वरूप में ले। अध्यक्ष महोदय, 20 सबसे डर्टीएस्ट सिटीज की आज एक रिपोर्ट जारी हुई है।  यह हम सबके लिए अच्छी बात नहीं है, हम सबके लिए खराब बात है। उन 20 में से जो 15 सबसे डर्टीएस्ट सिटीज हैं, उसमें हिंदुस्तान की सिटीज आती हैं और उसमें अगर कुछ सबसे ज्यादा काम कर रहा है तो वह प्लास्टिक है। मेरे ख्याल से प्लास्टिक के लिए हमें इसमें थोड़ा सा इनोवेटिव, थोड़ी सी रिसर्च ज्यादा करनी चाहिए। जैसे मेरा एक सुझाव है कि जो रोड्स बन रहे हैं, अगर हम उसमें कोलतार के साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। क्योंकि रोड के लिए सबसे ज्यादा जानलेवा पानी होता है। पानी नीचे जमीन को खराब करता है और गड्ढा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम उसमें ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दें, जिससे प्लास्टिक का रिसाइकिल हो और वह रोड में इस्तेमाल हो तो रोड की भी लाइफ बढ़ेगी और प्लास्टिक भी रिसाइकिल होगा। क्योंकि बिना 3R के हम प्लास्टिक से बच नहीं सकते। 3R मतलब, पहला है–रिड्यूस, रिड्यूस तो हमको करना ही है, दूसरा है–रियूज और तीसरा है–रिसाइकिल। जब तक हम इन तीनों पर नहीं जाएंगे, तब तक हम प्लास्टिक से बच नहीं सकते। प्लास्टिक एक जेन्युइन समस्या है। मैं तो अजय जी को धन्यवाद दूंगा कि इस विषय को आपने लाया और राजनीति से परे ऊपर उठकर इस विषय पर हम सबको चिंता करने की जरूरत है। इसमें जिस कानून की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि पूरा सदन इसमें एकमत में, एक स्वर में साथ देगा कि इस प्लास्टिक के यूज से हम किस तरह से बचें। मेरे ख्याल से हमें जापान की टेक्नोलॉजी को भी देखने की आवश्यकता है। जिस तरह से वे लोग प्लास्टिक को एक ऐसी भट्ठी में डालते हैं जो हाई टेम्प्रेचर भट्ठी होती है और उसके टेम्प्रेचर का यूज करके वह इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उससे प्लास्टिक भी खत्म हो रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो रही है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी पर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि चाहे जीव-जंतु हो, चाहे जलीय जंतु हो, चाहे हम स्वयं इंसान हो, आज माइक्रोप्लास्टिक से हम सबका जीवन अस्त-व्यस्त है। मैं इसका पूरा समर्थन करते हुए यही चाहूंगा कि इस सदन में माननीय मंत्री जी संकल्प लें कि इसमें किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, आगे इसमें हमारा रोडमैप तैयार हो और

हमसे जिस सहायता की अपेक्षा होगी, इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज अशासकीय संकल्प "प्रदेश में बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग और प्रतिबंध" के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। जैसा कि सम्मानित सदस्य अजय चंद्राकर जी ने कहा कि जब तक हम अपने स्वभाव में इसे नहीं लाएंगे, तब तक यह प्रतिबंध नहीं होगा। आज आप देखिए कि यह अशासकीय संकल्प जिन्होंने लाया है, उनके चश्मे का फ्रेम भी प्लास्टिक का है और जो मंत्री जवाब देने वाले हैं, उनका भी चश्मा प्लास्टिक का है और मैं जो बोल रहा हूं तो स्वयं मेरा भी चश्मा प्लास्टिक का हो सकता है। (हंसी) हम अभी सदन से बाहर जाएंगे तो पानी भी हमें प्लास्टिक की बोतल पर मिलेगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक क्रांति लाई और आज हम कहीं न कहीं सड़कों पर या कहीं पर भी कचरा फेंकने से बचते हैं और कोशिश करते हैं कि वह कचरा डस्टबिन में ही जाए। मैं इसमें इसलिए और बोलना चाहता हूं क्योंकि प्लास्टिक के कचरे के ढेर पर मेरी धर्मपत्नी ने 4 साल पीएचडी किया है और 4 साल इस पर पीएचडी करके उसने मुझे बताया, यह ज्ञान उनका नहीं है, मतलब उन्होंने मुझे एक जानकारी दी। (माननीय सदस्य श्री प्रबोध मिंज द्वारा कुछ कहने पर) पत्नी विवाह के बाद ही आती है भाई। (हंसी) मेरी पत्नी पीएचडी अभी की है, विवाह के बाद पीएचडी की है। इसी साल कंप्लीट हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि कितने खतरनाक तरीके से यह जो प्लास्टिक के कचरे का ढेर है, इससे शहर को क्या नुकसान हो रहा है। हम करोड़ों-अरबों रूपए विकास कार्य में लगा रहे हैं और प्रतिदिन हम इस बात को लेकर खुश हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ नये विकास की गति को आगे बढ़ा रहा है। हम लोग खुश भी हैं कि विकास दिखता भी है। लेकिन आप देखिए कि पहले चार राज्यों को मिलाकर एक कैंसर हॉस्पिटल हुआ करता था, आज एक राज्य में 4-4, 5-5, 10-10 कैंसर हॉस्पिटल हैं। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण प्लास्टिक है, जिसे हम अपने जीवन में लाये हैं। आप देखेंगे कि जो भ्रामक विज्ञापन है। माननीय मंत्री जी, इस राज्य में कम से कम पहली पहल यह हो कि जो भी प्लास्टिक के विज्ञापन आते हैं, जैसे पानी के बोतल के आते हैं, हमारे घर में जो पी.व्ही.सी. की पाइपलाइन लगती है, उसके आते हैं, जूते हैं, ऐसे न जाने कितने प्लास्टिक के जो भ्रामक विज्ञापन आते हैं, उस विज्ञापन को देखकर जो लोग आकर्षित होते हैं और प्लास्टिक की खरीदी बिक्री करते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसको भी रोकना चाहिए और आज यह सदन जो इस अशासकीय संकल्प पर चर्चा कर रहा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में कई ऐतिहासिक अशासकीय संकल्प पारित हुए हैं, लेकिन इसे एक ऐतिहासिक संकल्प बना दीजिये। जब सब लोग इसमें सर्वसम्मत है और पूरा शहर इसकी चिंता करता है, पूरा राज्य इसकी चिंता करता है, सभी राजनीतिक दल के लोग अगर इसकी चिंता कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। माननीय मंत्री जी के द्वारा राज्य में इसकी

बड़ी पहल जल्द ही दिखनी चाहिए। क्योंकि जब सरकार कोई पहल करती है या विपक्ष कोई पहल करता है तो उसे नागरिक अपनाते हैं और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं, वह बड़े संवेदनशील है। स्वच्छता जैसे विषय पर पूरे भारत में हमारा अंबिकापुर प्रथम आता है, यह हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। (मेजों की थपथपाहट) अगर दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में सीखने आते हैं कि किस प्रकार से यहां पर कचरे का निष्पादन करते हैं तो यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नही हुआ है जो प्लास्टिक को लेकर संवेदनशील बने। मुझे लगता है कि इस विषय में सर्वप्रथम संवेदनशील छत्तीसगढ़ को बनने की देरी है और छत्तीसगढ़ को इसकी पहल करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ इसकी पहल करके सकारात्मक दिशा में भारत देश को आगे ले जाये। मैं नरेन्द्र मोदी जी के इस अभियान की तारीफ करता हूं और सचमुच हमें अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- कांग्रेस पक्ष के एकमात्र वक्ता, उमेश जी ने भी इसमें चिंता जाहिर की और सर्वसम्मत करने के लिए कहा। कांग्रेस पक्ष या विपक्ष इसमें सहमति देता है, इसका मतलब यह है कि राज्य चिंतित है और हम इसमें सर्वसम्मत की ओर है। इस परिदृश्य में आप भी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से या किसी चीजों से ऊपर उठकर प्रदेश हित में कह सकते हैं। यह आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट। भावना जी, संक्षेप में बोलिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज जो अशासकीय संकल्प आया है कि प्रदेश में बढ़ते हुए प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध और निष्पादन के लिए जो कार्रवाई की मांग की गयी है, मैं इसमें अपना एक छोटा-सा विषय रखना चाहती हूं। इसे प्रतिबंध करना, कोई कानून बनाना, बिल्कुल विधान सभा को अधिकार है, बनना भी चाहिए लेकिन जो चिंता का विषय है, वह हमारे नीचे की इकाई है। आज अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात छोड़ दे तो छोटे से ग्राम पंचायत में, छोटे से गांव के, छोटे से कस्बों की, छोटे से ठेले की भी अगर हम बात करते हैं तो वहां तक भी आज अगर पहले कोई उपयोग की चीजें आती हैं तो प्लास्टिक आता है। जब भी कोई नियम या कोई विषय की चिंता हो तो इस विषय का हम जरूर ध्यान रखें कि जिस तरीके से शौचालय का अभियान, स्वच्छता का अभियान पूरे देश मे चला, एक-एक पंचायतों में चला। आज हमारे 12 करोड़ से अधिक शौचालय बन चुके हैं। उसी तरह अगर इसमें भी प्रतिबंध लगे तो नीचे पंचायत स्तर की छोटी दुकानों तक प्रतिबंधता पहुंचे। दूसरा विषय यह है कि आज बड़े स्तर पर जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज संचालित हो रही है, उनमें किस तरीके से नियंत्रण लग सके। तीसरी चीज, जिस तरीके से आज पंचायतों में, नगर पालिका में स्वच्छता दीदियों के माध्यम से सुबह रायपुर हो या छोटा सा गांव हो, वहां कचरा इकट्ठा किया जाता है, आज तक उसके रिसायकलिंग की कोई सुविधा नहीं बन पायी है, तो वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम प्लास्टिक

का रिसायकल नहीं कर पा रहे हैं। उस विषय पर भी मुझे लगता है कि जब नियम बने, प्रतिबंध लगे तो उन विषयों का भी एक बार जरूर ध्यान रखा जाये। हम सब मिलकर आपके इस अशासकीय संकल्प का समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ। सदन का यह मत है...। रामकुमार जी, आपको भी बोलना है ? आप इतनी देर तक क्यों सोचते हैं ? चलिये, अब बोल दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अजय चन्द्राकर जी के बोले के बाद अउ हमर उमेश पटेल जी..।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों का 36 का आंकड़ा है, वह 63 कैसे हो रहा है ? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, दोनों के बोले के बाद बहुत। लेकिन मे हर अपन गांव में देखथन तो जतका ये प्लास्टिक उपयोग करइहा मन हे, ये बड़े-बड़े शहर मा रहिथे अउ गांव के रहने वाला मन जब जंगल के भीतर में जाथन तो वहां पतरी में खात हे। हमन जब बड़े-बड़े शहर में आथन, फाईव स्टार होटल में आथन तो वहां प्लास्टिक के सामान लगे रहिथे। तो जतका पढ़े लिखे हे, पांच ठन फोल्डिंग खोचे हे अउ का पढ़े हस तो मे हर पी.एच.डी. करे हन कहाथे, ओ हर ज्यादा प्लास्टिक के उपयोग करथे। अउ गांव में जाकर देखिहव,  वहां पढ़े-लिखे नई रहय, लेकिन ओहर प्रकृति के बहुत मानने वाला रहथे। हमला शुरूआत वहीं से मानना चाहिए अउ जो आजकल गांव-गांव में पतरी चलत हे, प्लास्टिक के पतरी निकलत हे, वह मशीन ला बेचाय बर बेन करा। अउ बेन करा इहां जो प्लास्टिक के हावय, ओमा उद्योग मंत्री होही, ओ सब ला बेन करा, तब तो बनही। अब आप मन मशीन ला बेचते रहिहा तो कैसे में बंद होही। ये सब चीज ला  सब ला विशेष चिंतन हे अउ हमू ला चिंता हे, लेकिन बड़े आदमी मन ज्यादा फैलात हे, इहीं ला शुरूआत करा। हमन गांव के प्रकृति के जानने वाला हन। चन्द्राकर जी पूछन ओकरे घर में कई ठे प्लास्टिक लगत होही, लेकिन पहले आप ला बंद करय लागही। आप बोलय के मौका देव, एकर लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि '' प्रदेश में बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध और निष्पादन हेतु सख्त नियम बनायें जायें।'' माननीय मंत्री जी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य मे जनित घरेलू अपशिष्ट के संग्रहण हेतु नगरीय निकायों द्वारा डोर-टू-डोर संग्रहण की व्यवस्था है। उक्त संग्रहित घरेलू अपशिष्ट से प्लास्टिक अपशिष्ट के सेपरेशन की, पृथक्कीकरण की एवं निपटाने किये जाने हेतु नगरीय निकायों में एस.एल.आर.एम. सेंटर्स एवं कंपोस्ट शेड बनाये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त नगरीय निकायों द्वारा सीमेंट उद्योगों के साथ भी प्लास्टिक अपशिष्टों एवं कचरे से पृथक किये हुए अन्य ज्वलंतशील अपशिष्टों सेग्रीग्रेटेड कम्बस्टिबल फ्रैक्शन सी.एस.सी.एफ के सीमेंट कीलन को को-प्रोसेसिंग के माध्यम से निपटान हेतु अनुबंध भी किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा

44 प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता इकाईयों को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत संचालित सम्मति भी जारी की गई है। इन इकाइयों द्वारा भी प्रदेश में जनित होने वाले प्लास्टिक अपशिष्टों के पुनचर्क्रण का कार्य किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्टों के समुचित निपटान प्रबंधन तथा कार्यवाही हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 यथासंशोधित जारी किये गये हैं एवं छत्तीसगढ राज्य में छत्तीसगढ़ प्लास्टिक एवं अन्य जैव अनाशित सामग्री उपयोग और निस्तारण का विनियमन अधिनियम 2020 एवं छत्तीसगढ़ प्लास्टिक एवं अन्य जैसे अनाशित सामग्री उपयोग और निस्तारण विनियमन नियम 2023 बनाये गये हैं। छत्तीसगढ़ प्लास्टिक एवं अन्य जैव अविघटनीय सामग्री उपयोग एवं निस्तारण का विनियमन नियम 2023 का उद्देश्य राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। इन नियमों के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टिक, ईयर बड्स, थर्माकोल और झंडे जैसे कम उपयोगिता व अधिक कचरा फैलाने वाले उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया गया है। पी.ई.टी. बोतलों के लिये बायपैक एवं पुनर्चक्रण व्यवस्था अनिवार्य की गई है। निर्माताओं पर विस्तारित उत्पादक, उत्तरदायित्व ई.पी.आर. लागू किया गया है। नियम सभी सरकारी, निजी संस्थानों, व्यापारियों एवं नागरिकों पर लागू हैं। उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी है। तो पुनर्चक्रण एवं वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा दिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला प्रशासन एवं नगरीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से समय-समय पर छापामार कार्रवाई की जाती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, अभी आपने उत्तर में कहा, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। एकात उदाहरण बताईये कि इस संस्था में इन्होंने दंडात्मक कार्रवाई की हो तो। मैंने कहा कि इसी को प्रभावशील करना है।

अध्यक्ष महोदय :- पहले इनका पूरा उत्तर आ जाये, उसके बाद यदि कोई बिन्दु आपको ध्यान में आता है तो उसका फिर से जवाब दे सकते हैं। इसलिए इनको पूरा पढ़ने दीजिए।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निस्तारण को बढ़ावा दिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला प्रशासन, नगरीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से समय-समय पर छापामार कार्रवाई की जाती है एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, उपयोग, परिवहन, वितरण, विक्रय, संग्रहण एवं आयात पाये जाने पर कार्रवाई की व्यवस्था है। प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण करने वाली 16 इकाइयों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उत्पादन बंद करने, विद्युत विच्छेदन करने, सहमति निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विभाग द्वारा

प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं का भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। नगरीय निकायों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघनों पर व्यापक कार्रवाई की गयी है इसमें सबसे अधिक 1599 मामले कूड़ा फेंकने से संबंधित पाए गए, जिन पर 8 लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया है । इसके अलावा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रय के 1044 मामलों में जुर्माना तथा 2033 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त किया गया, जो सख्त निगरानी को दर्शाता है । अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े 728 मामलों में लगभग डेढ़ लाख तथा दहन से संबंधित 297 मामलों में 65,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है । यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्लास्टिक कचरे के अनुचित निपटान उपयोग की समस्या अभी भी व्यापक है । हालांकि शासन द्वारा निरंतर दंडात्मक कार्रवाई और नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं । छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने, इसके दुष्प्रभावों के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु सतत् अभियान संचालित किए जा रहे हैं । इस अभियान के अंतर्गत इको क्लब के स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को शामिल किया जाता है । मंडल द्वारा प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर संगोष्ठी, पोस्टर प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, शपथ एवं कपड़े की थैलियों का वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है । प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, उपयोग, विक्रय एवं भंडारण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है । इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है । इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए रिसाइकलिंग इकाइयों को लगातार प्रोत्साहित किया गया है और उन्हें आवश्यक अनुमतियां प्रदान की गई हैं । जन-जागरूकता को भी सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है । स्कूल, महाविद्यालय एवं आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाई जा सके । राज्य सरकार की यह स्पष्ट प्रतिबद्धता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का समाधान प्रभावी ढंग से किया जाए और राज्य को स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए । राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है और भविष्य में भी और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी कदम उठाती रहेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विभागीय रूप से जवाब आया है, उसको मैंने सम्माननीय सदन में प्रस्तुत किया है लेकिन सम्माननीय सदस्यों आदरणीय अजय चंद्राकर जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय रिकेश सेन जी, आदरणीय भावना बोहरा जी ने विशेष रूप से रखा है और स्पष्ट रूप से यह समझ में आया है कि पूरे सदन की चिंता है कि प्लास्टिक संबंधी विषयों को राज्य में कैसे हम हतोत्साहित करें इस पर बहुत बड़ी चिंता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो ज्यादा हानिकारक होता है और ज्यादा समस्या वाला है, वह माइक्रॉन से उसके डिसाइड करते हैं, उसके रूल्स अलग रहते हैं और इसके संबंध में न केवल राज्य

सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत का पर्यावरण संरक्षण मंडल बल्कि भारत सरकार और एन.जी.टी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी समय -समय पर संज्ञान लेता रहा है, निर्देश आते रहे हैं और इस पर बहुत सारे विषय आते रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि यह किसी भी राज्य के लिये, किसी भी देश के लिए, धरती की उत्तरजीविता के लिए जो सस्टेनेबल डवलपमेंट की हम बात करते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्थ की बात करते हैं । उस दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय है और आप सभी यह भी समझते हैं कि पर्यावरण संरक्षण मंडल का उस तरह का अमला नहीं होता जो सीधे जाकर बहुत ज्यादा कारवाई कर सके । इसमें हम निश्चित रूप से हमारे आदरणीय उपमुख्यमंत्री अरूण साव जी यहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं और वह नगरीय प्रशासन विभाग को देखते हैं । हम उनके माध्यम से भी आपस में सामंजस्य करके नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से पंचायतों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास, पंचायत विभाग की ओर से और जो पूरा समन्वय की दृष्टि से कलेक्टर, एस.डी.एम. इन सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि इस संबंध में नियम-कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं । उनका प्रभावी क्रियान्वयन, उसमें किस तरह से इफेक्टिव एग्जीक्यूशन किया जाए वह मूल समस्या है और यह समस्या है, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के आपसी सामंजस्य के साथ इस दिशा में प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में हम निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो नियम-कानून बने हुए हैं, चाहे एन.जी.टी. के प्रावधान हों, चाहे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के प्रावधान हों या हमारे राज्य से संबंधित अधिनियम, प्रावधान और नियम जो कुछ भी हैं, हम उनको भी एक-बार निश्चित रूप से दिखवा लेंगे और कहीं पर अगर आवश्यक संशोधनों की और कुछ प्रावधानों की जरूरत होगी उस दिशा में भी निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास सुनिश्चित करेंगे, यह मैं रखना चाहता हूँ । दूसरी ओर यह भी कहना चाहूंगा कि यहां पर हमारे सम्माननीय सदस्य उपस्थित हैं। हम सब को भी अपने-अपने क्षेत्रों में और अपने-अपने दायरे में इस दिशा में लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और यह सरकार या विभाग से ज्यादा, जनजागरूकता का भी विषय है। जैसे कैंसर का इशू आया था तो निश्चित रूप से कैंसर बहुत तेजी से धरती के विभिन्न भागों में बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की जीडीपी का प्वाईंट 05 प्रतिशत केवल कैंसर के ईलाज में खा जाता है। लगभग आने वाले दशक में साल का 66 लाख करोड़ रूपया उसी में चला जाएगा। कल मैं एक आंकलन पढ़ रहा था। तो निश्चित रूप से प्लास्टिक और कैंसर का बहुत बड़ा गहरा नाता है और इसी कारण से स्मोकिंग नहीं करने वाले लोग, लिकर कंज्यूम नहीं करने वाले लोगों को भी बिना पैटर्न के आजकल कैंसर प्लास्टिक के प्रभाव से, एग्रोकैमिकल के प्रभाव से पेस्टीसाइड्स के प्रभाव से दिखायी देते हैं तो इस संबंध में मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि प्रभावी क्रियान्वयन विभिन्न जमीनी स्तर पर जो मैदानी अमला है, उसके माध्यम से चाहे वह नगरीय प्रशासन

विभाग हो, पंचायत विभाग हो, एस.डी.एम., तहसीलदार हो, उनके माध्यम से और विभिन्न विभागों के सामंजस्य के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन भी करेंगे और इसमें कोई नियम प्रावधान में कहीं पर कोई विषय आएगा, अगर जरूरत है भारत सरकार के नियमों एन.जी.टी. के प्रावधानों और राज्य सरकार के प्रावधानों के अतिरिक्त उसकी भी व्यवस्था सकारात्मक रूप से हम सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय जी। माननीय मंत्री जी ने इतना शानदार वक्तव्य दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसका खण्डन नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ। माननीय चौधरी जी, मैं आपको सबके सामने एक बात बताऊंगा। माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस समय हमारे पास संसाधन कम थे, पर हमारा कमीटमेंट था डॉ. साहब, डेढ़ लाख से ऊपर पी.आर.आई. चुनकर आते हैं अब तो यह संख्या और बढ़ गई होगी। स्वच्छता, हिन्दुस्तान में पहला कानून डॉ. रमन सिंह जी ने बनाया जो पी.आर.आई. चुनकर आएंगे, उसके यहां टायलेट होना चाहिए। हमारे पास संसाधन तो नहीं थे, लेकिन यह देश का पहला कानून बना कि पी.आर.आई. चुनकर आते हैं उनके यहां टायलेट होना चाहिए। उसका परिणाम यह हुआ और हमने उसको यह कहा कि यह सॉफ्ट कानून है हम उसमें कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे, यह बाद की बात है। कांग्रेस पक्ष ने भी उस समय नेता प्रतिपक्ष जो सीनियर मेम्बर रविन्द्र चौबे जी थे, उन्होंने भी उसका समर्थन किया कि साहब, यह सॉफ्ट कानून है, उसमें साक्षरता भी शामिल था। यह सारे सामाजिक विषय हैं। तो मैं तो एक सुझाव दूंगा, आप यह करेंगे जैसा रहा। पर डॉ. साहब के समय एक कमीटमेंट था कि साहब, हम इसको कम बजट में भी देखते और करते हैं। उस समय एस.जी.आर.वाई. चलती थी, उसके 22 प्रतिशत से भी शौचालय निर्माण का काम, हमने एस.सी. के गांव में देने की कोशिश की। हम क्या कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है। नगर निगम में पीआईसी बनती है, स्थायी समितियां बनती हैं पर्यावरण के भी उसमें कोई समिति और उसको दाण्डिक प्रावधान के अधिकार स्थानीय शासन को मिनिमम दण्ड से यह सुधरने वाले नहीं हैं। दूसरा, नगर, ग्राम पंचायतों में जो जिला पंचायत, पंचायतों में जो स्थायी समितियां बनती हैं उसमें पर्यावरण और प्लास्टिक के विषय में एक समिति बन जाये और उसको मिनिमाईज कुछ भी सास्ति रोपण करने का, सास्ति करने का अध्ययन करके, कुछ करें। तो शायद यह विषय नीचे तक जाएगा। आप अगर यह कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है, मैं जो बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने यह पहले कहा कि यह प्रेस्टिज का विषय नहीं है। आप जो चाहेंगे, आप मुझे वापस लेने के लिए कहेंगे तो मैं वापस ले देता हूँ। आप जैसा कहेंगे, मैं वह कर दूंगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे संज्ञान में है नगर निगम में जो एमआईसी मेम्बर्स बनते हैं और जो नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में पीआईसी मेम्बर्स बनते हैं, उसमें पर्यावरण संबंधी समिति तो है, लेकिन उनको पेनाल्टी इम्पोज करने का या कोई कार्यवाही करने का कितना अधिकार प्राप्त है, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। तो उस दिशा में हम निश्चित

रूप से सकारात्मक पहल करेंगे। चाहे वह नगरीय निकाय से संबंधित हो, चाहे पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हो, आदरणीय हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों आदरणीय अरूण साव जी के पास नगरीय निकाय विभाग है और आदरणीय विजय शर्मा जी के पास पंचायत विभाग है, मैं इनसे चर्चा करके, इस दिशा में हम लोग निश्चित रूप से सकारात्मक पहल करेंगे। एमआईसी मेम्बर्स, पीआईसी मेम्बर्स, समिति तो है, विभाग तो है, मेरे संज्ञान में है, उनको कितना अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- आप संकल्प वापस लेने का आग्रह कर लें ।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चन्द्राकर जी ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए एक प्रस्ताव लाया है और मंत्री जी का उत्तर है । पूर्ववर्ती सरकार के समय 2009-2013 के बीच में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 40 माइक्रो तक प्रतिबंध किया था । उस समय दोनों विभागों की सहमति थी और मैं दोनों विभागों का मंत्री था । उस समय से लेकर आजतक हमने कोशिश करके इसके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन वह धीरे-धीरे शिथिल हो गया । 40 माइक्रो के नीचे वन टाईम प्लास्टिक जो उपयोग में आता है, उसके बारे में नगरीय प्रशासन और आवास एवं पर्यावरण, दोनों विभाग बैठकर निर्णय कर लेंगे । जो सबसे ज्यादा खतरनाक वह है, जो एकदम पतला वाला माइक्रो आता है, जो नालियों को जाम करता है, वन टाईम यूज़ होता है, उस पर एक बार जरूर ठोस निर्णय करके निर्णय लें, संकल्प तो अपनी जगह है, लेकिन 40 माइक्रो पहले से प्रतिबंधित है, उसको नीचे तक लाना है और दोनों विभागों ने उस समय निर्णय किया था, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर भी गंभीरता देखें ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय मंत्री जी, एक आग्रह है । हम लोग रि-ड्यूज़ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके इस्तेमाल को कहीं न कहीं बढ़ावा दें जैसे रोड़ में उपयोग करें । आप टेस्ट करा लीजिएगा, जहां पर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी स्टडी कहती है कि अगर रोड में प्लास्टिक का उपयोग होगा तो रोड की भी उम्र बढ़ेगी, प्लस बहुत सारा कचरा खप जाएगा । इसको पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जा सकता है, बस मेरा इतना ही आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं । मैं 23-24 साल पहले उद्योग मंत्री था, उस समय मैं जापान गया था । वहां के नगर निगम के माध्यम से मुझे एक प्रस्तुतिकरण दिखाया गया, जो उनके प्लास्टिक वेस्ट थे, उनके द्वारा सड़क का निर्माण किया गया था, वह एक किलोमीटर सड़क थी, उसमें चलाकर दिखाए और वह इतनी शानदार सड़क थी । उन्होंने कहा कि इस सड़क की 25-30 साल की लाईफ है और यह प्रमाणित हो चुका है । जब जापान में 25 साल पहले यह टेक्नालॉजी आ गई थी तो अब हिन्दुस्तान में या छत्तीसगढ़ में उस टेक्नालॉजी के बारे में या अन्य टेक्नालॉजी जिसके बारे में आप लोगों ने ध्यानाकर्षित किया तो इसका बेहतर उपयोग ढूंढना चाहिए ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी अपना अनुभव शेयर किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । आदरणीय मूणत जी ने भी जो विषय रखा है कि जो पतला वाला, कम माईक्रान वाला जो प्लास्टिक होता है, वह ज्यादा खतरनाक होता है । उस समय यह प्रावधान किया गया था और कार्रवाई करने के लिए आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उस समय आप लोग आदेशित करते, तब मैं उस समय रायपुर जिले का कलेक्टर था । आदरणीय मूणत जी के नेतृत्व में उनके विभाग के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सी कार्रवाईयां की थीं और आदरणीय उमेश जी ने जो बात रखी है, वह आज की तारीख में सक्सेशफूल टेक्नालॉजी है । नितिन गड़करी जी का इंटरव्यू मैं यूट्यूब में देख रहा था, वे दिल्ली के लिए बता रहे थे कि दिल्ली में कचरे का पहाड़, जब हम हरियाणा तरफ जाते हैं तो राईट साईड में दिखता है, उसमें बहुत सारा निपटान ऑल रेडी रिसाईकलेबल तरीके से उसको यूज़ करते हुए रोड़ कंस्ट्रक्शन में कर दिया है । जहां-जहां उसका उपयोग हो सकता है, उसको भी बढ़ावा देंगे । दूसरी ओर, अभी-अभी एक युवा लड़का मुझसे मिला था तो मैंने उसको पूछा कि क्या करते हो तो वह बोला कि मैं स्टार्ट-अप चलाता हूं, वह दिल्ली का लड़का था । मैंने पूछा कि आप किस पर काम करते हो तो कहा कि मैं केवल वेस्ट पर काम करता हूं । जितने कचड़े हैं, उस पर काम करता हूं और इसमें मेरे वक्तव्य में मेरे डिपार्टमेंट की ओर से एक शब्द आया, ईपीआर (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉसिबिलिटी) आजकल भारत सरकार का एक्ट भी लागू हो गया है कि कोई भी प्लास्टिक उत्पादन कर रहा हो तो उसको वापस कन्ज्यूम करना पड़ता है, कहीं न कहीं उसको रि-साईकल करना पड़ता है । तो आजकल जो लोक रि-साईकल करने का काम कर रहे हैं, मान लीजिए के पेप्सी कम्पनी है या कोई भी स्थानीय कम्पनी है, जो प्लास्टिक प्रोड्यूज़ कर रही हो तो इसमें इस प्रावधान के तहत उस प्लास्टिक का कोई रि-साईकल किया हुआ हो, उससे उसको खरीदना पड़ता है और उसी की ट्रेडिंग का प्लेटफार्म बनाकर वह लड़का स्टार्ट-अप चला रहा था । उसने मुझे दावा किया कि चार साल के अंदर यह यूनिकॉन बन जाएगा । मेरी 10 हजार से ऊपर की कम्पनी होगी। आज दो सौ- चार सौ करोड़ रूपये का वैल्युवेशन है, यह भी उसने दावे के साथ कहा। मैंने बाकी लोगों से इसके बारे में बात की तो यही स्पष्ट रूप से सामने आया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे उद्योग विभाग के माध्यम से हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी इस दिशा में, जैसा कि विभागीय वक्तव्य में भी आया है कि रि-साइकल करने के सम्बन्ध में कई इन्टरपेन्योर्स आगे बढ़े हैं। हमको इसको भी अपने प्रदेश में बढ़ावा देना है ताकि रि-साइकल करने वाले ज्यादा लोग हों, ट्रेडिंग हो पाये। वे उस दिशा में भी काम करें।

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अभी उमेश जी बताया और राजेश मूणत जी भी बोल रहे थे। हमारे बस्तर में इसकी शुरूआत हो चुकी है। जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में एक बुरंदवाड़ा करके क्षेत्र है, श्री लखन जी इसको जानते हैं। वहां प्लाण्ट लगा हुआ है। यह पी.पी.पी. मोड में है। उसमें वहां पेवर बनना चालू हो गया है। शहर की जितनी भी

गंदगियां हैं, उसमें से प्लास्टिक को छांटकर वहां भेजा जाता है। वहां रि-साइकल होकर उसका उसका प्रोसेसिंग अलग लुक्स में दिया गया है। उसका उद्घाटन करके उस समय बीच में आये थे, लेकिन आज वह बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर उसको देखने के जाकर देखे तो बहुत अच्छा है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से सदन में यह बात रखना चाहता हूं कि प्लास्टिक के कितने तरीके से बेहतर उपयोग हो सकता है। आजकल वेस्ट एक वेल्थ भी है। एक बड़ा बिजनेस अपाचुर्निटी इन्टरपेन्योर्स के लिए होती है। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग से किस-किस तरीके से उसका बिजनेस में उपयोग किया जा सकता है, हम लोग इस पर एक अच्छा वर्कशॉप विभाग की ओर से आयोजित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आपकी ओर से सारे इन्टरपेन्योर्स सबको बुलाकर करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) ताकि इसके कुछ बेहतर परिणाम सामने आये। सारे इन्टरपेन्योर्स को जोड़कर करेंगे। मैं ये सारी सकारात्मक बातें सभी सदस्यों की ओर से रखने के लिए सबको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने इतना महत्वपूर्ण संकल्प लाया है। मैं उसके लिए सम्माननीय सदस्य को भी धन्यवाद देता हूं। इसमें विभाग और पूरी तरह से सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे सकारात्मक रूप से कदम उठाने के लिए काम करने के लिए पूर्णत: समर्पित हैं। मैं सभी सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस दिशा में प्रशासन, शासन आगे बढ़ेगा। उसमें हम जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता के लिए जरूर अपील करेंगे। इन सकारात्मक पहलुओं के साथ आदरणीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी को निवेदन करता हूं कि वह अपने संकल्प को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अभिनन्दन है, इसलिए कि आपने खड़े होकर इसकी गंभीरता और बढ़ा दी है। अपने संस्मरण सुनाकर, बीच-बीच में आप अपने विशाल अनुभव से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ायेंगे। तो आपने जो कहा उसके लिए सदन की ओर से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद और आपका अभिनन्दन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उमेश जी और यादव जी के बोलने के बाद हमारे पक्ष के लोग भी बोले। एक सर्वसम्मति का भाव है। मंत्री जी का भी कमिटमेंट है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आखिरी में भाग लेकर इसकी गंभीरता बढ़ाई है। मैंने शुरूआत में ही कहा था कि यह कोई प्रेजटिसयस नहीं है। मैं वापस लेता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, शासन के सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं देता हूं कि इसमें भी छत्तीसगढ़ लीड करते हुए दिखे कि हम जीरो प्लास्टिक की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- क्या यह सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है ?

**अनुमति प्रदान की गई ।**

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्रदान की गई। संकल्प वापस हुआ।

**संकल्प वापस हुआ ।**

**(2) सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये"**

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन का यह मत है कि 'छत्तीसगढ़ राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामय सदन में छत्तीसगढ़ राज्य में एक सर्वसुविधायुक्त खेल विश्वविद्यालय (स्पोर्टस यूनिवर्सिटी) की स्थापना किए जाने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए छत्तीसगढ़ की खेल विभूतियों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। जो बगैर प्रशिक्षण तथा संसाधनों के अभाव में, जिन्होंने विश्व में छत्तीसगढ़ के नाम को रौशन किया। बिलासपुर से आने वाले लेसी क्लाडियस 1948, 1952, 1956 तथा 1960 के ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत के इकलौते खिलाड़ी थे, जिन्होंने 4 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तत्कालीन समय के सी.पी.एण्ड बरार तत्कालीन समय के मध्यप्रदेश और आज वर्तमान के छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया था। मध्यप्रदेश के सुश्री नीता डुमरे प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मातृशक्ति बनकर निकली। सबा अंजुम, हॉकी की उत्कृष्ट खिलाड़ी पद्मश्री अर्जुन अवॉर्डी रेणुका यादव आपके विधान सभा क्षेत्र राजनांदगांव से ही निकली हुई हैं। आकर्षी कश्यप बैडमिंटन में दुर्ग से निकली हुई हैं, कॉमनवेल्थ में टीम भारत का प्रतिनिधित्व किया। ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मृणाल चौबे आपकी ही विधान सभा से भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे। राजेंद्र प्रसाद जी बॉक्सिंग में अर्जुन अवॉर्डी।

समय :
3.00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- हॉकी।

श्री सुशांत शुक्ला :- हॉकी। अजय सारंग जी, राजेश चौहान जी, क्रिकेट भिलाई से आते हैं। अनीता सोढ़ी जी फैंसिंग खेल में रायपुर से। रुस्तम सारंग जी भारोत्तोलन में छत्तीसगढ़ के प्रथम खिलाड़ी, जिनको सीधी नौकरी आपके कार्यकाल में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आपने एस.आई. के पद पर पुलिस विभाग में भर्ती दी थी । अबूझमाड़ के मल्लखंभ की प्रसिद्धि तो आज विश्व में है और लगातार उनका प्रदर्शन विश्व के अलग-अलग खेल मंचों पर हो रहा है। किरण पिस्दा फुटबॉल में बालोद से आती

हैं, भारतीय फुटबॉल टीम की सदस्य हैं। अवि मानिकपुरी, श्री शक्तिराम जाखड़, शशांक सिंह, क्रिकेट। ऐसे विभिन्न विभूतियां खेल की हैं, जो प्रशिक्षण और संसाधनों के अभाव में छत्तीसगढ़ की आज रत्नगर्भा धरती को प्रसिद्धि दिला रहे हैं और आज हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी, शूटिंग, तैराकी, साइकिलिंग, मल्लखंभ जैसे खेलों में लगातार राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर, भिलाई केंद्र बनकर उभर रहे हैं। तीरंदाजी में आदिवासी बच्चों का शिवतराई बिलासपुर के समीप एक केंद्र है, जहां उत्कृष्ट खिलाड़ी निकल रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में, संसाधनों के अभाव में अपना परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे विभिन्न राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में खो-खो, मल्लखंभ, भारोत्तोलन, ताइक्वांडो, कराटे, रोलर स्केटिंग, कबड्डी, बास्केटबॉल जैसे खेलों में भी छत्तीसगढ़ ने अपनी अलग पहचान स्थापित की है। हमारे खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बैडमिंटन, भारोत्तोलन और कवर्धा जैसे छोटे शहर से निकलकर गीता यादव ने जूनियर हॉकी में देश का प्रतिनिधित्व किया है। अध्यक्ष महोदय, आज खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं है। आधुनिक खेल विज्ञान के बिना विश्व स्तर तक की प्रतिस्पर्धाओं में सहभागी होना भी संभव नहीं है। खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स साइंस, बायोमेकेनिक्स, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, डेटा एनालिसिस और आधुनिक प्रशिक्षण तकनीकों की आवश्यकता स्पष्ट तौर पर प्रतीत होती है। दुर्भाग्यवश इन सुविधाओं के लिए हमारे खिलाड़ियों को अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता है। इस प्रतिभा के पलायन का और आर्थिक कारणों से खिलाड़ियों का जो पलायन हो रहा है, यह दुर्भाग्यजनक है। मैं कुछ विषयों पर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यदि छत्तीसगढ़ में खेल विश्वविद्यालय स्थापित होता है, तो सबसे पहले आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित होगी। वर्तमान में जो संरचना बनी हुई है, जो मेंटेनेंस के अभाव में जर्जर हो रही हैं, जिसका संरक्षण और संवर्धन के लिए, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए कोई मद नहीं है, उसके लिए एक राशि विश्वविद्यालय के माध्यम से वहां पर स्थापित हो पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, इंडोर कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, हॉस्टल, स्पोर्ट्स साइंस लैब, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स और रिसर्च सेंटर स्थापित हो पाएंगे, जिसके माध्यम से हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा और विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। दूसरा बड़ा लाभ यह होने जाएगा कि ग्रामीण और वनांचल के आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिभाओं को सीधा लाभ मिलेगा। गांव के खिलाड़ी भी उसी स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे, जो आज यूरोप के विकसित देश के खिलाड़ी प्राप्त कर पा रहे हैं। तीसरा लाभ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ बनने के 25 वर्ष बाद भी खेल को हम रोजगार से नहीं जोड़ पा रहे हैं । ऐसे रोजगार के रूप में जब हम लेंगे, तो खेल विश्वविद्यालय केवल खिलाड़ी नहीं बनाएगा, बल्कि कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स मैनेजर, न्यूट्रिशियन, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, खेल पत्रकार, रेफरी, अंपायर जैसे हजारों रोजगार भी पैदा करेगा। इससे युवाओं को खेल के प्रति एक सम्मानजनक व्यवस्था बनेगी। चौथा लाभ, शिक्षा और खेल का समन्वय होगा। खिलाड़ी अपनी पढ़ाई और खेल दोनों को साथ

लेकर आगे बढ़ सकेंगे। इन्हें छात्रवृत्ति एवं अनुसंधान, उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। पांचवां, जो सबसे बड़ा लाभ यह है कि छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में वह स्थापित नाम होगा, जिस प्रकार कुछ राज्य विशेष खेलों के लिए पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ एक राष्ट्रीय हब बनकर खेल के लिए स्थापित होगा। आज आपसे जब मैं चर्चा कर रहा हूं, तो कुछ विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। देश के अनेक राज्यों में खेल शिक्षा और खेल विज्ञान के महत्व को समझते हुए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। भारत का पहला केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इंफाल, मणिपुर में स्थापित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, झारखंड खेल विश्वविद्यालय और राजस्थान खेल विश्वविद्यालय जैसे संस्थान वर्तमान में भारत की खेल प्रतिभाओं को संवर्धित और प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मध्य क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहाँ संसाधनों, व्यवस्थाओं और अधोसंरचना के अभाव में खेल प्रतिभाओं को वह प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिसके वे हकदार हैं। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सदन से आग्रह करूँगा कि छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को दृष्टिगत रखते हुए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार की कामना करते हुए राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री ब्यास कश्यप जी।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को..।

श्री अजय चन्द्राकर :- ब्यास जी, अभी आपकी उम्र खेलने-कूदने की है।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं स्वयं खिलाड़ी रहा हूँ, मैंने विश्वविद्यालय स्तर पर खेल खेला है और मुझे इस पर गर्व है कि मेरे चारों बच्चे राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपकी उम्र खेलने-कूदने की है?

श्री ब्यास कश्यप :- बिल्कुल, आइए कबड्डी खेल लेते हैं, कुश्ती कर लेते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, ब्यास जी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- अजय भैया, वह जेन खेल ला जानथे, तेला तैं हर नई सकस।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सुशांत शुक्ला जी ने आज जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है, वह छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसे संस्थान की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में हमारे होनहार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यदि किसी खिलाड़ी में प्रतिभा है और हम उसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उन्हें अच्छे कोच की आवश्यकता पड़ती है। किसी

भी खेल में खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए कोच की विशेष भूमिका होती है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इस राज्य में खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास भी होता है और पुरस्कार राशि की भी घोषणा की जाती है कि ओलंपिक, एशियाई खेलों या राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर हम राशि देंगे, साथ ही उन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति भी प्रदान करेंगे। परंतु जब हम समाचार पत्रों या स्पोर्ट्स चैनलों को देखते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को वह स्थान नहीं मिल पाता, जिसके वे हकदार हैं। मेरा मानना है कि कोई खिलाड़ी यदि अपनी प्रतिभा के साथ-साथ शिक्षा में भी आगे बढ़ना चाहता है तो ये दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। यदि वह अपनी इच्छा व्यक्त करता है, वह खेल में आगे है और हम उसे प्रोत्साहित करेंगे तो वह अपने खेल के बल पर अपने परिवार, शहर, जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगा। साथ ही, जब वह बाहर जाएगा, तो उसे बेहतर संगति मिलेगी, जिससे उसका जीवन और भविष्य और भी बेहतर बनाएगा। मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ क्योंकि मेरे चार बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। मैंने भी विश्वविद्यालय स्तर पर क्रिकेट और कबड्डी जैसे विभिन्न खेल खेले हैं। इसलिए मुझे इस बात का अहसास होता है कि यदि हमें उस समय बेहतर प्रशिक्षण मिला होता तो निश्चित रूप से हम और बेहतर प्रदर्शन कर पाते। मैंने अपने पुत्रों और पुत्रियों को खेलकूद और पढ़ाई दोनों में स्वतंत्रता दी, जिसके कारण उन्हें दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी संगति मिली। यद्यपि हमारे परिवार में डॉक्टर बनाने जैसा माहौल नहीं था, परंतु खेल की वजह से उन्हें अच्छी संगति मिली और वे आज उच्च पदों पर आसीन हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जैसे अलग-अलग विश्वविद्यालयों में B.P.Ed और M.P.Ed की शिक्षा दी जा रही है  और शिक्षा विभाग से उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये । जैसे हायर सेकेण्डरी या महाविद्यालयीन स्तर पर उनको प्रोत्साहित करें तो वह अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके जब वह विश्वविद्यालय में जायेंगे तो उसका लाभ निश्चित रूप से प्रदेश को  मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज देखता हूँ कि हमारे शहर अलग-अलग शहर में अलग-अलग प्रतिभायें हैं, जैसे अकलतरा में बॉस्केटबॉल और वॉलीवाल के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, क्योंकि उनके कोच वहां बेहतर थे। हमारे जांजगीर में हॉकी का बेहतर वातावरण है, कभी छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की टीमों में जांजगीर विजेता हुआ करती थी, उसका एकमात्र कारण था कि वहां कुरैशी सर थे ।  वह मन लगाकर वहां के छात्रों को प्रशिक्षण देते थे और खिलाड़ियों को उनके माध्यम से हॉकी का संगत मिला, वे शिक्षा में भी आगे बढे, नौकरी-चाकरी किये और उनका परिवार भी बेहतर रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि हर दृष्टि से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिये, विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये, बेहतर खेल का एक विश्वविद्यालय होना आवश्यक है । मैं भाई सुशांत जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, ताकि यहां के होनहार छात्र-छात्रायें भविष्य के खिलाड़ी सिर्फ जिला या तहसील स्तर तक ही सीमित न हो जाये, बल्कि हम ओलंपिक स्तर तक जायें, अपनी प्रतिभा की छाप राष्ट्रीय स्तर तक भी छोड़ें । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम आया है तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहां नीता श्रीवास जी

है, छत्तीसगढ़ के चांपा की रहने वाली है, आज वह एवरेस्ट फतह करके आई है । वह भी गांव की रहने वाली है, वहां प्रशिक्षण नहीं है, यदि प्रशिक्षण रहता तो और भी पहले कर सकती थी । अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के ऐसे होनहार खिलाड़ियों को और बेहतर प्रशिक्षण देने वालों को हम कैसे प्रशिक्षित करें, हम उन राज्यों से टाई-अप कर लें, जहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली संस्थायें हैं, उनके साथ जब टाई-अप हो जायेगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश से बेहतर खिलाड़ी निकलेंगे । अध्यक्ष महोदय, हम प्रदेश के भीतर जशपुर को हॉकी के क्षेत्र में देखते हैं और राजनांदगांव की पहचान  हॉकी के क्षेत्र में हैं तो सरगुजा और बस्तर के लोग भी तीरंदाजी में बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते हैं ? भारत को चाहे वह एशियाई खेल हो या ओलंपिक कबड्डी में सदैव विजय मिलती है, क्योंकि इस खेल को हम लोग आदिकाल से खेलते आ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, यदि हम उदार मन से तय कर लें और इस क्षेत्र में निवेश करें तो यह खिलाड़ियों के लिये और प्रशिक्षकों के लिये वरदान साबित होगा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान होगी । मैं भाई सुशांत जी के इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा जी ।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारे माननीय सदस्य श्री सुशांत शुक्ला जी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं समझती हूँ कि सदन के भीतर सारे सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, चाहे हम वनांचल क्षेत्र की बात करें या छत्तीसगढ़ के किसी भी शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जब हम दौरे के लिये निकलते हैं तो प्राय: जहां-कहीं भी मैदान दिखता है, वहां मैदान खिलाड़ियों से भरा रहता है और वहां खेल भावना को बहुत अच्छे से अनुभव किया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, मैदानों में सुविधायें नहीं होती है, मैदानों में कहीं पर गड्ढ़े हैं, मैदान उपयुक्त नहीं है, लेकिन खेलों का जुनून जो खिलाड़ियों के अंदर रहती है, चाहे वह महिला हो या पुरूष, उसकी प्रशंसा करनी होगी । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने मुझसे प्रश्न किया था कि आपके पंडरिया या कवर्धा जिले में कितने खेल मैदान है और कितने मैदानों को आपने हॉकी, वालीवाल या अन्य खेलों के लिये तैयार किया है ? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने बताया कि राजनांदगांव में बच्चे हॉकी और बास्केटबॉल में नेशनल और इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो आपके चेहरे में जो चमक थी, मैंने उस दिन महसूस किया और निश्चित रूप से यह कमी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है और छत्तीसगढ़ को जिन ऊँचाईयो को प्राप्त करना था, वह उससे वंचित है । अध्यक्ष महोदय, अगर हम विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं,  रोजगार के अवसर निश्चित रूप से बढ़ेंगे, खिलाड़ी निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना होती है, जब बच्चे क्लास 11वीं, 12वीं में अपना सब्जेक्ट चयन करते हैं, उन्हें किसमें अपना भविष्य बनाना है तो माता-पिता के माध्यम से विषय आता है कि आप अगर खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हो

तो या तो आपको कोचिंग के लिए अत्यधिक पैसे लगेंगे या तो आपको ट्रेनिंग लेने के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर जाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में ही होती तो कहीं ना कहीं हमारे उन खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका होती जो आने वाले समय में शायद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ का, हमारे भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। मुझे लगता है यह बहुत ही सराहनीय पहल हमारी सरकार के माध्यम से निश्चित तौर पर होगी। अध्यक्ष महोदय जी, आज अनेक ऐसे उदाहरण है, उससे पहले भी जो वक्ता हैं उन्होंने यहां पर अनेक उदाहरण रखे हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमारे बास्केटबॉल इंटरनेशनल अंडर-18 में एक बच्चा, महेंद्र ध्रुवे, जो राजनांदगांव से ही आता है, उसने इंडियन टीम में ब्रांस मेडल लाया है। मुझे लगता है हम सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है । इस तरीके से अगर हम नाम पर जाएं, चाहे हम सबा अंजुम की बात करें, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने खेल में ही छत्तीसगढ़ में अपना नाम रोशन किया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जिन्होंने अलग-अलग फील्ड में जाकर कोई पुलिस में, कोई अन्य विभागों में भी कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी खेल को बढ़ावा देने के लिए निश्चित तौर पर अगर खेल विश्वविद्यालय की यहां पर स्थापना होती है तो मुझे लगता है एक सराहनीय पहल हमारी सरकार के माध्यम से होगा। इस विषय का पूर्णतः समर्थन करते हुए, मैं विशेष तौर पर आपसे निवेदन करूंगी कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना जितनी जल्दी हो सके, वह निश्चित तौर पर उसको जरूर करें, आगे उसमें क्रियान्वयन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सुशांत शुक्ला जी ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का जो संकल्प रखा है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जब आज आप अध्यक्ष के रूप में वहां पर बैठे हैं तो एक अध्यक्ष के साथ-साथ एक उत्कृष्ट क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में भी आप वहां पर बैठे हैं। मैंने आपको शुरू से क्रिकेट खेलते हुए देखा है। मेजों की थपथपाहट) जब मैंने अभी तखतपुर में एक फ्लड लाइट लगवाया और जब मैं उसके उद्घाटन में गया।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- आप क्या खेलते थे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- हम तो कई प्रकार का खेल खेलते थे। (हंसी) मैं क्रिकेट नहीं खेलता था।

अध्यक्ष महोदय :- ये ऑलराउंडर थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, मैं जब उद्घाटन करने गया तो वहां पर लोगों ने बताया कि आप उस मैदान में भी खेल चुके हैं। हम लोग पण्डरिया में रह करके आपके पूरे खेल की गतिविधियों को देखते थे, सुनते थे, जानते थे।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय बेमेतरा के मैदान में भी बहुत खेले हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- बेमेतरा में तो पढ़े हैं ना।

श्रीमती भावना बोहरा :- वहां क्रिकेट भी बहुत खेले हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- वहां तो पक्का खेले हैं।

श्री रामकुमार यादव :- हमारे अध्यक्ष जी लेफ्टी बाल फेंकते थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आज आप एक खिलाड़ी के रूप में भी बैठे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- पण्डरिया, बेमेतरा, राजनांदगांव का चल रहा है तो खेल यूनिवर्सिटी को वहीं भेज देते हैं। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, वहां नहीं जाएगा। मैं फिर बताता हूं ना।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक सुझाव है। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, अभी सुशांत शुक्ला जी माइकल किंडो और किसी के बारे में बता रहे थे। वे सब पुराने जमाने में, वहां जशपुर में लकड़ी-वकड़ी में खेलकर ओलंपियन बन गए। लेकिन अब तो युग ऐसा है नहीं। कल ही आपने देखा कि अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा दिया। दोनों भारत और पाकिस्तान टाइप का मैच हो रहा था, लड़ाई-झगड़ा भी हो गया, स्पेन ने फ्रांस को हरा दिया। अध्यक्ष महोदय, यह कोई स्पेन ने हरा दिया वाली बात नहीं है, वह तो उनको टेक्निक सिखाया गया, उनको शिक्षा दी गई, उनको ट्रेनिंग दिया गया, उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई, इसलिए यह सब हुआ। हमारे यहां भी बहुत असीम संभावनाएं हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों में स्टैमिना बहुत है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाता, ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। उनको नौकरियों में जो अवसर पंजाब हरियाणा में देते हैं, वह अवसर भी यहां पर नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके कार्यकाल में 1 करोड़ रूपये राष्ट्रीय खेल के लिए जमा हुआ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने 1 करोड़ रूपये राष्ट्रीय खेल के लिए दिया। आपने हॉकी को राजनांदगांव में स्थापित ही नहीं किया, बल्कि आपने मजबूत किया।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं, मैं आपके वाक्य को पूरा कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने 1 करोड़ रूपये छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खेल आयोजित हो, आवेदन फीस के साथ जमा किए थे, ऐसा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपने राजनांदगांव में हॉकी स्टेडियम बनाया। दानापुर, एयरलाइंस और दुनिया भर के जो हॉकी की टीम है, जब राजनांदगांव में कोई टूर्नामेंट होता है, महंत सर्वेश्वर दास ऐसा कुछ नाम है। उसके लिए लोग लालायित रहते हैं कि वहां आएं। ये सब आपकी मेहनत से, आपके संरक्षण से हुआ है। हम यह कहना चाहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं। छत्तीसगढ़ में हम कोई गरीब लोग थोड़ी न हैं? हम लोग तो लगभग 1 लाख 76 हजार करोड़ रूपये के बजट वाले हैं। जब झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो सकती है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? छत्तीसगढ़

में होनी चाहिए। जब बिहार में हो सकती है, भाई, बिहार से हम लोग थोड़ी न खराब हैं? हम तो उनसे ज्यादा मजबूत लोग हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर महोदय, एक यूनिवर्सिटी खोलनी ही है। आप भी बिल्कुल चुस्त-दुरूस्त खिलाड़ी सरीखे हैं तो आपको थोड़ा रुचि लेना है।

श्री अजय चंद्राकर :- वह खिलाड़ी सरीखे हैं, आप इन शब्दों को सुधारिये। वह खिलाड़ी ही हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, खिलाड़ी हैं। (हंसी) अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी आपने खोल दी तो बिलासपुर में बी.आर. यादव साहब की मेमोरी में वहां पर जो स्पोर्ट्स कांपलेक्स बना है, वहां पर एथलेटिक्स का ट्रैक है, वहां पर इंडोर स्टेडियम है, वहां पर हॉकी का एस्ट्रोटर्फ है और इतने बड़े कैंपस में है कि उसके झाड़ की साफ-सफाई का काम इनकी सरकार में तो हुआ नहीं था, अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने वहां पर साफ-सफाई करायी है, वरना वहां पर सांपों का डेरा था। तो यह सांपों का डेरा छोड़कर हमारे बच्चों के लिए करना है। बच्चे उसमें पढ़ेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी। सरकार की पॉलिसी बनेगी, पुलिस में कई हजार पद खाली हैं, गुरूजी के कई हजार पद खाली हैं। हमारे प्रदेश में अगर 100-200 लड़कों की स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हो जाएगी, जो कि बंद हो चुकी है और जो गलत है। मैं इसको बिल्कुल अच्छे लक्षण में नहीं मानता हूं। स्पोर्ट्स के कई खिलाड़ियों को मैंने पुलिस में नौकरी पाते देखा, रेलवे में नौकरी पाते देखा। अभी हम रेलवे में मोदी जी का जो प्रमाण पत्र देने गए थे, उसमें भी स्पोर्ट्स कोटे से बहुत से लोग सेलेक्ट हुए हैं। इससे क्या होगा तो नौकरी भी मिलेगी, नौकरी के साथ-साथ बच्चों में खेल का वातावरण बनेगा, वह प्रैक्टिस करने जाएंगे। यह जो शाम को मॉर्फिन का इंजेक्शन लेते कोई गार्डन में, कोंटे में बैठे दिखते हैं, उससे बचत होगी। छत्तीसगढ़ का नाम भी होगा, छत्तीसगढ़ के बच्चों को नौकरी मिलेगी, छत्तीसगढ़ में आकर बाहर के बच्चे डिग्री लेंगे और छत्तीसगढ़ पूरे देश से पीछे क्यों रहे? इसलिए इस यूनिवर्सिटी को जरूर बनाना है और उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिलासपुर में तैयार बैठा हुआ है, आप वहां पर उसको खोल दीजिएगा। लेकिन आज सैद्धांतिक रूप से सदन में इस बात की सर्वानुमति होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में एक यूनिवर्सिटी खुलेगी। कल ही तो आपने यूनिवर्सिटी का बिल लाया था कि कोई भी कहीं पर भी यूनिवर्सिटी खोल लेगा, दो कमरे में भी खोल लेगा। यह थोड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो इसपर आप थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करिये और इसको मंजूरी दिलाइये। अध्यक्ष महोदय, आपसे भी विशेष आग्रह है। (माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर द्वारा कुछ कहने पर) भैया लाल जी तो पुराने निशानेबाज हैं ही। इनका निशाना कल टोंटी में था। (हंसी) अध्यक्ष जी, उसकी जांच का भी आपने आदेश कर दिया है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, आप वहां से बैठकर ही थोड़ा मुस्कुराते हुए जरा इधर देखेंगे तो मंत्री जी और पूरा सदन इसको स्वीकृत करेगा। कृपा करके इसको वापस लेने के लिए मत बोलिएगा। इस प्रस्ताव को पास होने दीजिए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं सिर्फ दो लाइन कहना चाह रहा हूं। मुझे खेल विभाग देखने का सौभाग्य मिला था और हम लोग इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए काफी आगे बढ़ चुके थे, उसके लिए जगह भी निर्धारित हो चुकी थी। लेकिन कुछ कारण से उस समय वह नहीं हो पाया। उसके सारे डिटेल्स मेरे पास हैं अगर आपको जब भी आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं आपके साथ उसको शेयर कर दूंगा कि वह कहां पर अटका, क्यों अटका, किसलिए अटका, तो आपके लिए शायद वह आसान हो जाएगा। दूसरा, विश्वविद्यालय तो ठीक है, लेकिन खेल एकेडमीज पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे कार्यकाल में हमने करीब 40 खेल एकेडमीज खोली थीं और आज के दिन की स्थिति नहीं पता, लेकिन वहां पहले तो अच्छे से ट्रेनिंग हो रही थी तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे केवल दो ही सुझाव हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अटल श्रीवास्तव (बिलासपुर) :- मैं सुशांत शुक्ला जी के अशासकीय संकल्प खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अधिकतर ये देखा गया है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पर बहुत सारी खेल प्रतिभाएं हैं और हर खिलाड़ी के अंदर अपनी एक प्रतिभा छिपी होती है और वह एक लेवल तक संघर्ष करता है, पर उस लेवल के बाद उसे आगे उठने के लिए बहुत सारी आधुनिक टेक्नोलॉजीस की जरूरत होती है, आधुनिक प्रशिक्षण की जरूरत होती है, उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, उसको एक-एक मसल्स पर ध्यान देने की जरूरत होती है और जब तक ये खेल यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी, तब तक खिलाड़ी एक लेवल तक जाकर रूक जाता है। उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता और वह कम्पिट ही नहीं कर पाता। अगर खेल विश्वविद्यालय खुलेगा तो जो ट्रेनर्स हैं, वह अलग-अलग एकेडमीस में जाकर अपना काम करेंगे। ऐसे खिलाड़ी जो आज नौकरी की आस में या कुछ दिन अच्छा खेलने के बाद पीछे हो जाते हैं या इंजुरी के कारण पीछे हो जाते हैं, उनके मन में भी ये आएगा कि हम अगर अच्छा खेलते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आगे इंटरनेशनल खेलते हैं तो हमारी लाइफ भी सिक्योर होगी और इस यूनिवर्सिटी के खुलने से स्पोर्ट्स को लेकर जितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम हैं, खिलाड़ियों को सबसे बड़ी परेशानी स्पोर्ट्स इंजुरी की आती है और छत्तीसगढ़ में तो यदि किसी खिलाड़ी को स्पोर्ट्स इंजुरी हुई तो उसकी लाइफ एंड हो जाती है, उसके बाद वह खेल नहीं पाता है। अगर आप बड़ी सिटीज में जाएंगे तो स्पोर्ट्स इंजुरीस पर इतना काम होता है कि वह आदमी वापस फील्ड पर आता है और खेलने लग जाता है। मेरा मानना है कि अगर खेल विश्वविद्यालय बनता है तो छत्तीसगढ़ में अलग-अलग इतनी प्रतिभाओं के बारे में गिनाया गया है। अभी-अभी एक कटघोरा की लड़की संजू यादव ने ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप जीता है और अभी वह मेरे साथ एक जिम में है, वह इंज्योर हो गई है, उसके घुटने में चोट लगी है और पिछले तीन महीने से चंडीगढ़ में ट्रांसफर कराने के बाद लगातार फिजियोथेरेपी करा रही है। अगर ये यूनिवर्सिटी खुलती है तो मुझे लगता

है कि बहुत अच्छा काम होगा। हमारे यहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और हमारे यहां खेल मैदानों की भी कमी नहीं है। बिलासपुर खेल परिसर में तीन एकेडमी चल रहा है, जहां पर आर्चरी है, हॉकी है और एथलेटिक है। बहुत अच्छा स्टेडियम बना हुआ है और अभी उसमें बहुत अच्छा काम भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि खेल विश्वविद्यालय खुलने से छत्तीसगढ़ का नाम आगे चलकर रोशन होगा और मैं इसका समर्थन करता हूं। कहीं ना कहीं जैसा उमेश जी बता रहे थे कि पिछली बार फाइलें चली थीं तो उन सबको कंबाइन करके, जगह की तलाश करके इस विश्वविद्यालय को खोला जाना चाहिए। आने वाला जो भविष्य है, आने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिंद।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मुहावरा है, ओ हमर पुरखा मन कहे हन तेला बोल के में हर अपन बात ला समाप्त करहूं। सुशांत शुक्ला जी बहुत अच्छा विषय लाए हे। एक पुरखा मन के कहावत रिहीस। मैं अब जब बोलत हव ज्ञानी मन, तो मोला सुरता आत रिहीन हे।

पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब,

और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब।

ऐसे एक जमाना में बोले जात रिहीसे लेकिन आज के परिस्थिति अलग है। आज हमन सचिन तेंदुलकर ला देखथन, ओ मन 12वीं फेल हे (हंसी) लेकिन ओकर सामने में बड़े-बड़े मन फेल हे। आज जिस प्रकार से खेल-कूद के जो महत्व है, निश्चित तौर पर यह आज के डेट में बहुत अच्छा है। ओ हर भारत रत्न हे, लेकिन जो ओकर डिग्री हे, ये सही बात हे, ये सच्चाई हे। लेकिन आज खेल-कूद कैसे ओला महत्व दे दिस। उसी प्रकार से में हर आज कहना चाहत हव कि हमर छत्तीसगढ़ में जतका बुद्धिमान मन बैठे हे, मे हर आपसे भी कहना चाहत हव। हमन देखथन कि खिलाड़ी के बेटा खिलाड़ी बनथे अउ हीरो के बेटा हीरो बनथे। आज कोई खिलाड़ी के लड़का रहिथे, अच्छा खेल गे हे, ओ मन अपन लड़का ला अच्छी जगह में भेज के कोचिंग करा लेथे अउ कोचिंग कराके अपन लड़का ला भी खिलाड़ी बना देथे। कोई हीरो बन गे हे, तो बढ़िया से कहूं में एक्टिंग कराके अपन लड़का ला भी हीरो बना देथे। लेकिन अंतिम छोर के गरीब आदमी, जेकर वोट से हमन जीत के आए हन, उहूं चाहत रिहीस कि मोरो बेटा हीरो बन जाए, मोरो बेटा खिलाड़ी बन जाए। लेकिन पैसा के अभाव में नहीं बन पाए। ऐसे यूनिवर्सिटी बनही, तो उहूं हर उसेन बोल्ट, जे हर दौड़े रिहीसे, वइसने दौड़कर के उहूं हमर छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करही। तो गरीब के लड़का ला मौका मिलही, एखर खातिर आप मन जो विषय लाए हन, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एखर समर्थन करत हौं। हम सब एखर समर्थन करथन, बिल्कुल खुलना चाहिए। सभापति महोदय, आप मन मोला बोलने के मौका दे हव, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- राम कुमार जी, आप मन के लड़का का बनही? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- साहब, अब मोर लइका तो तुमन के आस ले हे। छत्तीसगढ़ मा सब मोर दाई-दादा हे अउ सब मोर भाई-बंधु हे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष जी, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वह है।

अध्यक्ष महोदय :- पहले तो शादी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलिए, आप बोलिए ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुशांत भाई ने जो प्रस्ताव लाया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। मैं अपने घर की ही बात बताना चाहती हूं। मेरा बेटा है सौरभ सिंह पोर्ते, जो फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था और हमारे भैया प्रबोध मिंज जी अभी बैठे हैं, इन्होंने अंबिकापुर में अदाणी एकेडमी खुलवाया था । उस वक्त उसने उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं एक फुटबाल प्लेयर बनूं, लेकिन दुर्भाग्यवश आगे ऐसी व्यवस्थायें नहीं मिली। उस बच्चे ने बाहर खेल करके 3 नेशनल सर्टीफिकेट हासिल किये थे और आज वही उन्हीं सर्टीफिकेट के दम पर, 12वीं में 87 प्रतिशत आया और 3 सर्टीफिकेट होने से उसमें डी.यू. में अपना सलेक्ट कराया, अपनी एजुकेशन जारी किया है और वहां से उसने बी.ए. इकोनॉमिक्स ऑनर्स से कंपलीट किया और सी.एल.सी. से एल.एल.बी. कर रहा है। उसको जो प्लेयर बनने का एक सपना था, वह पूरा नहीं हो पाया। तो मैं आज इस सदन में आग्रह करना चाहती हूं कि हर बच्चे का यह सपना होता है। आज भी हम विधान सभा क्षेत्र में जब भी देखते हैं, अधिकतर बच्चे ड्रेस, शूज, बैट-बाल मांगते हैं कि विधायक जी हमको खेलने के लिये सामग्री दीजिए। छत्तीसगढ़ के बच्चों में बहुत जूनून है। मैं आग्रह करना चाहती हूं कि इस विश्वविद्यालय को जरूर सहमति दी जाये ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अच्छी ट्रेनिंग ले सकें। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुशांत शुक्ला जी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प लाया है, उसका समर्थन करता हूं और छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अभी शकुंतला जी ने भी मेरे संबंध में थोडी सी बात को रखा है। सरगुजा में भी हम लोगों ने अडानी के सहयोग से एक फुटबाल खेल एकेडमी शुरू की थी, उसमें रामविचार नेताम जी की मदद हुई थी और उसी का परिणाम वो बात रही थीं कि सरगुजा क्षेत्र में हम लोग 50 बच्चों को लेकर एकेडमी शुरू किये थे और वह बच्चे बहुत अच्छा परफारमेंस करके आगे निकल रहे थे। उसमें फुटबाल के प्रशिक्षण के लिये हमारे एस.ई.सी.एल. में एक कर्मचारी रामबहादुर लांबा थे, वह फुटबाल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। वह नाममात्र की फीस में वहां कोचिंग देते थे। उसका परिणाम यह था कि उसमें अंडर 17 के जो बच्चे इंडियन टीम में होते थे, उसमें सरगुजा जैसी जगह से निकलकर 2 बच्चे ईरान में और डेनमार्क में खेले। उस एकेडमी से बच्चे और जगह भी निकलकर गये, रेलवे में भी बच्चा खेल स्पोटर्स के माध्यम से लगा था। ऐसा हमारे क्षेत्रों में, पूरे छत्तीसगढ़ में जगह-जगह में फुटबाल, क्रिक्रेट गांव-गांव में खेलते

हैं। खेलने की वजह से काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनको आगे प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है। विश्वविद्यालय खोलने के लिये दूसरी वजह यह है नये समय के साथ-साथ, नई-नई टेक्नॉलाजी आती है, नई-नई चीजों का विस्तार होता है। पूरी दुनिया में उसके साथ कंपटीशन होता है। तो उनकी बराबरी में भी आने के लिये और नई टेक्नालाजी को अपनाने के लिये भी विश्वविद्यालय बहुत जरूरी है जहां कम से कम इस विश्वविद्यालय में जो सीखेगा, पढ़ेगा, वह अपने तकनीकी के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में भले नौकरी न लगे, लेकिन अपने-अपने छोटे-छोटे एकेडमी में, छोटी-छोटी जगहों में स्पोटर्स की चीजें खोलकर वह उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं, बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। जिन बच्चों को आगे आने का अवसर नहीं मिल पाता, उनको एक अवसर भी इस विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलेगा। एक बात सभी लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों की कही। मैं गर्व के साथ एक बात और बताना चाहूंगा। हमारे अभी इंडियन रिकार्ड में 100 मीटर और 200 मीटर में एक अनिमेष कुजुर, घुईटांगर, जशपुर का लड़का है जो अभी इंडियन रिकार्डधारी है, हमारे छत्तीसगढ़ का बच्चा है जो 100 मीटर रिकार्ड में 10.9 सेकंड में वह पूरा करता है। (मेजों की थपथपाहट) उसका रिकार्ड अभी इंडिया में सबसे अच्छा है। वह 200 मीटर में भी 20.32 सेकंड का उसका रिकार्ड है, जो अभी पूरे भारत देश में सबसे आगे है। हमारे पास ऐसे बहुत से नैसर्गिक बच्चे हैं। नारायणपुर जैसी जगह में कॉम्पलेक्स स्पोटर्स का हो रहा है। फुटबाल के क्षेत्र में वहां की टीम आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे आगे है। वहां पर सारे ट्राइवल बच्चे हैं और ट्राइवल बच्चों में अपनी नैसर्गिक क्षमतायें भी रहती हैं। उनको निखारने के लिये भी ये विश्वविद्यालय बहुत आवश्यक होगा। इसलिए मैं इस विश्वविद्यालय खोलने के लिये लाये गये इस संकल्प का समर्थन करता हूं। इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले जी के खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, आप भी?

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे विधायक शुक्ला जी ने जो छत्तीसगढ़ राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये जो अशासकीय संकल्प रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं अपने ही बारे में बोलूं तो मेरे 12 बच्चे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। (हंसी) आपसे बड़ा खिलाड़ी विधान सभा में कोई है ही नहीं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी कारण से बोल रहा हूं, सब अलग-अलग खेल खेलते हैं, कोई कबड्डी, कोई वॉलीबाल, कोई राष्ट्रीय खेल में जाये, कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल में जाये, अंतर्राष्ट्रीय खेल में जायें, उसमें अपना नाम कमायें । चूंकि छत्तीसगढ़ में खिलाड़ी हैं लेकिन वे नयी टेक्नालॉजी के अनुसार नहीं खेलते हैं तो जिससे हम लोग पीछे हो जाते हैं । चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर

पर बहुत लोग गए हैं और कुछ जिला स्तर पर भी गए हैं तो जब विश्वविद्यालय होगा तो उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनको सामान भी मिलेगा और वह अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन करेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- पुन्नूलाल जी के पास पर्सनल क्रिकेट टीम है । (हंसी) थोड़ा सा कोचिंग मिलेगी तो उनकी पर्सनल टीम आर.बी.सी. या मुंबई इंडियन को तो हरा ही देगी ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यह रेफरी का काम करेंगे । (हंसी) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका स्वागत भी करता हूँ और समर्थन भी करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- रामविचार नेताम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां फुटबॉल एकेडमी की बात हुई, यह आपकी ही देन है । सरगुजा में फुटबॉल एकेडमी बनाने के लिए तत्कालीन हमारे जिला प्रशासन का जो अधिकारी था, वह बड़ा उत्साही और उनके साथ हम लोग ही बैठकर उसकी पूरी प्लानिंग किए और आपके समक्ष उसको रखा और आपकी सहमति से सरगुजा में फुटबॉल एकेडमी बना और ऐसा एकेडमी बना कि बहुत कम समय में वहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था हुई, इतने अच्छे प्लेयर निकले क्योंकि उस क्षेत्र के बच्चों में नैसर्गिक फुटबॉल खेलने के जो गुण हैं, क्षमता है वह निश्चित ही है और मैं आज उसी बात को दोहराने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कि हमारा यह एकेडमी उस समय का बना हुआ है जो अडानी के सहयोग से चल रहा था, आज कहीं न कहीं उसकी स्थिति बहुत ही खराब है । मैं यह चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हैं, खेल मंत्री जी हैं, आप कम से कम उसको उसी समय की जो स्थिति थी उसको बहाल करते हुए और कैसे बेहतर बना सकते हैं बल्कि साईं का भी सेंटर खोलने की बात हुई थी, वह भी अभी तक नहीं हुआ तो कम से कम कृपा करके यह सब अगर हो जायेगा तो बहुत अच्छा होगा । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उसके लिये मैं व्यक्तिगत बात करूंगा । वहां मेरे संपर्क हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामविचार नेताम :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ । सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये" । माननीय मंत्री जी ।

उप मुख्यमंत्री (खेल एवं युवा कल्याण) (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आज खेल पर सुशांत शुक्ला जी के अशासकीय संकल्प पर एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में एक बहुत गंभीर चर्चा हुई है। जिसमें माननीय सदस्य सुशांत शुक्ला जी सहित श्री ब्यास कश्यप जी, श्रीमती भावना बोहरा जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री उमेश पटेल जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्री रामकुमार यादव जी, श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, श्री प्रबोध मिंज जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी और माननीय राम विचार नेताम जी ने भी इसमें सुझाव दिये हैं तो सभी के बहुत सार्थक विचार और सुझाव

आये हैं । मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूँ । आप लोगों ने खेल और खिलाड़ियों के लिए जितनी उत्सुकता दिखलाई है । इससे यह परिलक्षित होता है कि खेल का कितना महत्व है और वास्तव में खेल का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है । माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद इस दिशा में हमारी सरकार भी बहुत गंभीरता से काम कर रही है । मैं पहले एक-बार विभागीय प्रतिवेदन पढ़ता हूँ फिर मैं इस विषय पर अपनी कुछ बातें कहूंगा । खेल एवं युवा कल्याण विभाग खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु सतत् प्रयासरत है । विभाग द्वारा रायपुर में हॉकी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल एवं बिलासपुर में हॉकी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी एवं कबड्डी, आवासीय, गैर आवासीय खेल अकादमी का संचालन किया जा रहा है जिसमें क्रमश: 127 एवं 164 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । उक्त अकादमी में बीमा, चिकित्सा, खेल-सामग्री एवं उपकरण प्रदाय, खेल परिधान, एकरूपक परिधान, प्रतियोगिता के दौरान यात्रा व्यय, प्रतियोगिता के दौरान स्वल्पाहार भत्ता, विशिष्ट प्रशिक्षण एवं एडवांस कोचिंग इत्यादि सुविधाएं दी जा रही हैं। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में  वन डिस्ट्रीक्ट वन स्पोर्टस् के आधार पर खेलो इण्डिया सेन्टर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, समस्त जिला में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में बस्तर अकादमी हेतु 4 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में खेल विश्वविद्यालय हेतु प्रत्येक प्रावधान किया गया है। लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्रीय केन्द्र या विश्वविद्यालय हेतु संस्थान एवं केन्द्र सरकार से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। बजट 2026-2027 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष योजना मिशन की घोषणा की गयी है जिस हेतु 100 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एक प्रमुख घटक है। माननीय अध्यक्ष महोदय,  राज्य में माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए काम हो रहा है। आज देश में नरेन्द्र मोदी जी ऐसे एक प्रधानमंत्री मिले हैं जो खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार चिंता करते हैं। यदि खेल में हमारी टीम हारती है यदि निराश होते हैं तो सबसे पहले उन्हें ढांढस बंधाने के लिए कोई कदम बढ़ता है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का बढ़ता है। यहां के खिलाड़ियों के हौंसले बढ़ाने के लिए सम्मनित करने, उनका हौंसला बढ़ाने के लिए सबसे पहले कोई कदम बढ़ाते हैं तो वह भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी है। जब से देश में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से यहां खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए खेलो इण्डिया के माध्यम से लगातार काम हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले श्रीनगर में भारत सरकार के खेल विभाग द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। सौभाग्य से मुझे उस शिविर में शामिल होने का अवसर मिला, वहां पर जिस तरह दो दिन का शिविर हुआ, खेलों के लिए आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में

भारत सरकार क्या काम कर रही है। यह अद्‌भुत और मेरे लिए तो अकल्पनीय था। यदि वर्ष 2014 से पहले यह प्रयास हुआ होता तो आज खेलों के क्षेत्र में भारत कहां से कहां होता, आज भारत सरकार इस योजना पर काम कर रही है कि आने वाले जो ओलम्पिक खेल हैं, अन्य जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं वहां पर भारत किस तरह से पदक हासिल करे। हम उसकी किस तरह से तैयारी करें, तो आज से पूरे देश भर में उसकी तैयारी चल रही है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमने बस्तर ओलम्पिक का आयोजन किया, हमने सरगुजा ओलम्पिक का आयोजन किया, यहां पर लगातार बस्तर ओलम्पिक का आयोजन हो गया है। आज खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए न केवल बजट में नये प्रावधान किये हैं। चाहे अधोसंरचना के विकास की बात हो, हमारी तैयारी है कि जो हमारे कोच हैं उनको बाहर के अच्छे संस्थान में भेजकर, उनका प्रशिक्षण करवाएं। उसके लिए भी हमारा पत्राचार और बातचीत हो रही है कि  हम अपने कोच को अत्याधुनिक ट्रेनिंग दिलाकर,  उनके माध्यम से हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि अभी 10 दिन पहले ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया की टीम छत्तीसगढ़ भ्रमण के लिए आयी थी। जगदलपुर भी गयी, रायपुर में भी अलग-अलग अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई, मेरे साथ भी बैठक हुई। आने वाले समय में कई बड़ी-बड़ी सौगातें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के माध्यम से मिलने की संभावनाओं पर उन्होंने काम किया है, बातचीत की है और वह बातचीत भी सार्थक रही है। यहां पर रिजनल सेन्टर की स्थापना हो, नये एकेडमी बने, इन सब बातों को लेकर बहुत सार्थक चर्चा हुई है। आज जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स साईंस स्थापना को लेकर, हमारी तैयारी प्रारंभ हो गयी है। यहां पर खेल की प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित हो, यहां खेल के कोच बड़े पैमाने पर नियुक्त हों, हमारी उसकी तैयारी चल रही है। निश्चित रूप से खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, छत्तीसगढ़ की जो प्राकृतिक स्थिति है, यहां पर खेल की स्वाभाविक प्रतिभा हमारे युवाओं में होती है। यहां के गांवों में खेल का वातावरण होता है विशेषकर वनांचल में तो और  अधिक हृष्ट-पुष्ट होते हैं, खेल की नेचुरल प्रतिभा होती है। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने चिंता जाहिर की है कि अच्छी कोचिंग की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक उपकरणों के साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, स्पोर्ट्स साइंस सेन्टर हो, इसके लिए हमारी सरकार गंभीरता से प्रयत्न कर रही है और हम खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए, काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं । स्पोर्ट्स ऑथोरिटी आफ इंडिया के अधिकारियों से लगातार मेरी बातचीत होती है, मैं खेल मंत्री जी से भी लगातार सम्पर्क में रहता हूं कि खेल की सुविधाओं का विस्तार हो, अच्छी कोचिंग की सुविधा मिले, हमें खेल के अत्याधुनिक उपकरण मिले, खेल की सामग्री मिले, इसे लेकर लगातार प्रयत्न हो रहे हैं । जैसा कि इस विषय को लेकर यह अशासकीय

संकल्प आया है, उसके लिए हम पहले से ही लगातार प्रयास जारी रखे हुए हैं । वहां की टीम, एक प्रतिनिधिमण्डल यहां अध्ययन करने भी आई थी, उन्होंने प्रारंभिक निरीक्षण भी किया है । उसे और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे । पूरी कोशिश है कि हमारे यहां विश्वविद्यालय हो या उसका केन्द्र यहां पर स्थापित हो जाये, यह लगातार हमारा प्रयास चल रहा है । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि सरकार उनकी चिंता में सहभागी है । वे अपना अशासकीय संकल्प वापस ले लें, ऐसा मेरा आग्रह है ।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि बजट में ऑलरेडी खेल विश्वविद्यालय का प्रावधान है । जब सरकार सहमत ही है और सैद्धांतिक रूप से सहमत के बाद बजटेड है तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको पारित करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब बजट है, विधान सभा में पास हो चुका है, विश्वविद्यालय के नाम से पास हो चुका है तो इसको पास करना चाहिए, ऐसा मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि हम उसके लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और सरकार उस चिंता में पूरी तरह से वाकिफ है इसलिए हमारी कोशिश भी लगातार जारी है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे अपने अशासकीय संकल्प को वापस ले लें ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या माननीय सदस्य संकल्प वापस लेने के लिए सहमत हैं?

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवहारिक तौर पर तो मैं सहमत नहीं हूं, परन्तु यह कामना करते हुए कि खेलों के लिए संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी । मैं अशासकीय संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है?

**अनुमति प्रदान की गई ।**

**संकल्प वापस हुआ ।**

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2026 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

**(3 बजकर 49 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 26, शक संवत् 1948) को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)**

**दिनेश शर्मा**

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) — **सचिव**

दिनांक 16 जुलाई, 2026 — **छत्तीसगढ़ विधान सभा**